

# विनियोग लेखे

वर्ष 2014-15 के लिए

बिहार सरकार

---

## विषय सूची

---

विषय	पृष्ठ
प्रस्तावना	iii
विनियोग लेखे का सारांश	iv-xvi
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	xvii-xix
क्रमांक तथा अनुदान/विनियोग का नाम	
1. कृषि विभाग	01-16
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	17-25
3. भवन निर्माण विभाग	26-43
4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	44-48
5. राज्यपाल सचिवालय	49-50
6. निर्वाचन विभाग	51-53
7. निगरानी विभाग	54-55
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	56-59
9. सहकारिता विभाग	60-64
10. ऊर्जा विभाग	65-70
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	71-73
12. वित्त विभाग	74-79
13. सूद भुगतान	80-82
14. ऋण अदायगियाँ	83-85
15. पेंशन	86-89
16. पंचायती राज विभाग	90-96
17. वाणिज्य-कर विभाग	97-98
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	99-102
19. पर्यावरण एवं वन विभाग	103-107
20. स्वास्थ्य विभाग	108-120
21. शिक्षा विभाग	121-137
22. गृह विभाग	138-148
23. उद्योग विभाग	149-157
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	158-160
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	161-164
26. श्रम संसाधन विभाग	165-170
27. विधि विभाग	171-174
28. उच्च न्यायालय, बिहार	175-176
29. खान एवं भूतत्व विभाग	177-178

	पृष्ठ
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	179-182
31. संसदीय कार्य विभाग	183
32. विधान मंडल	184-186
33. सामान्य प्रशासन विभाग	187-191
34. बिहार लोक सेवा आयोग	192
35. योजना एवं विकास विभाग	193-200
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	201-207
37. ग्रामीण कार्य विभाग	208-210
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	211-213
39. आपदा प्रबंधन विभाग	214-227
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	228-233
41. पथ निर्माण विभाग	234-240
42. ग्रामीण विकास विभाग	241-246
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	247-249
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	250-254
45. गन्ना उद्योग विभाग	255-258
46. पर्यटन विभाग	259-261
47. परिवहन विभाग	262-264
48. नगर विकास एवं आवास विभाग	265-277
49. जल संसाधन विभाग	278-289
50. लघु जल संसाधन विभाग	290-295
51. समाज कल्याण विभाग	296-305
परिशिष्ट: वर्ष 2014-15 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण	306-311

## प्रस्तावना

वर्ष 2014-15 के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत करता है ।

### टिप्पणी

इन लेखाओं में :

- “मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है ।  
“अनुपूरक” अनुपूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक होता है ।  
“पुनर्वि०” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक होता है ।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे टाईप में दर्शाये गए हैं ।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु वहीं मानदण्ड अपनायी गयी है, जो अविभाजित बिहार राज्य हेतु महालेखाकार (ले० एवं हक०)-I, बिहार एवं झारखण्ड द्वारा विनियोग लेखे के तैयारी करने हेतु अपनायी जाती थी ।

उप-शीर्ष (अधिक/बचत) के चयन हेतु मानदण्ड सामान्यतया उपबंध के 10 प्रतिशत अथवा नीचे दिये गये तालिका में दर्शायी गयी राशि जो भी अधिक हो बिहार राज्य के विनियोग लेखे के टिप्पणी हेतु अपनायी गयी है-

क्रम सं०	बजट प्रावधान	बचत/अधिक व्यय
1.	₹ 5.00 करोड़ तक	₹ 5.00 लाख
2.	₹ 5.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 50.00 करोड़ से कम	₹ 10.00 लाख
3.	₹ 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 100.00 करोड़ से कम	₹ 15.00 लाख
4.	₹ 100.00 करोड़ से अधिक किन्तु ₹ 500.00 करोड़ से कम	₹ 20.00 लाख
5.	₹ 500.00 करोड़ से अधिक	₹ 25.00 लाख

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	( ₹ हजार में)			
1. कृषि विभाग दत्तमत	3,60,70,398	4,88,507	2,01,61,633	150,454
2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत	65,89,084	0	44,73,138	0
3. भवन निर्माण विभाग दत्तमत	48,57,968	2,84,26,423	39,36,500	1,12,28,544
4. मंत्रिमंडल सचिवालय दत्तमत	14,63,892	1,98,000	10,48,435	1,84,896
5. राज्यपाल सचिवालय प्रभारित	1,06,794	0	87,861	0
6. निर्वाचन विभाग दत्तमत	29,28,920	0	26,03,557	0
7. निगरानी विभाग दत्तमत	3,92,685	0	2,90,419	0
8. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत	9,99,813	0	6,47,196	0
9. सहकारिता विभाग दत्तमत	83,35,343	16,05,862	56,55,485	12,37,360
10. ऊर्जा विभाग दत्तमत	4,80,96,134	6,74,23,378	3,78,33,868	4,41,92,662
11. पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत	1,48,60,821	60,000	1,44,46,790	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूपों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
( ₹ हजार में)			

1,59,08,765	3,38,053	0	0
21,15,946	0	0	0
9,21,468	1,71,97,879	0	0
4,15,457	13,104	0	0
18,933	0	0	0
3,25,363	0	0	0
1,02,266	0	0	0
3,52,617	0	0	0
26,79,858	3,68,502	0	0
1,02,62,266	2,32,30,716	0	0
4,14,031	60,000	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	( ₹ हजार में)			
12. वित्त विभाग				
दत्तमत	27,65,705	1,67,40,000	15,15,827	1,34,762
प्रभारित	1,40,52,600	0	97,52,570	0
13. सूद भुगतान				
प्रभारित	6,58,55,107	0	6,12,87,491	0
14. ऋण अदायगियाँ				
प्रभारित	0	3,60,63,361	0	3,60,89,519
15. पेंशन				
दत्तमत	11,65,53,750	0	11,34,89,045	0
प्रभारित	1,10,730	0	9,113	0
16. पंचायती राज विभाग				
दत्तमत	4,70,90,135	10,05,000	2,37,47,754	0
17. वाणिज्य-कर विभाग				
दत्तमत	13,47,204	0	9,58,880	0
18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
दत्तमत	1,14,98,266	0	64,65,396	0
19. पर्यावरण एवं वन विभाग				
दत्तमत	32,80,329	2,46,321	30,53,386	2,31,395
20. स्वास्थ्य विभाग				
दत्तमत	4,23,20,964	1,06,41,925	3,31,79,892	32,40,272
21. शिक्षा विभाग				
दत्तमत	24,87,01,256	1,06,35,101	16,33,54,058	24,14,256
22. गृह विभाग				
दत्तमत	6,19,84,017	63,51,727	5,19,57,891	49,05,601

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
( ₹ हजार में)			

12,49,878	1,66,05,238	0	0
43,00,030	0	0	0
45,67,616	0	0	0
0	0	0	26,158 (2,61,57,938.00)
30,64,705	0	0	0
1,01,617	0	0	0
2,33,42,381	10,05,000	0	0
3,88,324	0	0	0
50,32,870	0	0	0
2,26,943	14,926	0	0
91,41,072	74,01,653	0	0
8,53,47,198	82,20,845	0	0
1,00,26,126	14,46,126	0	0



विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	( ₹ हजार में)			
23. उद्योग विभाग दत्तमत	1,43,24,241	1,35,047	49,63,722	95
24. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग दत्तमत	20,62,579	0	11,58,247	0
25. सूचना प्रावैधिकी विभाग दत्तमत	21,56,424	1,00,000	4,30,383	40,000
26. श्रम संसाधन विभाग दत्तमत	46,73,328	46,997	21,93,242	33,232
27. विधि विभाग दत्तमत	67,32,125	0	49,41,181	0
28. उच्च न्यायालय, बिहार प्रभारित	12,90,028	0	8,14,128	0
29. खान एवं भूतत्व विभाग दत्तमत	2,02,288	0	1,43,875	0
30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दत्तमत	8,88,660	21,72,996	7,05,780	21,51,299
31. संसदीय कार्य विभाग दत्तमत	16,177	0	14,884	0
32. विधान मंडल दत्तमत	13,25,653	0	12,12,814	0
प्रभारित	10,935	0	9,574	0

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
( ₹ हजार में)			

93,60,519	1,34,952	0	0
9,04,332		0	0
17,26,041	60,000	0	0
24,80,086	13,765	0	0
17,90,944	0	0	0
4,75,900	0	0	0
58,413	0	0	0
1,82,880	21,697	0	0
1,293	0	0	0
1,12,839	0	0	0
1,361	0	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	( ₹ हजार में)			
33. सामान्य प्रशासन विभाग				
दत्तमत	54,34,460	0	37,07,868	0
प्रभारित	43,768	0	35,112	0
34. बिहार लोक सेवा आयोग				
प्रभारित	1,98,284	0	1,94,055	0
35. योजना एवं विकास विभाग				
दत्तमत	1,15,65,735	2,55,61,165	61,57,949	1,20,28,144
36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग				
दत्तमत	42,13,710	1,48,68,271	32,02,759	88,52,585
37. ग्रामीण कार्य विभाग				
दत्तमत	1,12,19,494	4,60,53,345	28,20,216	4,00,21,204
38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग				
दत्तमत	14,52,347	0	10,23,912	0
39. आपदा प्रबंधन विभाग				
दत्तमत	1,11,62,000	4,000	45,43,652	2,021
40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग				
दत्तमत	70,64,162	3,17,652	48,22,798	1,65,360
41. पथ निर्माण विभाग				
दत्तमत	1,25,87,476	5,29,06,400	89,90,956	4,62,93,233
42. ग्रामीण विकास विभाग				
दत्तमत	6,72,58,388	3,00,001	3,12,64,217	94,907
43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग				
दत्तमत	11,58,418	3,82,101	6,23,853	2,27,599

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
( ₹ हजार में)			
17,26,592	0	0	0
8,656	0	0	0
4,229	0	0	0
54,07,786	1,35,33,021	0	0
10,10,951	60,15,686	0	0
83,99,278	60,32,141	0	0
4,28,435	0	0	0
66,18,348	1,979	0	0
22,41,364	1,52,292	0	0
35,96,520	66,13,167	0	0
3,59,94,171	2,05,094	0	0
5,34,565	1,54,502	0	0

विनियोग लेखे का

अनुदान/विनियोग की संख्या और नाम	कुल अनुदान/ विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
	( ₹ हजार में)			
44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दत्तमत	1,16,97,165	10,000	94,23,255	10,000
45. गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत	25,50,707	16,76,223	8,48,336	6,324
46. पर्यटन विभाग दत्तमत	2,41,534	14,10,500	1,94,302	6,67,300
47. परिवहन विभाग दत्तमत	5,30,026	70,000	4,19,444	28,000
48. नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत	3,30,05,880	10,000	1,77,84,594	0
49. जल संसाधन विभाग दत्तमत	95,51,983	2,51,15,000	76,49,013	1,24,88,769
50. लघु जल संसाधन विभाग दत्तमत	65,19,176	36,17,900	27,65,045	18,07,877
51. समाज कल्याण विभाग दत्तमत	7,41,78,643	5,000	4,90,24,912	0
कुल दत्तमत :	96,39,09,463	31,85,84,842	65,98,50,359	19,28,38,151
कुल प्रभारित :	8,16,68,246	3,60,63,361	7,21,89,904	3,60,89,519
<b>कुल जोड़ :</b>	<b>1,04,55,77,709</b>	<b>35,46,48,203</b>	<b>73,20,40,263</b>	<b>22,89,27,670</b>

सारांश- क्रमशः

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय			
बचत		अधिक व्यय (वास्तविक अधिक व्यय रूप्यों में)	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
( ₹ हजार में)			
22,73,910	0	0	0
17,02,371	16,69,899	0	0
47,232	7,43,200	0	0
1,10,582	42,000	0	0
1,52,21,286	10,000	0	0
19,02,970	1,26,26,231	0	0
37,54,131	18,10,023	0	0
2,51,53,731	5,000	0	0
30,40,59,104	12,57,46,691	0	0
94,78,342	0	0	26,158
<b>31,35,37,446</b>	<b>12,57,46,691</b>	<b>0</b>	<b>26,158</b>

विनियोग लेखे का सारांश - क्रमशः

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय का नियमितकरण अपेक्षित है

संख्या एवं अनुदान/विनियोग का नाम

अनुभाग

14- ऋण अदायगियाँ

पूँजी (प्रभारित)

**विनियोग लेखे का सारांश- क्रमशः**

विनियोग लेखे का सारांश में दिखाए गए व्यय में आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेकर किए गए वैसे खर्च शामिल नहीं है जिनकी वर्ष के अंत तक प्रतिपूर्ति नहीं की गई। व्यय का विवरण नीचे दिया गया है :-

---

अनुदान /विनियोग संख्या	लेखा का मुख्य शीर्ष	वर्ष के दौरान आकस्मिकता निधि से ली गई अग्रिम की राशि लेकिन जिन्हें वर्ष 2014-15 के अंत तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।
------------------------	---------------------	---

---

(₹ हजार में)

शून्य



### विनियोग लेखे का सारांश- क्रमांत

चूँकि अनुदान और विनियोग व्यय हेतु अपेक्षित सकल राशियों के लिये हैं, अतएव उनके सामने दर्शाये गये व्यय के आँकड़ों में वे वसूलियाँ सम्मिलित नहीं है जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में कमी के रूप में किया जाता है। निवल व्यय के आँकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं ।

वर्ष 2014-15 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गए कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

दत्तमत		प्रभारित	
राजस्व	पूँजी	राजस्व	पूँजी
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	

विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	65,98,50,359	19,28,38,151	7,21,89,904	3,60,89,519
घटायें- कुल वसूलियाँ	63,39,508	76,46,988	1,000	0
निवल कुल व्यय जैसा कि वित्त लेखे, खण्ड I के विवरण 11 में दिखाया गया है ।	65,35,10,851	18,51,91,163	7,21,88,904	3,60,89,519

ऊपर वर्णित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दिये गये हैं।

---

## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

---

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा / अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढाँचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।




मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियाँ के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले बिहार सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

दिनांक :

स्थान : नई दिल्ली



( शशि कान्त शर्मा )

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



**अनुदान संख्या - 1 - कृषि विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2401	फसल कृषि-कर्म			
2402	मृदा तथा जल संरक्षण			
2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
2435	अन्य कृषि कार्यक्रम			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		2,80,09,481	3,60,70,398	2,01,61,633
अनुपूरक		80,60,917		(-)1,59,08,765
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>				<b>1,34,81,138</b>
30 जून 2014	10,17,709			
26 नवम्बर 2014	10,74,190			
31 मार्च 2015	1,13,89,239			
<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4401	फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
6401	फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		2,58,539	4,88,507	1,50,454
अनुपूरक		2,29,968		(-)3,38,053
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>				<b>3,38,053</b>
30 जून 2014	1,20,259			
26 नवम्बर 2014	1,11,720			
31 मार्च 2015	1,06,074			

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 1,59,087.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 67,220.73 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 13,388.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 80,609.17 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,34,811.38 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,59,087.65 लाख) से ₹ 24,276.27 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2401 फसल कृषि-कर्म</b>			
00			
001 निदेशन एवं प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0102 कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	45.97	45.97	0.00
मूल	213.19		
पुनर्वि०	(-)167.22		
₹ 167.22 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0103 नई कार्य योजना का राज्यांश-एग्रीकल्चरल मार्केटिंग	0.00	0.00	0.00
मूल	846.00		
पुनर्वि०	(-)846.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0106 परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण (नई राज्य योजना कार्यक्रम)	403.18	316.01	(-)87.17
मूल	549.90		
पुनर्वि०	(-)146.72		
₹ 146.72 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0112 वेयरहाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	409.63	375.54	(-)34.09
मूल	2,707.20		
पुनर्वि०	(-)2,297.57		
₹ 2,297.57 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 खाद्यान्नों की फसलें योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	9,678.93	5,909.88	(-)3,769.05
मूल	2,284.00		
अनुपूरक	7,394.93		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0301 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	22.50	22.50	0.00
मूल	1,692.00		
अनुपूरक	(-)1,669.50		
₹ 1,669.50 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 बीज ( गैर-योजना)			
0001 बीज गुणन फार्म	1,261.55	1,232.34	(-)29.21
मूल	1,445.55		
पुनर्वि०	(-)184.00		
₹ 184.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना ( केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0417 गुणवत्ता बीजों के उत्पादन एवं वितरण हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण	79.53	56.75	(-)22.78
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	2,830.50		
पुनर्वि०	(-)3,750.97		
₹ 3,750.97 लाख का प्रत्यर्पण भारत सरकार से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना ( राज्य योजना)			
0109 बीज गुणन फार्मों का विस्तार-खेती पर व्यय	2,763.65	2,690.49	(-)73.16
मूल	5,076.00		
अनुपूरक	4,017.20		
पुनर्वि०	(-)6,329.55		
₹ 6,329.55 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0115 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	394.35	383.04	(-)11.31
मूल	3,384.00		
अनुपूरक	112.42		
पुनर्वि०	(-)3,102.07		
₹ 3,102.07 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ब्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 खाद तथा उर्वरक ( गैर-योजना)			
0001 कम्पोस्ट खाद योजना	176.09	167.55	(-)8.54
मूल	243.99		
पुनर्वि०	(-)67.90		
₹ 67.90 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0106 जैविक खेती का उन्नयन	6,491.00	6,491.00	0.00
मूल	16,920.00		
पुनर्वि०	(-)10,429.00		
₹ 10,429.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0207 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	4,000.00	4,000.00	0.00
मूल	5,200.00		
अनुपूरक	1,800.00		
पुनर्वि०	(-)3,000.00		
₹ 3,000.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0307 राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	1,723.19	1,723.19	0.00
मूल	3,807.00		
पुनर्वि०	(-)2,083.81		
₹ 2,083.81 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
108 वाणिज्यिक फसलें (गैर-योजना)			
0001 जूट विकास योजना	327.36	327.36	0.00
मूल	411.69		
पुनर्वि०	(-)84.33		
₹ 84.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0116 टाल और दियारा विकास योजना	1,081.68	995.90	(-)85.78
मूल	592.20		
अनुपूरक	685.58		
पुनर्वि०	(-)196.10		
₹ 196.10 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0220 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन	671.00	168.21	(-)502.79
मूल	871.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
₹ 200.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0320 राष्ट्रीय तेलहन एवं पाम ऑयल मिशन	178.00	96.96	(-)81.04
मूल	532.98		
अनुपूरक	97.02		
पुनर्वि०	(-)452.00		
₹ 452.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
109 विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्रमंडलीय, जिला एवं अनुमंडलीय स्थापना	15,169.47	14,728.23	(-)441.24
मूल	21,082.79		
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)6,113.32		
₹ 886.23 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 5,227.09 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	8,590.39	8,590.39	0.00
मूल	15,972.00		
अनुपूरक	5,599.74		
पुनर्वि०	(-)12,981.35		
₹ 12,849.38 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा कमी, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । ₹ 132.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106 इन्टेन्सिफाइड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	7,282.08	7,282.08	0.00
मूल	7,698.60		
अनुपूरक	4,503.88		
पुनर्वि०	(-)4,920.40		
₹ 4,920.40 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0114 एग्री बिजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बाह्य सम्पोषित परियोजना (ई०ए०पी०)	25.80	25.80	0.00
मूल	3,384.00		
अनुपूरक	40.00		
पुनर्वि०	(-)3,398.20		
₹ 3,398.20 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0216 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०भी०वाई०) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)	35,259.00	35,259.00	0.00
मूल	48,900.28		
पुनर्वि०	(-)13,641.28		
₹ 13,641.28 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0217 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	1,883.70	0.00	(-)1,883.70
मूल	7,543.00		
अनुपूरक	6,637.37		
पुनर्वि०	(-)12,296.67		
₹ 12,296.67 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0317 राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	3,747.79	3,513.63	(-)234.16
मूल	3,869.37		
अनुपूरक	630.63		
पुनर्वि०	(-)752.21		
₹ 752.21 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
113 कृषि अभियंत्रण योजना (राज्य योजना)			
0105 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	15,566.40	15,566.40	0.00
मूल	15,566.40		
अनुपूरक	8,300.00		
पुनर्वि०	(-)8,300.00		
₹ 8,300.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें (गैर-योजना)			
0001 उद्यान विकास योजना	1,204.55	1,142.75	(-)61.80
मूल	1,622.52		
पुनर्वि०	(-)417.97		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 43.00 लाख के प्रावधान में कमी एवं ₹ 374.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 उद्यान विकास योजना	8,545.00	8,545.00	0.00
मूल	6,885.00		
अनुपूरक	2,885.91		
पुनर्वि०	(-)1,225.91		
₹ 1,225.91 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0224 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	700.00	700.00	0.00
मूल	4,454.00		
पुनर्वि०	(-)3,754.00		
₹ 3,754.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0324 राष्ट्रीय बागवानी मिशन	1,399.45	1,399.45	0.00
मूल	3,690.00		
पुनर्वि०	(-)2,290.55		
₹ 2,290.55 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0106 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	1,137.63	1,137.63	0.00
मूल	1,274.00		
अनुपूरक	708.15		
पुनर्वि०	(-)844.52		
₹ 844.52 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0113 टाल और दियारा विकास योजना	153.60	122.78	(-)30.82
मूल	98.00		
अनुपूरक	132.16		
पुनर्वि०	(-)76.56		
₹ 76.56 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0116 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	63.58	60.98	(-)2.60
मूल	560.00		
अनुपूरक	21.67		
पुनर्वि०	(-)518.09		
₹ 518.09 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0117 बीज उत्पादन कार्यक्रम	350.26	340.61	(-)9.65
मूल	840.00		
अनुपूरक	774.40		
पुनर्वि०	(-)1,264.14		
₹ 1,264.14 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्ध्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0120 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	2,576.00	2,576.00	0.00
मूल	2,576.00		
अनुपूरक	1,600.00		
पुनर्वि०	(-)1,600.00		
₹ 1,600.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0124 एग्रीकल्चर मार्केटिंग	0.00	0.00	0.00
मूल	140.00		
पुनर्वि०	(-)140.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0125 बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	1,288.34	1,182.31	(-)106.03
मूल	5,152.72		
पुनर्वि०	(-)3,864.38		
₹ 3,864.38 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0126 जैविक खेती का उन्नयन	785.87	722.17	(-)63.70
मूल	2,800.00		
पुनर्वि०	(-)2,014.13		
₹ 2,014.13 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0127 कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	35.28		
पुनर्वि०	(-)35.28		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0128 वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	78.88	64.37	(-)14.51
मूल	448.00		
पुनर्वि०	(-)369.12		
प्रावधान में ₹ 369.12 लाख की हुई कमी, ₹ 64.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 433.12 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 433.12 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0129 परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं सूत्रीकरण-नई राज्य योजना कार्यक्रम	36.78	35.63	(-)1.15
मूल	98.00		
पुनर्वि०	(-)61.22		
₹ 61.22 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0130 उद्यान विकास योजना	1,448.85	1,403.57	(-)45.28
मूल	1,030.00		
अनुपूरक	556.32		
पुनर्वि०	(-)137.47		
₹ 137.47 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0132 एग्री विजनेस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	0.00	0.00	0.00
मूल	560.00		
पुनर्वि०	(-)560.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0203 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	6,796.92	6,796.92	0.00
मूल	9,426.56		
पुनर्वि०	(-)2,629.64		
₹ 2,629.64 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0323 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	280.00		
पुनर्वि०	(-)280.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0134 इन्टेसिफाईड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट (नई योजना)	44.48	42.69	(-)1.79
मूल	127.40		
अनुपूरक	54.91		
पुनर्वि०	(-)137.83		
₹ 137.83 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0140 बीज उत्पादन कार्यक्रम	2.66	2.62	(-)0.04
मूल	84.00		
अनुपूरक	48.40		
पुनर्वि०	(-)129.74		
₹ 129.74 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0143 प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	257.60	257.60	0.00
मूल	257.60		
अनुपूरक	100.00		
पुनर्वि०	(-100.00)		
₹ 100.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0146 बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीजोत्पादन कार्यक्रम	11.30	11.28	(-0.02)
मूल	56.00		
अनुपूरक	1.35		
पुनर्वि०	(-46.05)		
₹ 46.05 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0147 बाढ़/सुखाड़ की आपातकालीन योजना	68.82	60.80	(-8.02)
मूल	575.54		
पुनर्वि०	(-506.72)		
₹ 506.72 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0148 जैविक खेती का उन्नयन	25.30	24.92	(-0.38)
मूल	280.00		
पुनर्वि०	(-254.70)		
₹ 254.70 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0150 वेयर हाउसिंग एवं स्टोरेज का विकास	5.96	5.96	0.00
मूल	44.80		
पुनर्वि०	(-38.84)		
₹ 38.84 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0154 एग्री विजनेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (ई०ए०पी०)	0.00	0.00	0.00
मूल	56.00		
पुनर्वि०	(-56.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0231 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)	424.81	424.81	0.00
(ए०सी०ए०)			
मूल	589.16		
पुनर्वि०	(-164.35)		
₹ 164.35 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2402</b>	<b>मृदा तथा जल संरक्षण</b>		
00			
101	मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण ( गैर-योजना)		
0001	सर्वे स्थापना	62.65	60.51 (-)2.14
	मूल	102.37	
	पुनर्वि०	(-)39.72	
	₹ 39.72 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
102	मृदा संरक्षण ( गैर-योजना)		
0004	क्षेत्रीय स्थापना	292.97	293.40 (+)0.43
	मूल	327.65	
	पुनर्वि०	(-)34.68	
	₹ 34.68 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0112	भूमि संरक्षण कार्य	2,357.20	1,119.14 (-)1,238.06
	मूल	1,949.00	
	अनुपूरक	448.20	
	पुनर्वि०	(-)40.00	
	₹ 40.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0213	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	1,147.00	1,147.00 0.00
	मूल	1,242.00	
	अनुपूरक	5,758.00	
	पुनर्वि०	(-)5,853.00	
	₹ 5,853.00 का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।		
0313	एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	114.00	0.00 (-)114.00
	मूल	166.00	
	अनुपूरक	1,907.21	
	पुनर्वि०	(-)1,959.21	
	₹ 1,959.21 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		



**अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	भूमि संरक्षण कार्य	454.40	215.79
	मूल	318.00	
	अनुपूरक	86.40	
	पुनर्वि०	50.00	
	₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>2415</b>	<b>कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा</b>		
01	फसल कृषि कर्म		
004	अनुसंधान (राज्य योजना)		
0107	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	381.46	372.71
	मूल	846.00	
	अनुपूरक	351.00	
	पुनर्वि०	(-)815.54	
	₹ 815.54 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
277	शिक्षा (गैर-योजना)		
0006	सेवाकाल में प्रशिक्षण प्रसार एवं शिक्षा पर्षद की योजना	180.74	180.06
	मूल	254.06	
	पुनर्वि०	(-)73.32	
	₹ 73.32 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	349.62	9.52
	मूल	79.52	
	अनुपूरक	274.73	
	पुनर्वि०	(-)4.63	
	₹ 4.63 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0108	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	12,221.10	1,781.20
	मूल	12,221.10	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0109 कृषि महाविद्यालय, शाहाबाद प्रक्षेत्र	3,990.09	3,990.09	0.00
मूल	4,363.67		
अनुपूरक	473.58		
पुनर्वि०	(-847.16)		
₹ 847.16 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0110 कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	1,868.20	1,868.20	0.00
मूल	3,079.44		
अनुपूरक	920.00		
पुनर्वि०	(-2,131.24)		
₹ 2,131.24 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	230.66	230.66	0.00
मूल	509.60		
अनुपूरक	188.00		
पुनर्वि०	(-466.94)		
₹ 466.94 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0102 कृषि महाविद्यालय, शाहाबाद प्रक्षेत्र	523.60	523.60	0.00
मूल	722.12		
अनुपूरक	220.64		
पुनर्वि०	(-419.16)		
₹ 22.21 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 396.95 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
0103 बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2,022.41	200.00	(-1,822.41)
मूल	2,022.41		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0105 राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	65.23	0.00	(-65.23)
मूल	13.16		
अनुपूरक	52.96		
पुनर्वि०	(-0.89)		
₹ 0.89 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106 कृषि महाविद्यालय, किशनगंज	4,737.90	3,200.00	(-1,537.90)
मूल	1,537.90		
अनुपूरक	3,200.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0107	मिट्टी, बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	19.60	18.69	(-)0.91
	मूल	140.00		
	अनुपूरक	40.00		
	पुनर्वि०	(-)160.40		
	₹ 160.40 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया	14.14	14.14	0.00
	मूल	50.96		
	अनुपूरक	18.00		
	पुनर्वि०	(-)54.82		
	₹ 54.82 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0104	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	202.24	2.90	(-)199.34
	मूल	202.24		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106	कृषि महाविद्यालय, शाहाबाद प्रक्षेत्र	22.68	22.68	0.00
	मूल	72.21		
	अनुपूरक	35.87		
	पुनर्वि०	(-)85.40		
	प्रावधान में ₹ 85.40 लाख की हुई कमी, ₹ 22.21 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 107.61 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 107.61 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई । वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
07	बगान			
277	शिक्षा			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	568.44	568.44	0.00
	मूल	1,441.58		
	पुनर्वि०	(-)873.14		
	₹ 873.14 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
80	सामान्य			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा	106.46	106.46	0.00
	मूल	238.56		
	पुनर्वि०	(-)132.10		
	₹ 132.10 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 1 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2435 अन्य कृषि कार्यक्रम</b>			
01 विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण			
102 श्रेणीबद्ध करने तथा गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाएं (गैर-योजना)			
0003 बीज परीक्षण प्रयोगशाला	355.25	349.59	(-)5.66
मूल	417.27		
पुनर्वि०	(-)62.02		
₹ 62.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0007 कृषि विभाग	277.94	277.94	0.00
मूल	350.88		
पुनर्वि०	(-)72.94		
₹ 72.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
106 भार एवं माप का विनियमन (गैर-योजना)			
0001 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना	686.73	686.34	(-)0.39
मूल	886.17		
पुनर्वि०	(-)199.44		
₹ 35.16 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 164.28 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 1 - क्रमांत**

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

(iv) ₹ 3,380.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,361.23 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 938.45 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,299.68 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	1,250.42	1,250.42	0.00
मूल	2,300.00		
अनुपूरक	1,854.58		
पुनर्वि०	(-)2,904.16		
₹ 2,904.16 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	0.00	0.00
मूल	175.00		
अनुपूरक	178.75		
पुनर्वि०	(-)353.75		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	10.09	10.09	0.00
मूल	25.00		
अनुपूरक	22.32		
पुनर्वि०	(-)37.23		
₹ 37.23 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			
0102 कृषि विभाग के भवनों	0.00	0.00	0.00
मूल	85.39		
पुनर्वि०	(-)85.39		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण किये जाने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 2 - पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2403 पशुपालन			
2404 डेरी विकास			
2405 मछली पालन			
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
दत्तमत :			
मूल	53,11,258	65,89,084	44,73,138
अनुपूरक	12,77,826		(-)21,15,946
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			20,05,424
26 जून 2014	8,890		
27 अक्टूबर 2014	8,463		
19 नवम्बर 2014	415		
28 फरवरी 2015	5,528		
31 मार्च 2015	19,82,128		

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 21,159.46 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 134.15 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 10,308.47 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 2,335.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,778.26 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 20,054.24 लाख), अंतिम बचत (₹ 21,159.46 लाख) से ₹ 1,105.22 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2403 पशुपालन</b>			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय स्थापना			
मूल	472.59	548.40	0.00
अनुपूरक	136.76		
पुनर्वि०	(-)60.95		
₹ 60.95 लाख का प्रत्यर्पण कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त/निलंबित/स्थानान्तरण होने तथा अवकाश के नगदीकरण नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
0003 अधीक्षण-क्षेत्रीय स्थापना	1,749.94	1,749.94	0.00
मूल	2,202.57		
पुनर्वि०	(-)452.63		
₹ 452.63 लाख का प्रत्यर्पण, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के पदस्थापन नहीं होने के कारण हुई ।			
101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0003 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	9,178.87	9,102.45	(-)76.42
मूल	10,591.90		
पुनर्वि०	(-)1,413.03		
₹ 1,413.03 लाख का प्रत्यर्पण, सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (ए०सी०पी०) मद में बकाए वेतन के भुगतान नहीं होने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 अस्पताल, औषधालय एवं अन्य स्थापना	1,514.33	1,512.79	(-)1.54
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,485.67		
₹ 1,485.67 लाख का प्रत्यर्पण, नई स्थापित 300 प्रथम वर्गीय चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक / पशु सहायक/चौकीदार-सह-सफाई कर्मी के नियुक्ति नहीं होने, कुछ योजनाओं के स्वीकृति नहीं होने तथा योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 पशु तथा भैंस विकास (गैर-योजना)			
0001 पशु प्रजनन प्रक्षेत्र (पटना एवं डुमराँव)	178.50	191.18	(+)12.68
मूल	364.67		
पुनर्वि०	(-)186.17		
₹ 186.17 लाख का प्रत्यर्पण, अधिक संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0006 पशु प्रजनन एवं विकास परियोजना	3,966.99	3,932.39	(-)34.60
मूल	4,446.39		
अनुपूरक	39.50		
पुनर्वि०	(-)518.90		
₹ 518.90 लाख का प्रत्यर्पण, ए०सी०पी० मद में कर्मचारियों के बकाया भुगतान नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 फ्रोजेन सीमेन बैंक	281.40	281.40	0.00
मूल	300.00		
अनुपूरक	130.15		
पुनर्वि०	(-)148.75		
₹ 148.75 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
103 कुक्कुट विकास (गैर-योजना)			
0003 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	574.11	470.76	(-)103.35
मूल	599.58		
पुनर्वि०	(-)25.47		
₹ 25.47 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 रेंज मुर्गीपालन प्रक्षेत्र एवं केन्द्रीय मुर्गीपालन विकास और मुर्गीपालन खाद्य के उत्पादन एवं वितरण की योजना	592.62	592.66	(+)0.04
मूल	800.00		
अनुपूरक	2,010.80		
पुनर्वि०	(-)2,218.18		
₹ 2,218.18 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्भव्य में कमी तथा कुछ योजनाओं की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0211 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	117.00		
पुनर्वि०	(-)117.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			



अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0212 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-1,000.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
104 भेड़ एवं ऊन विकास योजना (राज्य योजना)			
0102 अजा एवं अवि का पोषण एवं विकास	415.64	412.63	(-)3.01
मूल	450.00		
अनुपूरक	46.17		
पुनर्वि०	(-80.53)		
₹ 80.53 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0205 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,330.00		
पुनर्वि०	(-1,330.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
106 अन्य पशु-धन विकास योजना (राज्य योजना)			
0101 दुग्ध, अंडा, मांस एवं ऊन के उत्पादन का सर्वेक्षण	8.09	8.10	(+)0.01
मूल	50.00		
अनुपूरक	42.73		
पुनर्वि०	(-84.64)		
₹ 84.64 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0210 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	211.82	211.83	(+)0.01
मूल	2,393.00		
अनुपूरक	1,094.15		
पुनर्वि०	(-3,275.33)		
₹ 3,275.33 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी एवं कुछ योजनाओं की स्वीकृति विलम्ब/नहीं मिलने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0212 राष्ट्रीय मवेशी प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	582.19		
पुनर्वि०	(-582.19)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0310 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	111.56	111.32	(-)0.24
मूल	750.00		
पुनर्वि०	(-638.44)		
₹ 638.44 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0312 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	46.53		
पुनर्वि०	(-)46.53		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी (गैर-योजना)			
0002 पशु एवं मत्स्य पालन विभाग में सांख्यिकी इकाईयाँ	114.40	112.16	(-)2.24
मूल	143.11		
पुनर्वि०	(-)28.71		
₹ 28.71 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0206 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	358.30		
पुनर्वि०	(-)358.30		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0207 राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	110.57		
पुनर्वि०	(-)110.57		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0306 राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	82.68		
पुनर्वि०	(-)82.68		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2404 डेरी विकास</b>			
00			
102 डेरी विकास परियोजनाएं ( गैर-योजना )			
0010 क्षेत्रीय स्थापना	601.51	586.72	(-)14.79
मूल	678.84		
अनुपूरक	4.00		
पुनर्वि०	(-)81.33		
₹ 81.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 प्रशिक्षण	199.79	134.27	(-)65.52
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)0.21		
₹ 0.21 लाख का प्रत्यर्पण, योजना का संपादन नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0112 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	25.00		
पुनर्वि०	(-)25.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0114 राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश की प्राप्ति नहीं होने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 ग्रामीण डेरी रोजगार योजनाएं	1,559.45	1,487.39	(-)72.06
मूल	1,715.20		
पुनर्वि०	(-)155.75		
₹ 155.75 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2405</b>	<b>मछली पालन</b>		
<i>00</i>			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	मत्स्य विकास योजना	1,383.20	1,362.58 (-)20.62
	मूल	1,627.59	
	पुनर्वि०	(-)244.39	
	₹ 244.39 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) का बकाया पर व्यय संबंधित विपत्र की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	मत्स्य निदेशालय का पुनर्गठन	69.53	59.16 (-)10.37
	मूल	143.25	
	पुनर्वि०	(-)73.72	
	₹ 73.72 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0102	मत्स्य प्रसार	484.94	454.88 (-)30.06
	मूल	541.08	
	पुनर्वि०	(-)56.14	
	₹ 56.14 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
101	अन्तर्देशीय मछली पालन (गैर-योजना)		
0001	मत्स्य पालक विकास अभिकरण	575.93	557.23 (-)18.70
	मूल	804.80	
	पुनर्वि०	(-)228.87	
	₹ 228.87 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशिक्षण, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा एम०ए०सी०पी० का बकाया पर व्यय संबंधित विपत्र की निकासी नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)		
0417	मत्स्य पालकों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय योजना अनुपूरक	152.65	67.80 (-)84.85
	अनुपूरक	152.65	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 2 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(राज्य योजना)			
0103	मन मत्स्य का विकास			
	मूल	82.12	1.99	0.00
	पुनर्वि०	(-80.13		
	₹ 80.13 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई ।			
0104	तालाब मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार	810.35	774.59	(-35.76
	मूल	2,650.00		
	अनुपूरक	1,300.00		
	पुनर्वि०	(-3,139.65		
	₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 3,039.65 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0107	मत्स्य अनुसंधान योजना	7.71	7.71	0.00
	मूल	35.00		
	पुनर्वि०	(-27.29		
	₹ 27.29 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई ।			
0116	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,500.00	1,153.93	(-346.07
	मूल	1,500.00		
	अनुपूरक	375.00		
	पुनर्वि०	(-375.00		
	₹ 375.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	मछुआरों को सहायता	1,173.30	1,055.41	(-117.89
	मूल	1,173.90		
	पुनर्वि०	(-0.60		
	₹ 0.60 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोग योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0109	मछुआरों को सहायता	333.35	292.31	(-41.04
	मूल	334.65		
	पुनर्वि०	(-1.30		
	₹ 1.30 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 2 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा</b>			
03 पशुपालन			
277 शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-100.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय			
(गैर-योजना)			
0008 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	140.77	138.84	(-1.93)
मूल	181.13		
पुनर्वि०	(-40.36)		
₹ 40.36 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा विशेष सचिव, अवर सचिव, निजी सचिव के सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण एवं वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</b>			
01 जनगणना			
001 निदेशन और प्रशासन			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0405 पशुधन गणना	508.59	528.15	(+19.56)
अनुपूरक	630.85		
पुनर्वि०	(-122.26)		
₹ 122.26 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश विलंब से प्राप्त होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 3 - भवन निर्माण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2059 लोक निर्माण कार्य			
2216 आवास			
3053 नागर विमानन			
दत्तमत :			
मूल	47,36,748	48,57,968	39,36,500
अनुपूरक	1,21,220		(-)9,21,468
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			9,15,437
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय			
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	2,19,23,236	2,84,26,423	1,12,28,544
अनुपूरक	65,03,187		(-)1,71,97,879
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,67,97,529
6 मई 2014	1,00,000		
4 सितम्बर 2014	4,60,000		
2 फरवरी 2015	44,00,000		
31 मार्च 2015	1,18,37,529		
टीका एवं टिप्पणियाँ-			
राजस्व ( दत्तमत )			

(i) ₹ 9,214.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 855.49 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 356.91 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,212.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 9,154.37 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,214.68 लाख) से ₹ 60.31 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2059 लोक निर्माण कार्य</b>			
01 कार्यालय भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0008 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र भवनों का संधारण	50.90	48.73	(-)2.17
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)149.10		
₹ 149.10 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0014 कृषि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	75.32	75.32	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)74.68		
₹ 74.68 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
0016 शिक्षा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	13.68	6.21	(-)7.47
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)136.32		
₹ 136.32 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0017 विधि विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	257.70	257.70	0.00
मूल	771.00		
पुनर्वि०	(-)513.30		
₹ 513.30 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
0021 गन्ना उद्योग विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	24.01	24.01	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)75.99		
₹ 75.99 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जीर्णोद्धार	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0118 वित्त विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	23.31	23.32	(+)0.01
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)76.69		
₹ 76.69 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0122 लघु जल संसाधन विभाग का जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण	117.07	117.07	0.00
मूल	160.00		
पुनर्वि०	(-)42.93		
₹ 42.93 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103 साज-सामान ( गैर-योजना)			
0001 सचिवालय भवन का साज-सामान	109.73	109.73	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)40.27		
₹ 40.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
60 अन्य भवन			
052 मशीनरी तथा उपकरण योजना			
0401 व्यक्तिगत अशक्तता कानून अधिनियम, 1995 के क्रियान्वयन के लिए योजना (एस०आई०पी०डी०ए०) अनुपूरक	21.33	21.33	0.00
मूल	586.00		
पुनर्वि०	(-)564.67		
₹ 564.67 लाख का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत ( गैर-योजना)			
0013 कारा विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत हेतु	271.20	263.68	(-)7.52
मूल	450.00		
पुनर्वि०	(-)178.80		
₹ 178.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0014 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत	127.87	134.33	(+)6.46
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)172.13		
₹ 172.13 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0016 उपभोक्ता अदालत भवन	34.38	34.38	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)65.62		
₹ 65.62 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 साज-सामान (गैर-योजना)			
0001 बिहार विधानमंडल भवन का साज-सामान	90.05	90.05	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)109.95		
₹ 109.95 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0004 कार्यान्वयन	10,834.93	10,844.63	(+)9.70
मूल	12,803.51		
अनुपूरक	17.01		
पुनर्वि०	(-)1,985.59		
प्रावधान में ₹ 1,985.59 लाख की हुई कमी, ₹ 70.00 लाख की वृद्धि एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,055.59 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,055.59 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
051 निर्माण (गैर-योजना)			
0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	113.79	113.79	0.00
मूल	900.00		
पुनर्वि०	(-)786.21		
₹ 202.80 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 583.41 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
052 मशीनरी तथा उपस्कर (गैर-योजना)			
0001 नई पूर्ति एवं मरम्मत	78.56	78.56	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)21.44		
₹ 21.44 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 कार्यभारित स्थापना	158.91	157.95	(-)0.96
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)841.09		
₹ 841.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0004	विद्युत कार्य	975.94	974.05	(-1.89)
	मूल	1,200.00		
	पुनर्वि०	(-224.06)		
	₹ 224.06 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005	बिहार भवन, नई दिल्ली के अनुरक्षण और मरम्मत हेतु	485.00	485.00	0.00
	विविध उपबंध			
	मूल	400.00		
	पुनर्वि०	85.00		
	प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 85.00 लाख की वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006	नगर निगम एवं नगरपालिका कर	154.87	154.87	0.00
	मूल	75.00		
	अनुपूरक	206.50		
	पुनर्वि०	(-126.63)		
	₹ 126.63 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0010	राज भवन का मरम्मत	91.65	91.65	0.00
	मूल	150.00		
	पुनर्वि०	(-58.35)		
	₹ 58.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0012	माननीय उच्च न्यायालय, पटना के अनुरक्षण एवं	432.66	250.24	(-182.42)
	मरम्मत कार्य			
	मूल	440.00		
	पुनर्वि०	(-7.34)		
	₹ 7.34 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103	साज-समान ( गैर-योजना)			
0004	भवनों का साज-सज्जा	0.00	0.00	0.00
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-20.00)		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0005	राज भवन का साज-सज्जा	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-50.00)		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2216 आवास</b>			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
053 रख-रखाव तथा मरम्मत ( गैर-योजना)			
0001 प्रखंड के भवनों हेतु अन्य रख-रखाव व्यय	344.49	330.75	(-)13.74
मूल	600.00		
पुनर्वि०	(-)255.51		
₹ 255.51 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र के भवनों हेतु अन्य रख-रखाव व्यय	39.06	39.06	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)210.94		
₹ 210.94 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 निबंधन विभाग के आवासीय भवन	80.73	80.73	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)219.27		
₹ 219.27 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 मुख्यमंत्री आवास संख्या-1, अणे मार्ग, पटना में साज-सामान एवं पैनेलिंग की मरम्मत	131.79	131.79	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)68.21		
₹ 68.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3053 नागर विमानन</b>			
02 विमानपत्तन			
102 हवाई अड्डा ( गैर-योजना)			
0001 हवाई अड्डा	4.43	4.43	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)45.57		
₹ 45.57 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः**

**पूँजीगत (दत्तमत)**

- (iv) ₹ 1,71,978.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 59,236.69 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 5,555.18 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 240.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 65,031.87 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,67,975.29 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,71,978.79 लाख) से ₹ 4,003.50 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वाणिज्यकर विभाग के भवन	25.76	25.76	0.00
मूल	592.85		
पुनर्वि०	(-)567.09		
₹ 567.09 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
0105 कोषागार कार्यालय में अतिरिक्त संसाधन का अधिष्ठापन	679.87	679.87	0.00
मूल	2,998.86		
पुनर्वि०	(-)2,318.99		
₹ 2,318.99 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			
<b>4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 कार्यालय भवन			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 भवन	22,696.82	22,541.47	(-)155.35
मूल	18,000.00		
अनुपूरक	20,000.00		
पुनर्वि०	(-)15,303.18		
₹ 15,303.18 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0104 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए समाहरणालय एवं अन्य कार्यालय भवनों का निर्माण	1,573.70	1,573.70	0.00
मूल	3,528.52		
पुनर्वि०	(-)1,954.82		
₹ 1,954.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0105 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए भवनों का निर्माण	1,348.90	1,348.90	0.00
मूल	980.70		
अनुपूरक	691.90		
पुनर्वि०	(-)323.70		
₹ 323.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0106	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के लिये अभिलेख प्रकोष्ठ-सह-कार्यालय भवनों का जीर्णोद्धार मूल 300.00 पुनर्वि० (-)300.00 सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।	0.00	0.00
0107	वित्त विभाग के भवनें मूल 1,500.00 पुनर्वि० (-)1,460.18 ₹ 1,460.18 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।	39.82	39.82
0110	निबंधन विभाग के भवनें मूल 278.44 अनुपूरक 255.00 पुनर्वि० (-)259.46 ₹ 259.46 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	273.98	273.98
0111	उत्पाद विभाग के भवनें मूल 175.00 अनुपूरक 45.00 पुनर्वि० (-)178.18 ₹ 178.18 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	41.82	24.21
0116	संयुक्त श्रम भवन का निर्माण मूल 400.00 अनुपूरक 80.00 पुनर्वि० (-)50.00 ₹ 50.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	430.00	430.00
0118	पंचायती राज विभाग के भवनों का आधुनिकीकरण मूल 151.60 अनुपूरक 464.00 पुनर्वि० (-)560.70 ₹ 560.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	54.90	54.90
0119	कृषि कार्यालय के भवनें मूल 800.00 पुनर्वि० (-)470.06 ₹ 470.06 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	329.94	303.38

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0122	अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	260.00		
	पुनर्वि०	(-)260.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	अनुसूचित जातियों के लिए भवनों			
	मूल	2,300.00	2,220.01	805.44
	पुनर्वि०	(-)79.99		(-)1,414.57
	₹ 79.99 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
60	अन्य भवन			
051	निर्माण			
	(गैर-योजना)			
0015	इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (इ०वी०एम०) गोदाम का	3,219.23	3,059.95	(-)159.28
	निर्माण (निर्वाचन विभाग)			
	मूल	4,000.00		
	पुनर्वि०	(-)780.77		
	₹ 780.77 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0420	उपभोक्ता अदालत फेज-II का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	393.28		
	पुनर्वि०	(-)393.28		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	सचिवालय स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण	0.00	0.00	0.00
	मूल	600.00		
	पुनर्वि०	(-)600.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104	परिसदन का निर्माण एवं संधारण	297.51	297.51	0.00
	मूल	1,400.01		
	पुनर्वि०	(-)1,102.50		
	₹ 1,102.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0105	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण गृह (कारा) विभाग मूल 1000.00 पुनर्वि० (-)114.51 ₹ 114.51 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	885.49	885.49 0.00
0106	स्टेडियम एवं खेल संरचना मूल 3,000.00 अनुपूरक 2,441.92 पुनर्वि० (-)2,388.05 ₹ 2,388.05 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	3,053.87	2,528.87 (-)525.00
0107	सांस्कृतिक संचरना मूल 14,461.00 अनुपूरक 16,956.08 पुनर्वि० (-)12,130.77 ₹ 12,130.77 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	19,286.31	19,236.31 (-)50.00
0108	विरासत संरक्षण-वित्त आयोग मूल 5,000.00 अनुपूरक 1,550.00 पुनर्वि० (-)6,550.00 सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	0.00	0.00 0.00
0112	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई०टी०आई०) के भवनों का निर्माण/पुनर्निर्माण/उन्नयन मूल 1,400.00 पुनर्वि० (-)972.75 ₹ 972.75 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	427.25	416.69 (-)10.56
0116	जिला परिवहन कार्यालयों का निर्माण मूल 560.26 पुनर्वि० (-)217.13 ₹ 217.13 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।	343.13	343.13 0.00
0120	व्यवहार न्यायालय, पटना में जी+7 न्यायालय भवन का निर्माण अनुपूरक 1,000.00 पुनर्वि० (-)1,000.00 सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	0.00	0.00 0.00



अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0121 पटना उच्च न्यायालय का विस्तार	324.78	324.78	0.00
अनुपूरक	4,000.00		
पुनर्वि०	(-3,675.22		
₹ 3,675.22 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0218 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	745.91	525.27	(-)220.64
मूल	1,960.00		
पुनर्वि०	(-1,214.09		
₹ 1,214.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0219 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)(पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग का भवन)	0.00	0.00	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-2,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0318 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	455.27	400.74	(-)54.53
मूल	760.00		
पुनर्वि०	(-)304.73		
₹ 304.73 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
051 निर्माण (गैर-योजना)			
0001 अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 लघु निर्माण	1.91	1.91	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)198.09		
₹ 198.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 सरकारी भवनों में परिवर्द्धन/परिवर्तन संबंधी मुख्य निर्माण	123.58	123.58	0.00
मूल	450.00		
पुनर्वि०	(-)326.42		
₹ 326.42 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0110 न्यायिक भवनों ( भवन निर्माण विभाग)	82.10	82.10	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)167.90		
₹ 167.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0118 पिछड़े वर्गों के आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	169.06	169.06	0.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)230.94		
₹ 230.94 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0119 सरकारी जमीन की घेराबंदी	52.74	52.74	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)447.26		
₹ 447.26 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0220 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	665.47	564.94	(-)100.53
मूल	1,224.00		
पुनर्वि०	(-)558.53		
₹ 558.53 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0320 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	30.28	30.28	0.00
मूल	305.00		
पुनर्वि०	(-)274.72		
₹ 274.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0321 अल्पसंख्यकों के लिए बहुदेशीय विकास कार्यक्रम	968.00	923.09	(-)44.91
अनुपूरक	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)532.00		
₹ 532.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 तकनीकी शिक्षा			
104 पॉलिटेक्नीक			
योजना (राज्य योजना)			
0207 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
योजना (राज्य योजना)			
0116 शहरी अस्पतालों के भवनों का निर्माण	343.99	343.99	0.00
मूल	800.00		
अनुपूरक	2,500.00		
पुनर्वि०	(-2,956.01		
₹ 2,956.01 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
110 अस्पताल तथा औषधालय			
योजना (राज्य योजना)			
0102 ग्रामीण अस्पतालों के भवनों का निर्माण	55.60	55.60	0.00
मूल	1.00		
अनुपूरक	400.00		
पुनर्वि०	(-345.40		
₹ 345.40 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105 एलोपैथी			
योजना (राज्य योजना)			
0116 मेडिकल कॉलेज	0.00	0.00	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश तथा प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>4216 आवास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 सरकारी रिहायशी भवन			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0102 सामान्य प्रशासन विभाग के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	408.81	408.81	0.00
मूल	1,800.00		
पुनर्वि०	(-1,391.19		
₹ 1,391.19 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश तथा प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
700 अन्य आवास (गैर-योजना)			
0003 लोक निर्माण	1,152.10	1,157.39	(+)5.29
मूल	1,600.00		
पुनर्वि०	(-)447.90		
₹ 447.90 लाख का प्रत्यर्पण, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 अन्य आवास	15.00	15.00	0.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)1,485.00		
0102 न्यायिक आवासीय भवनों	192.71	192.71	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)57.29		
0105 न्यायाधीशों के लिए आवास (विधि विभाग)	0.34	0.34	0.00
मूल	1,471.22		
पुनर्वि०	(-)1,470.88		
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 1,485.00 लाख, ₹ 57.29 लाख तथा ₹ 1,470.88 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0206 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		
0306 ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	76.00		
पुनर्वि०	(-)76.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
051 निर्माण योजना			
(राज्य योजना)			
0103 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए आवास अनुपूरक	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति आदेश तथा प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
80	सामान्य			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	737.18	740.24	(+)3.06
	मूल	1,200.00		
	पुनर्वि०	(-)462.82		
	₹ 462.82 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02	समाज कल्याण			
104	वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	वृद्धाश्रम	0.00	0.00	0.00
	मूल	700.00		
	अनुपूरक	1,700.00		
	पुनर्वि०	(-)2,400.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>4250</b>	<b>अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00				
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0207	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
	मूल	3,100.00		
	पुनर्वि०	(-)3,100.00		
0307	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,500.00		
	पुनर्वि०	(-)1,500.00		
	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>4408</b>	<b>खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02	भंडारण तथा भांडागार			
101	ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम (राज्य योजना)			
0101	लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्न का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम	1,168.21	1,167.80	(-)0.41
	मूल	62,300.00		
	पुनर्वि०	(-)61,131.79		
	₹ 61,131.79 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00	पंचायती राज			
101	(राज्य योजना)			
0107	बिहार पंचायत सृष्टीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	6.01	6.01	0.00
	मूल	25,369.78		
	पुनर्वि०	(-)25,363.77		
	₹ 25,363.77 लाख का प्रत्यर्पण, प्रशासनिक विभाग से स्वीकृति एवं प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0106	बिहार पंचायत सृष्टीकरण परियोजना अंतर्गत पंचायत सरकार भवन का निर्माण (विश्व बैंक संपोषित)	0.00	0.00	0.00
	मूल	5,196.22		
	पुनर्वि०	(-)5,196.22		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं प्रमंडलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 3 - क्रमशः**

(vii)	अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
<b>शीर्ष</b>		<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>अधिक व्यय (+)</b>
			<b>(₹ लाख में)</b>	<b>बचत (-)</b>
<b>4235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02	समाज कल्याण			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न भवनों का निर्माण	310.22	360.22	(+)50.00
	मूल	800.00		
	अनुपूरक	200.00		
	पुनर्वि०	(-)689.78		

₹ 689.78 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

(viii) **उचन्त लेन-देन:** (क) इस शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किये गये हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं । लेन-देन, में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं । लघु शीर्ष उचन्त के चार उप-प्रभाग होते हैं; यथा -(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचन्त ।

इनमें से प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देन की प्रकृति नीचे स्पष्ट की गई है :-

- (i) **स्टॉक** - इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है । इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गई सामग्रियों का मूल्य घटा दिया जाता है । स्टॉक का शेष, स्टॉक के अंतर्गत रखी गयी सामग्रियों का सूचक है ।
- (ii) **क्रय** - जब माह के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किए बिना विशिष्ट निर्माण कार्यो या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती है, उनका मूल्य यथास्थिति लेखे के उस विशिष्ट 'कार्य' शीर्ष में या 'स्टॉक' उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर 'क्रय' में जमा दिखाया जाता है । जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि को 'क्रय' शीर्ष में नामे डाल दिया जाता है । इस प्रकार प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है जो प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है । वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को शीर्ष '8658-उचन्त लेखा, 129-सामग्री क्रय पर परिनिर्धारण उचन्त लेखा' के अंतर्गत दर्ज किया जाता है । लेकिन कुछ विभाग, यथा-भवन निर्माण विभाग एवं पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पूर्व के वर्गीकरण को अपना रहे हैं ।
- (iii) **विविध निर्माण कार्य अग्रिम-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार की राशि, जमा निर्माण कार्यो पर प्राप्त राशि से अधिक व्यय की गयी राशि, बट्टे-खाते में डाली गयी रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं । इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं ।

**अनुदान संख्या - 3 - क्रमांत**

(iv) **कार्यशाला उच्चत** - लोक निर्माण कार्य के लिए विभागीय कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार उनकी वसूली या समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं ।

(ख) इनमें प्रत्येक उप-प्रभागों के अंतर्गत 2014-15 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्यौरे और साथ ही उनके आदिशेष तथा अंतशेष नीचे दिये गये हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 को अंतशेष
<b>( ₹ लाख में )</b>					
<b>लोक निर्माण कार्य एवं आवास</b>					
क्रय	(-)2,777.22	0.00	0.00	0.00	(-)2,777.22
स्टॉक	1,349.82	0.00	0.00	0.00	1,349.82
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	10,326.73	2,789.98	0.00	2,789.98	13,116.71
<b>कुल</b>	<b>8,899.33</b>	<b>2,789.98</b>	<b>0.00</b>	<b>2,789.98</b>	<b>11,689.31</b>

(ix) **भवन निर्माण एवं आवास विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की समीक्षा** : लोक निर्माण कार्य विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किये गये कार्य के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष प्रभार को लेखा के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अंतर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है । निम्न तालिका वर्ष 2012-13 से 2014-15 के इन प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय के साथ उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है ।

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी एवं उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
<b>( ₹ लाख में )</b>					
2012-13	40,409.31	3,625.12	6.00	62.26	0.15
2013-14	60,418.64	3,625.12	6.00	103.91	0.17
2014-15	1,37,780.56	15,047.98	10.92	99.89	0.07



**अनुदान संख्या - 4 - मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2013			
2052			
2053			
2070			
2205			
3053			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	13,12,446	14,63,892	10,48,435
अनुपूरक	1,51,446		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			2,40,936
23 मार्च 2015	1,07,023		
31 मार्च 2015	1,33,913		

<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
5053			
<b>नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	1,98,000	1,98,000	1,84,896
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 4,154.57 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 816.48 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 274.70 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 423.28 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,514.46 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,409.36 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,154.57 लाख) से ₹ 1,745.21 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2013 मंत्रिपरिषद</b>			
00			
101 मंत्रियों और उप मंत्रियों का वेतन (गैर-योजना)			
0001 मंत्रिगण	1,222.12	1,216.66	(-)5.46
मूल	942.18		
अनुपूरक	613.73		
पुनर्वि०	(-)333.79		
₹ 333.79 लाख का प्रत्यर्पण, चिकित्सकीय दावा की कम प्राप्ति एवं माननीय मंत्रियों तथा उनके निजी कर्मचारी के पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान (गैर-योजना)			
0002 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	187.00	133.15	(-)53.85
मूल	92.00		
अनुपूरक	95.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
108 दौरा खर्च (गैर-योजना)			
0002 निजी स्टाफ का यात्रा व्यय	9.31	9.31	0.00
मूल	54.00		
अनुपूरक	39.00		
पुनर्वि०	(-)83.69		
₹ 83.69 लाख का प्रत्यर्पण, माननीय मंत्रियों तथा उनके निजी कर्मचारियों के विपत्रों की कम प्राप्ति के कारण हुई।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0001 मंत्रिगण	127.00	104.31	(-)22.69
मूल	94.00		
अनुपूरक	33.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0016 राजभाषा	265.58	264.16	(-)1.42
मूल	292.53		
अनुपूरक	16.60		
पुनर्वि०	(-)43.55		
₹ 43.55 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना			
0101 राजभाषा	108.69	87.05	(-)21.64
मूल	231.00		
पुनर्वि०	(-)122.31		
₹ 122.31 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0147 सचिवालय ग्रंथागार का आधुनिकीकरण एवं पुस्तकों का क्रय	0.00	0.00	0.00
मूल	70.00		
पुनर्वि०	(-)70.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
092 अन्य कार्यालय योजना			
0103 20 सूत्री कार्यक्रम-कार्यकारी उपाध्यक्ष, राज्य स्तरीय समिति एवं उनके निजी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते	22.59	22.59	0.00
मूल	67.00		
पुनर्वि०	(-)44.41		
₹ 44.41 लाख का प्रत्यर्पण, राज्य स्तरीय समिति के एक उपाध्यक्ष के पद रिक्त रहने के कारण हुई ।			
<b>2053 जिला प्रशासन</b>			
00			
093 जिला स्थापना योजना			
0106 जिला प्रशासन के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यालय हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम	200.00	25.90	(-)174.10
मूल	200.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 4 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
094 अन्य स्थापना (गैर-योजना)			
0008 राजभाषा स्थापना	4,538.91	4,470.83	(-)68.08
मूल	4,684.61		
अनुपूरक	300.00		
पुनर्वि०	(-)445.70		
₹ 445.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
00 निदेशन और प्रशासन योजना			
0103 जनशिकायत निवारण व्यवस्था	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.08		
पुनर्वि०	(-)1,000.08		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं मिलने तथा योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई ।			
106 सिविल रक्षा (गैर-योजना)			
0003 बिहार राज्य नागरिक एवं राष्ट्रीय एकता परिषद्	192.65	192.65	0.00
मूल	172.40		
अनुपूरक	95.00		
पुनर्वि०	(-)74.75		
₹ 74.75 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
114 वाहन का क्रय एवं रख-रखाव (गैर-योजना)			
0001 सरकारी वायुयानों का अनुरक्षण	2,036.08	1,044.16	(-)991.92
मूल	2,036.08		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 4 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2205</b>	<b>कला एवं संस्कृति</b>		
00			
104	अभिलेखागार		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	बिहार का गौरव श्रृंखला के प्रकाशनार्थ	21.53	21.53
	मूल	95.00	
	पुनर्वि०	(-73.47	
	₹ 73.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>3053</b>	<b>नागर विमानन</b>		
80	सामान्य		
003	प्रशिक्षण तथा शिक्षा		
	(गैर-योजना)		
0001	प्रशिक्षण तथा शिक्षा	532.89	254.91
	मूल	532.88	
	अनुपूरक	0.01	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

**विनियोग संख्या - 5 - राज्यपाल सचिवालय  
( सभी प्रभारित )**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
<b>2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक</b>			
<b>प्रभारित :</b>			
<b>मूल</b>	99,994	1,06,794	87,861 (-)18,933
<b>अनुपूरक</b>	6,800		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			3,250
<b>(31 मार्च 2015)</b>			

**टीका एवं टिप्पणियाँ**  
**राजस्व ( प्रभारित )**

- (i) ₹ 189.33 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 45.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 23.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 68.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 32.50 लाख), अंतिम बचत (₹ 189.33 लाख) से ₹ 156.83 लाख कम था ।

विनियोग संख्या - 5 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2012</b>	<b>राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक</b>		
03	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक		
101	राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों की परिलब्धियाँ और भत्ते (गैर-योजना)		
0001	राज्यपाल की परिलब्धियाँ	13.20	0.00
	मूल	13.20	
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		
103	पारिवारिक स्थापना (गैर-योजना)		
0001	राज्यपाल की परिलब्धियाँ	129.15	85.76
	मूल	129.15	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		
0008	मरम्मति	0.00	0.00
	मूल	14.10	
	पुनर्वि०	(-)14.10	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		
104	आतिथ्य भत्ता (गैर-योजना)		
0002	दरबार व्यय	30.00	15.53
	मूल	30.00	
108	दौरा खर्च (गैर-योजना)		
0002	विविध दौरा व्यय	69.88	57.82
	मूल	69.88	
	उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		
110	राजकीय वाहन और मोटरकार (गैर-योजना)		
0001	मोटर गाड़ी (नई गाड़ी का क्रय)	26.86	0.00
	अनुपूरक	30.00	
	पुनर्वि०	(-)3.14	
	₹ 3.14 लाख का प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		

**अनुदान संख्या - 6 - निर्वाचन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
<b>2015 निर्वाचन</b>			
दत्तमत :			
मूल	29,28,920	29,28,920	(-)3,25,363
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			2,18,077

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹ 3,253.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के अंतर्गत ₹ 29,289.20 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,180.77 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,253.63 लाख) से ₹ 1,072.86 लाख कम था ।





अनुदान संख्या - 6 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0002 राज्य विधान परिषद् निर्वाचन	60.98	60.61	(-)0.37
मूल	240.00		
पुनर्वि०	(-)179.02		
₹ 179.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
108 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना (गैर-योजना)			
0001 मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	603.40	603.40	0.00
मूल	910.00		
पुनर्वि०	(-)306.60		
₹ 306.60 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 7 - निगरानी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	3,10,707	3,92,685	2,90,419
अनुपूरक	81,978		(-)1,02,266
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,01,394
25 मार्च 2015	8,291		
31 मार्च 2015	93,103		

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 1,022.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 612.68 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 207.10 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 819.78 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,013.94 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,022.66 लाख) से ₹ 8.72 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 7 - क्रमांत**

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :				
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
00				
104	सतर्कता (गैर-योजना)			
0002	मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग	385.98	383.74	(-)2.24
	मूल	378.23		
	अनुपूरक	52.50		
	पुनर्वि०	(-)44.75		
	₹ 44.75 लाख के प्रत्यर्पण, वेतन एवं भत्ते का निकासी नहीं होने, कुछ पदाधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, विद्युत प्रभार तथा प्रशिक्षण पर व्यय नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003	तकनीकी परीक्षक कोषांग	271.36	273.01	(+)1.65
	मूल	286.48		
	अनुपूरक	21.30		
	पुनर्वि०	(-)36.42		
	₹ 36.42 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004	अनुसंधान ब्यूरो	2,087.63	2,081.50	(-)6.13
	मूल	1,727.80		
	अनुपूरक	703.38		
	पुनर्वि०	(-)343.55		
	₹ 343.55 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005	विद्युत निगरानी ऊर्जा चोरी निरोध कोषांग	0.00	0.00	0.00
	मूल	530.43		
	पुनर्वि०	(-)530.43		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0010	घूस की राशि की प्रतिपूर्ति	7.70	7.44	(-)0.26
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-)12.30		
	₹ 12.30 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0014	विशेष निगरानी इकाई	160.24	158.51	(-)1.73
	मूल	164.13		
	अनुपूरक	42.60		
	पुनर्वि०	(-)46.49		
	₹ 46.49 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 8 - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग  
( सभी दत्तमत )

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	9,37,753	9,99,813	6,47,196
अनुपूरक	62,060		(-)3,52,617
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (I) ₹ 3,526.17 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 620.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अंतिम बचत के कोई भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया ।

**अनुदान संख्या - 8 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं</b>			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 युवक कल्याण निदेशालय	67.24	35.62	(-)31.62
मूल	67.24		
101 शारीरिक शिक्षा (गैर-योजना)			
0001 शारीरिक शिक्षा	340.26	251.16	(-)89.10
मूल	337.26		
अनुपूरक	3.00		
102 विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०)-प्रशासन	725.99	631.58	(-)94.41
मूल	725.99		
0002 राष्ट्रीय कैडेट कोर-वरीय शाखा	912.40	724.94	(-)187.46
मूल	912.40		
0003 राष्ट्रीय कैडेट कोर-कनीय शाखा	745.68	570.85	(-)174.83
मूल	745.68		
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0206 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	129.36	0.00	(-)129.36
मूल	129.36		
0306 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	88.20	0.00	(-)88.20
मूल	88.20		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 खेल-कूद (गैर-योजना)			
0001 खेल-कूद	594.92	423.24	(-)171.68
मूल	594.92		

अनुदान संख्या - 8 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0102 खेल-कूद	830.00	208.67	(-)621.33
मूल	830.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0207 पंचायत युवा और खेल अभियान (पी०वाई०ए०के०ए०)	500.00	0.00	(-)500.00
मूल	500.00		
0307 पंचायत युवा और खेल अभियान (पी०वाई०ए०के०ए०)	50.00	0.00	(-)50.00
मूल	50.00		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	24.64	0.00	(-)24.64
मूल	24.64		
0302 राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)	16.80	0.00	(-)16.80
मूल	16.80		
उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2205 कला एवं संस्कृति</b>			
00			
102 कला एवं संस्कृति का संवर्धन (गैर-योजना)			
0001 कला एवं संस्कृति का संवर्धन	517.83	344.55	(-)173.28
मूल	517.83		
योजना (राज्य योजना)			
0101 कला एवं संस्कृति का संवर्धन	1,102.00	880.29	(-)221.71
मूल	1,100.00		
अनुपूरक	2.00		
103 पुरातत्व विज्ञान (गैर-योजना)			
0001 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय	172.09	120.96	(-)51.13
मूल	172.09		
योजना (राज्य योजना)			
0101 पुरातत्व विज्ञान निदेशालय	550.00	192.03	(-)357.97
मूल	550.00		

अनुदान संख्या - 8 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
107 संग्रहालय ( गैर-योजना)			
0001 संग्रहालय	959.46	653.90	(-)305.56
मूल	957.46		
अनुपूरक	2.00		
उपर्युक्त पाँच मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)			
0402 लोक अभिलेखों/पाण्डुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों इत्यादि के संरक्षण और विकास कार्यों के लिए	18.00	0.00	(-)18.00
मूल	18.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 संग्रहालय	1,320.00	1,141.71	(-)178.29
मूल	720.00		
अनुपूरक	600.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय ( गैर-योजना)			
0003 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	273.26	232.46	(-)40.80
मूल	259.66		
अनुपूरक	13.60		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



**अनुदान संख्या - 9 - सहकारिता विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2401	फसल कृषि-कर्म			
2408	खाद्य भंडारण तथा भांडागार			
2425	सहकारिता			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		41,52,652	83,35,343	56,55,485
अनुपूरक		41,82,691		(-)26,79,858
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				24,79,820
13 मार्च 2015	2,84,250			
31 मार्च 2015	21,95,570			

**पूँजी**

**मुख्य शीर्ष**

4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
6425	सहकारिता के लिए कर्ज			
मूल		5,82,750	16,05,862	12,37,360
अनुपूरक		10,23,112		(-)3,68,502
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3,68,502

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 26,798.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 41,380.83 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 308.58 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 137.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 41,826.91 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 24,798.20 लाख), अंतिम बचत (₹ 26,798.58 लाख) से ₹ 2,000.38 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2401 फसल कृषि-कर्म</b>			
00			
110 फसल बीमा योजना (राज्य योजना)			
0110 संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	7,800.00	7,800.00	0.00
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	6,300.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0111 पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फलस बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान-अनुसूचित जाति उप-योजना	3,200.00	3,200.00	0.00
मूल	6,008.21		
पुनर्वि०	(-)2,808.21		
₹ 2,808.21 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0122 पुनरीक्षित राष्ट्रीय कृषि योजना	1,727.00	1,727.00	0.00
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,273.00		
₹ 1,273.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)			
0126 पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फलस बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान-अनुसूचित जनजाति उप-योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	720.66		
पुनर्वि०	(-)720.66		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार</b>			
02 भंडारण और भांडागार			
190 सरकारी क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य भंडार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान	1,437.50	1,437.50	0.00
मूल	1,680.00		
अनुपूरक	1,700.00		
पुनर्वि०	(-)1,942.50		
₹ 1,942.50 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2425 सहकारिता</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0107 सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार	8.14	0.00	(-)8.14
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)991.86		
₹ 991.86 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 सूचना एवं प्रचार योजना (राज्य योजना)			
0101 सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय	5.29	5.29	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)94.71		
₹ 25.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 69.71 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
107 क्रेडिट सहकारी समितियों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0141 पैक्सों को उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	526.50		
पुनर्वि०	(-)526.50		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0415 एकीकृत सहकारी विकास योजना	2.45	2.45	0.00
अनुपूरक	5,528.83		
पुनर्वि०	(-)5,526.38		
₹ 5,526.38 लाख का प्रत्यर्पण, कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 9 - क्रमशः**

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)				
0107	समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	195.00		
	पुनर्वि०	(-)195.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
0114	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को सहायता अनुदान	7,859.70	5,985.56	(-)1,874.14
	मूल	12,626.86		
	अनुपूरक	2,000.00		
	पुनर्वि०	(-)6,767.16		
	₹ 6,767.16 लाख का प्रत्यर्पण, पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 3,685.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 10,231.12 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4425</b>	<b>सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00				
051	निर्माण			
योजना (राज्य योजना)				
0203	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)(एसीए)	2,373.60	2,373.60	0.00
	मूल	4,254.00		
	पुनर्वि०	(-)1,880.40		
	₹ 1,880.40 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी तथा कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
108	अन्य सहकारी समितियों में निवेश			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)				
0465	एकीकृत सहकारी विकास योजना	0.00	0.00	0.00
	अनुपूरक	36.47		
	पुनर्वि०	(-)36.47		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 9 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
6425 सहकारिता के लिए कर्ज 00			
107 जमा सहकारी समितियों को कर्ज योजना (राज्य योजना)			
0106 पैक्सों की उर्वरक भंडारण एवं कारोबार हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	1,573.50		
पुनर्वि०	(-),573.50		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, इस योजना के स्थगित हो जाने के कारण हुई ।			
108 अन्य सहकारी समितियों को कर्ज योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0418 एकीकृत सहकारी विकास योजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	194.65		
पुनर्वि०	(-),194.65		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, कोषागार द्वारा विपत्र पारित नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 10 - ऊर्जा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2059	लोक निर्माण कार्य			
2801	बिजली			
2810	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		3,09,90,000	4,80,96,134	3,78,33,868
अनुपूरक		1,71,06,134		(-)1,02,62,266
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,00,88,204
<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय			
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		3,25,59,700	6,74,23,378	4,41,92,662
अनुपूरक		3,48,63,678		(-)2,32,30,716
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				2,31,70,215
4 दिसम्बर 2014	1,00,00,000			
31 मार्च 2015	1,31,70,215			

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 1,02,622.66 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,000.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 57.58 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 1,70,003.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,71,061.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,00,882.04 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,02,622.66 लाख) से ₹ 1,740.62 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2059 लोक निर्माण कार्य</b>			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0010 विद्युत निष्पादन	2,521.09	810.14	(-)1,710.95
मूल	2,521.09		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2801 बिजली</b>			
02 ताप विद्युत उत्पादन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 बिहार स्टेट पावर जेनेरेशन कंपनी लि०	209.33	209.33	0.00
(बी०एस०पी०जी०सी०एल०) (सम विकास योजना के अंतर्गत सामानों पर भुगतान किए गए प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)790.67		
₹ 790.67 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
05 संचरण तथा वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	798.13	798.13	0.00
(एन०बी०पी०डी०सी०एल०) (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)			
मूल	2000.00		
पुनर्वि०	(-)1,201.87		
₹ 1,201.87 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई ।			
0004 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	0.00	0.00	0.00
(एस०बी०पी०डी०सी०एल०) (राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सामानों पर भुगतान किये गये प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति)			
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
80 सामान्य			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता ( गैर-योजना )			
0004 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	3,14,000.00	3,14,000.00	0.00
मूल	2,40,000.00		
अनुपूरक	1,70,000.00		
पुनर्वि०	(-)96,000.00		
₹ 96,000.00 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>2810 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत</b>			
60 अन्य			
600 ऊर्जा के अन्य स्रोत ( गैर-योजना )			
0002 बिहार अपारम्परिक ऊर्जा विकास अभिकरण को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	853.93		
पुनर्वि०	(-)853.93		
₹ 853.93 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय ( गैर-योजना )			
0017 ऊर्जा विभाग	184.29	160.98	(-)23.31
मूल	159.35		
अनुपूरक	57.58		
पुनर्वि०	(-)32.64		
₹ 32.64 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



**अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः**

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 2,32,307.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,99,000.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 1,49,636.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 3,48,636.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,31,702.16 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,32,307.16 लाख) से ₹ 604.99 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन ( गैर-योजना)			
0001 विद्युत निष्पादन	605.00	0.00	(-)605.00
मूल	605.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4801 बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 ताप विद्युत उत्पादन			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को निवेश योजना (राज्य योजना)			
0203 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक) बी०एस०पी०जी०सी०एल० के लिए	2,210.00	2,210.00	0.00
मूल	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,790.00		
₹ 2,790.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
05 संचरण तथा वितरण			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को निवेश योजना (राज्य योजना)			
0105 बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (बी०एस०पी०टी०सी०एल०) की परियोजना	54,629.96	54,629.96	0.00
मूल	7,000.00		
अनुपूरक	59,100.00		
पुनर्वि०	(-)11,470.04		
₹ 11,470.04 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 10 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0208 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक) एस०बी०पी०टी०सी०एल० के लिए अनुपूरक पुनर्वि० ₹ 72,436.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	17,564.00 90,000.00 (-)-72,436.00	17,564.00	0.00
0209 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक) एस०बी०पी०सी०डी०एल० के लिए मूल पुनर्वि० ₹ 62,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	23,000.00 85,000.00 (-)-62,000.00	23,000.00	0.00
0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी०आर०जी०एफ०) (राज्य घटक) एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए मूल पुनर्वि० ₹ 61,337.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	23,663.00 85,000.00 (-)-61,337.00	23,663.00	0.00
<b>6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज</b>			
00			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज (गैर-योजना)			
0015 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु) मूल पुनर्वि० ₹ 1,810.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	189.91 2,000.00 (-)-1,810.09	189.91	0.00
0016 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु) मूल पुनर्वि० ₹ 2,104.04 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	895.96 3,000.00 (-)-2,104.04	895.96	0.00

अनुदान संख्या - 10 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0017 साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के सूद के भुगतान हेतु)	337.14	337.14	0.00
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	604.83		
पुनर्वि०	(-1,267.69)		
₹ 1,267.69 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0018 नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि० (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से लिए गये ऋण के मूलधन के भुगतान हेतु)	401.51	401.51	0.00
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	1,531.95		
पुनर्वि०	(-2,130.44)		
₹ 2,130.44 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0108 बिहार स्टेट पावर (होलिंडग) कंपनी लिमिटेड की संचरण तथा वितरण परियोजना (बाह्य सम्पोषित योजना)	16,529.57	16,529.57	0.00
मूल	22,000.00		
पुनर्वि०	(-5,470.43)		
₹ 5,470.43 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई ।			
201 पनबिजली उत्पादन योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	1,000.00	1,000.00	0.00
अनुपूरक	3,892.57		
पुनर्वि०	(-2,892.57)		
₹ 2,892.57 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई ।			
0105 बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	5,062.07	5,062.07	0.00
मूल	6,992.00		
पुनर्वि०	(-1,929.93)		
₹ 1,929.93 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्र पारित नहीं होने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 11- पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	1,46,97,931	1,48,60,821	1,44,46,790
अनुपूरक	1,62,890		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 2015 )			(-)4,14,031
			2,55,749

पूँजी  
मुख्य शीर्ष

4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय				
दत्तमत :				
मूल	60,000	60,000	0.00	(-)60,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 4,140.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2014 (₹ 23.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 1,495.90 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 110.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,628.90 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,557.49 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,140.31 लाख) से ₹ 1,582.82 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 11 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>			
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
277 शिक्षा (गैर-योजना)			
0002 छात्रावासों का संधारण	110.01	18.20	(-)91.81
मूल	110.01		
0010 पिछड़ी जातियों के बारह उच्च विद्यालय के छात्राओं के छात्रावास का संधारण	835.83	653.24	(-)182.59
मूल	725.83		
अनुपूरक	110.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0107 छात्रों हेतु छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य (50:50)	100.00	0.00	(-)100.00
मूल	100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0108 छात्राओं के लिए छात्रावास-मुख्य निर्माण कार्य राज्यांश (50:50)	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0213 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, केन्द्र सरकार से मैचिंग ग्रांट विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0024 पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	239.47	206.64	(-)32.83
मूल	203.47		
अनुपूरक	36.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 11 - क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (iv) इस अनुदान के पूँजीगत प्रभाग में ₹ 600.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि यह पूरे वर्ष के दौरान उपयोग नहीं किया गया ।
- (v) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4225</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
03	<i>पिछड़े वर्गों का कल्याण</i>		
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश योजना (राज्य योजना)		
0101	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम हेतु	0.00	0.00
	मूल	100.00	
	पुनर्वि०	(-)100.00	
277	शिक्षा		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास भवनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	0.00	0.00
	मूल	500.00	
	पुनर्वि०	(-)500.00	

उपर्युक्त दो मामलो में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किये जाने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 12- वित्त विभाग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	27,39,723	27,65,705	15,15,827
अनुपूरक	25,982		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			11,51,578
9 जनवरी 2015	37,281		
21 जनवरी 2015	6,30,000		
17 मार्च 2015	15,000		
25 मार्च 2015	15,635		
31 मार्च 2015	4,53,662		
<b>प्रभारित :</b>			
मूल	43,00,100	1,40,52,600	97,52,570
अनुपूरक	97,52,500		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			43,00,000
28 जुलाई 2014			
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय			
7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7999 आकस्मिकता निधि को विनियोजन			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	2,40,000	1,67,40,000	1,34,762
अनुपूरक	1,65,00,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			88,381
(31 मार्च 2015)			
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ-</b>			
<b>राजस्व ( दत्तमत )</b>			

(i) ₹ 12,498.79 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 213.62 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 46.20 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 259.82 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 11,515.78 लाख), अंतिम बचत (₹ 12,498.78 लाख) से ₹ 983.00 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं</b>			
00			
103 लघु उद्योग की पदोन्नति (गैर-योजना)			
0002 जिला प्रभार	271.36	270.59	(-)0.77
मूल	341.83		
पुनर्वि०	(-)70.47		
₹ 70.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0008 वित्त विभाग	3,726.01	3,678.45	(-)47.56
मूल	5,942.34		
अनुपूरक	228.62		
पुनर्वि०	(-)2,444.95		
₹ 183.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 2,261.95 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0015 भविष्य निधि लेखा स्थापना (मुख्यालय)	88.09	88.09	0.00
मूल	135.81		
पुनर्वि०	(-)47.72		
₹ 47.72 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
092 अन्य कार्यालय (गैर-योजना)			
0005 राज्य प्रशासनिक अंकेक्षण स्थापना	1,338.24	1,337.82	(-)0.42
मूल	1,492.10		
अनुपूरक	2.49		
पुनर्वि०	(-)156.35		
₹ 156.35 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन</b>			
00			
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय ( गैर-योजना )			
0002 भविष्य निधि लेखा का संधारण	1,464.12	1,440.18	(-)23.94
मूल	1,838.75		
पुनर्वि०	(-)374.63		
प्रावधान में ₹ 374.63 लाख की हुई कमी ₹ 183.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 557.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 भविष्य निधि लेखा का संधारण	27.19	27.19	0.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)372.81		
0103 बिहार राजस्व प्रशासन इन्ट्रानेट (ब्रेन प्रोजेक्ट एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट)	1,281.02	1,281.02	0.00
मूल	8,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,718.98		
उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 372.81 लाख तथा ₹ 6,718.98 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
097 खजाना स्थापना ( गैर-योजना )			
0001 कोषागार तथा अन्य उप-कोषागार	2,949.95	2,897.04	(-)52.91
मूल	3,698.42		
पुनर्वि०	(-)748.47		
₹ 748.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
098 स्थानीय निधि लेखापरीक्षा ( गैर-योजना )			
0001 स्थानीय निधि लेखापरीक्षा	3,264.37	2641.70	(-)622.67
मूल	3,264.37		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण</b>			
00			
102 फार्मों का मुद्रण, भंडारण तथा वितरण ( गैर-योजना )			
0001 फार्म प्रेस, गया	331.47	331.05	(-)0.42
मूल	547.68		
पुनर्वि०	(-)216.21		

अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 सरकारी मुद्रणालय (गैर-योजना)			
0001 राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग	1,086.10	1,081.94	(-)4.16
मूल	1,248.50		
पुनर्वि०	(-)162.40		
उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 216.21 लाख एवं ₹ 162.40 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
00			
004 अनुसंधान एवं अनुसंधान विकास (गैर-योजना)			
0001 लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र	229.67	0.00	(-)229.67
मूल	259.67		
पुनर्वि०	(-)30.00		
₹ 30.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0008 विविध तथा आकस्मिक व्यय	0.00	0.00	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)150.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**राजस्व ( प्रभारित )**

- (iv) ₹ 43,000.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 97,525.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 43,000.00 लाख), अंतिम बचत (₹ 43,000.30 लाख) से ₹ 0.30 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन</b>			
00			
101 निक्षेप निधि (गैर-योजना)			
0001 निक्षेप निधि	97,525.00	97,525.00	0.00
मूल	43,000.00		
अनुपूरक	97,525.00		
पुनर्वि०	(-)43,000.00		
₹ 43,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 12 - क्रमशः**

**पूँजी (दत्तमत)**

(vii) ₹ 1,66,052.38 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2014 (₹ 85,000.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 80,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,65,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(viii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 883.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,66,052.38 लाख) से ₹ 1,65,168.57 लाख कम था ।

(ix) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	------------------------------	--------------------------

**4058 लेखन सामग्री और मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय**

00

103 सरकारी मुद्रणालय

योजना (राज्य योजना)

101 मशीनरी और उपस्कर-सरकारी प्रेस गुलजारबाग के	100.00	0.00	(-)100.00
--	--------	------	-----------

आधुनिकीकरण की योजना

मूल 400.00

पुनर्वि० (-)300.00

₹ 300.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि**

00

201 भवन निर्माण अग्रिम

(गैर-योजना)

0001 सरकारी सेवकों को गृह निर्माण अग्रिम	549.46	528.85	(-)20.61
--	--------	--------	----------

मूल 700.00

पुनर्वि० (-)150.54

₹ 150.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा तथा ₹ 0.54 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

0002 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को गृह निर्माण	0.17	0.00	(-)0.17
--	------	------	---------

अग्रिम

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)49.83

₹ 49.83 लाख का प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम

(गैर-योजना)

0002 सरकारी सेवकों को मोटर साइकिल खरीदने के लिए	15.72	12.82	(-)2.90
---	-------	-------	---------

अग्रिम

मूल 50.00

पुनर्वि० (-)34.28

**अनुदान संख्या - 12 - क्रमांत**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 मंत्री इत्यादि को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	10.00	0.00	(-10.00)
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-90.00)		
0004 विधान मंडल के सदस्यों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	170.97	115.22	(-55.75)
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-329.03)		

उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 34.28 लाख, ₹ 90.00 लाख तथा ₹ 329.03 लाख का प्रत्यर्पण, समय पर प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

204 कम्प्यूटरों का क्रय करने के लिए अग्रिम  
(गैर-योजना)

0001 पदाधिकारियों को कम्प्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम	70.58	68.63	(-1.95)
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-129.42)		

₹ 79.42 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी, समय पर प्रस्ताव नहीं प्राप्त होने के कारण हुई। ₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

(x) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

7610 सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

00

202 मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम  
(गैर-योजना)

0001 सरकारी सेवकों को मोटर गाड़ी खरीदने के लिए अग्रिम	599.29	622.10	(+22.81)
मूल	400.00		
पुनर्वि०	199.29		

₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.71 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 199.29 लाख की वृद्धि हुई । वृद्धि और कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**विनियोग संख्या - 13- सूद भूगतान  
( सभी प्रभारित )**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व मुख्य शीर्ष			
2049 ब्याज अदायगियाँ			
प्रभारित :			
मूल	6,58,14,570	6,58,55,107	(-)45,67,616
अनुपूरक	40,537		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			3,74,762

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( प्रभारित )**

- (i) ₹ 45,676.16 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 405.37 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,747.62 लाख), अंतिम बचत (₹ 45,676.16 लाख) से ₹ 41,928.54 लाख कम था ।

**विनियोग संख्या - 13 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2049</b>	<b>ब्याज अदायगियाँ</b>		
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
200	अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज (गैर-योजना)		
	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से लिए गये कर्ज पर ब्याज (नाबार्ड)	30,686.46	30,686.46
	मूल	34,421.00	
	पुनर्वि०	(-)3,734.54	
	₹ 3,734.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
305	ऋण प्रबंध (गैर-योजना)		
0002	नये कर्ज से संबंधित व्यय	300.00	91.00
	मूल	300.00	
	अंतिम बचत, बजट अनुमान से कम लिये गये ऋण के कारण हुई (अगस्त 2015) ।		
03	अल्प बचतों भविष्य निधियों आदि पर ब्याज		
104	राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज (गैर-योजना)		
0001	सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	76,500.00	53,364.40
	मूल	76,500.00	
	अंतिम बचत, भविष्य निधि निदेशालय से प्राप्त सूचना के आधार पर सूद मद में देय राशि के समायोजन के कारण हुई ।		
04	केंद्रीय सरकार से कर्जों तथा अग्रिमों पर ब्याज		
101	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज (गैर-योजना)		
0002	1989-90 से प्राप्त ब्लॉक कर्ज से ब्याज	11,114.99	10,908.65
	मूल	7,454.89	
	पुनर्वि०	3,660.10	
	₹ 3,660.10 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में हुई वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

विनियोग संख्या - 13 - क्रमांत

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
60	अन्य दायित्वों पर ब्याज		
701	विविध (गैर-योजना)		
0002	जमींदारों को दिये गये मुआवजा-बंध-पत्रों पर ब्याज	50.00	4.14
	मूल	50.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		(-)45.86
0003	विविध न्याय निर्णय के आलोक में व्यय	600.00	295.05
	मूल	600.00	
	अंतिम बचत, न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जयघोष राशि कम मांगे जाने के कारण हुई ।		(-)304.95
0008	भू-अर्जन मामलों में ब्याज का भुगतान	50.00	0.00
	मूल	50.00	
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में जयघोष की राशि के आवंटन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।		(-)50.00

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2049	ब्याज अदायगियाँ		
01	आंतरिक ऋण पर ब्याज		
305	ऋण प्रबन्ध (गैर-योजना)		
0001	पुराने ऋणों से सम्बन्धित व्यय	600.00	984.08
	मूल	600.00	
	अंतिम अधिक व्यय बकाये ऋण की गणना में अंतर के कारण हुई ।		(+)384.08

विनियोग संख्या - 14- ऋण अदायगियाँ  
( सभी प्रभारित )

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
प्रभारित :			
मूल	3,56,28,952	3,60,63,361	3,60,89,519 (+) 26,158
अनुपूरक	4,34,409		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			0

टीका एवं टिप्पणियाँ-  
पूँजी ( प्रभारित )

- (i) ₹ 261.58 लाख के अंतिम अधिक व्यय को देखते हुए दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 4,344.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अल्प सिद्ध हुआ, अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित है।



**विनियोग संख्या - 14 - क्रमशः**

(ii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>6003</b>	<b>राज्य सरकार का आंतरिक ऋण</b>		
00			
101	बाजार ऋण ( गैर-योजना)		
0055	M0039 5.85 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2015, II एस०आर०	2,182.80	0.00 (-)2,182.80
	मूल	2,182.80	
0058	M0042 5.60 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014	35,900.00	0.00 (-)35,900.00
	मूल	35,900.00	
0059	M0043 5.70 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014	26,506.00	0.00 (-)26,506.00
	मूल	26,506.00	
0060	M0044 7.32 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014	30,853.00	0.00 (-)30,853.00
	मूल	30,853.00	
0061	M0045 7.36 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014	26,605.00	0.00 (-)26,605.00
	मूल	26,605.00	
0062	M0046 7.02 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2015	21,300.00	0.00 (-)21,300.00
	मूल	21,300.00	
उपर्युक्त छः मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता, बजट सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बाजार ऋण (बिहार राज्य विकास ऋण) का सृजन करने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण हुई ।			
106	प्रतिकर तथा अन्य बंध-पत्र ( गैर-योजना)		
0002	जमींदारी उन्मूलन हेतु मुआवजा बंध-पत्र	200.00	31.61 (-)168.39
	मूल	200.00	
अंतिम बचत, जमींदारी उन्मूलन बंध-पत्र प्रावधान से कम प्राप्त होने के कारण हुई ।			

**विनियोग संख्या - 14 - क्रमांत**

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>6003</b> राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
00			
101 बाजार ऋण (गैर-योजना)			
M0039 5.85 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2015, II एस०आर० मूल	0.00	2,182.80	(+)2,182.80
M0042 5.60 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014 मूल	0.00	35,900.00	(+)35,900.00
M0043 5.70 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014 मूल	0.00	26,506.00	(+)26,506.00
M0044 7.32 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014 मूल	0.00	30,853.00	(+)30,853.00
M0045 7.36 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2014 मूल	0.00	26,605.00	(+)26,605.00
M0046 7.02 प्रतिशत बिहार राज्य विकास ऋण, 2015 मूल	0.00	21,300.00	(+)21,300.00

उपर्युक्त छः मामलों में अंतिम अधिक व्यय, बजट सॉफ्टवेयर में प्रत्येक बाजार ऋण (बिहार राज्य विकास ऋण) का सृजन करने की व्यवस्था नहीं रहने के कारण हुई ।

अनुदान संख्या - 15- पेंशन

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ			
दत्तमत :			
मूल	11,65,52,550	11,65,53,750	11,34,89,045
अनुपूरक	1,200		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)30,64,705
			415
प्रभारित :			
मूल	1,10,730	1,10,730	9,113
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)1,01,617
			796

टीका एवं टिप्पणियाँ-  
राजस्व ( दत्तमत )

- ₹ 30,647.05 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 12.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4.15 लाख), अंतिम बचत (₹ 30,647.05 लाख) से ₹ 30,642.90 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2071</b>	<b>पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ</b>		
01	सिविल		
101	अधिवर्षिता तथा सेवानिवृत्ति भत्ते (गैर-योजना)		
0001	15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पानेवालों को भुगतान मूल 1,20,168.50	1,20,168.50	86,952.20
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		(-33,216.30)
0009	राज्य के न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों पर हुए चिकित्सा व्यय मूल 50.00	50.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		(-50.00)
102	पेंशन का सांराशिकृत मूल्य (गैर-योजना)		
0002	15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को रूपान्तरित मूल्य का भुगतान मूल 8,864.38	8,864.38	279.05
			(-8,585.33)
104	उपदान (गैर-योजना)		
0001	15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को अन्य उपदान का भुगतान मूल 5,176.73	5,176.73	380.53
			(-4,796.20)
105	परिवार पेंशन (गैर-योजना)		
0002	उत्तरवर्ती बिहार से सेवानिवृत्त हुए कर्मियों से संबंधित पारिवारिक पेंशन का भुगतान मूल 62,254.04	62,254.04	40,820.06
	उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		(-21,433.98)
109	राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को पेंशन (गैर-योजना)		
0001	गैर-सरकारी विद्यालय के कर्मचारियों को पेंशन मूल 138.86	138.86	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		(-138.86)

अनुदान संख्या - 15 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
111	विधायकों को पेंशन (गैर-योजना)		
0001	बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्यगण को पेंशन मूल 3,111.76	3,111.76	1,150.18 (-)1,961.58
115	छुट्टी नकदीकरण हितलाभ (गैर-योजना)		
0001	15/11/2000 के पूर्व सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि मूल 6,358.43	6,358.43	604.91 (-)5,753.52
0002	15/11/2000 के बाद सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को भुगतेय अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य राशि मूल 1,01,088.94	1,01,088.94	88,985.49 (-)12,103.45

उपर्युक्त तीन मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

(iv) अधिक व्यय ( ₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2071	पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ		
01	सिविल		
104	उपदान (गैर-योजना)		
0002	उत्तरवर्ती बिहार राज्य से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भुगतान मूल 1,29,859.11	1,29,859.11	1,43,015.29 (+)13,156.18
117	निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिए सरकारी अंशदान (गैर-योजना)		
0001	अंशदायी पेंशन योजना के तहत राज्य का अंशदान मूल 23,594.72	23,594.72	26,557.66 (+)2,962.94

उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**अनुदान संख्या - 15 - क्रमांत**

**राजस्व ( प्रभारित )**

- (v) ₹ 1,016.17 लाख के अंतिम बचत देखते हुए ₹ 1,107.30 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7.96 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,016.17 लाख) से ₹ 1,008.21 लाख कम था।
- (vii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2071</b>	<b>पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ</b>		
<i>01</i>	<i>सिविल</i>		
106	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेशन संबंधी प्रभार (गैर-योजना)		
0001	भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को देय अंशदान मूल <span style="float: right;">939.25</span>	939.25	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0003	सेवानिवृत्त माननीय मुख्य न्यायाधीशों एवं माननीय न्यायाधीशों को सत्कार भत्ता मूल <span style="float: right;">70.00</span>	70.00	1.04
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		(-)939.25
			(-)68.96

**अनुदान संख्या - 16- पंचायती राज विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
2015 निर्वाचन				
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम				
3451 सचिवालय- आर्थिक सेवाएं				
दत्तमत :				
मूल	4,22,53,235	4,70,90,135	2,37,47,754	(-)2,33,42,381
अनुपूरक	48,36,900			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,27,35,805

**पूँजी  
मुख्य शीर्ष**

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :				
मूल	10,05,000	10,05,000	0	(-)10,05,000
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				10,05,000

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹ 2,33,423.81 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 14,536.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 33,833.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 48,369.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,27,358.05 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,33,423.81 लाख) से ₹ 6,065.76 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2015 निर्वाचन</b>			
00			
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0002 जिला परिषदों/पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों का चुनाव	445.77	360.57	(-)85.20
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,554.23		
₹ 1,554.23 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय पंचायत स्थापना	420.51	420.51	0.00
मूल	378.76		
पुनर्वि०	41.75		
प्रावधान में ₹ 41.45 लाख की हुई वृद्धि ₹ 62.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 20.25 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । कमी तथा वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 जिला पंचायत की स्थापना	18,474.64	16,863.37	(-)1,611.27
मूल	23,294.95		
पुनर्वि०	(-)4,820.31		
प्रावधान में ₹ 4,820.31 लाख की हुई कमी ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 4,920.31 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 पंचायत कर्मचारियों का प्रशिक्षण	247.25	228.59	(-)18.66
मूल	284.99		
पुनर्वि०	(-)37.74		
प्रावधान में ₹ 37.24 लाख की हुई कमी ₹ 17.77 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 55.51 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	(राज्य योजना)			
0204	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	5,000.00		
	पुनर्वि०	(-)5,000.00		
0304	राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,660.00		
	पुनर्वि०	(-)1,660.00		
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101	पंचायती राज			
योजना	(राज्य योजना)			
0110	पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन	0.00	0.00	0.00
	मूल	8,300.00		
	पुनर्वि०	(-)8,300.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0213	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक) (एसीए)	33,343.76	31,352.38	(-)1,991.38
	मूल	81,502.11		
	पुनर्वि०	(-)48,158.35		
	₹ 48,158.35 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
196	जिला परिषदों/जिला स्तर के पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0003	पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	15,544.96	15,210.20	(-)334.76
	मूल	14,739.90		
	अनुपूरक	3,283.30		
	पुनर्वि०	(-)2,478.24		
	₹ 2,478.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007	राज्य वित्त आयोग की अनुशांसा के आलोक में जिला परिषदों को अंशदान	5,054.53	4,567.13	(-)487.40
	मूल	8,818.20		
	पुनर्वि०	(-)3,763.67		
	₹ 3,763.67 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

श्रीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0106 जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	180.21	146.10	(-)34.11
मूल	45.05		
अनुपूरक	135.16		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0208 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,500.00		
0308 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	840.00		
पुनर्वि०	(-)840.00		
197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0004 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ब्लॉक पंचायतों को अंशदान	0.00	0.00	0.00
मूल	17,027.40		
पुनर्वि०	(-)17,027.40		
उपर्युक्त तीन मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0205 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	254.99	158.28	(-)96.71
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,245.01		
₹ 2,245.01 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0305 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	135.00	65.00	(-)70.00
मूल	830.00		
पुनर्वि०	(-)695.00		
₹ 695.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
198 ग्राम पंचायत को सहायता (गैर-योजना)			
0001 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	1,08,690.61	1,08,561.55	(-)129.06
मूल	1,03,179.30		
अनुपूरक	22,983.10		
पुनर्वि०	(-)17,471.79		
₹ 17,471.79 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0009 राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में ग्राम पंचायतों को अंशदान	0.00	0.00	0.00
मूल	74,663.40		
पुनर्वि०	(-)74,663.40		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए नियत भत्ता	6,501.92	4,943.81	(-)1,558.11
मूल	1,863.56		
अनुपूरक	4,663.68		
पुनर्वि०	(-)25.32		
₹ 25.32 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0212 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	12,500.00		
पुनर्वि०	(-)12,500.00		
0312 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान	0.00	0.00	0.00
मूल	4,170.00		
पुनर्वि०	(-)4,170.00		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0104 ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	1,657.84	1,501.24	(-)156.60
मूल	430.39		
अनुपूरक	1,291.20		
पुनर्वि०	(-)63.75		
₹ 63.75 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0105 पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	277.31	212.80	(-)64.51
मूल	69.32		
अनुपूरक	207.99		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0107 पंचायती राज व्यवस्था और मानव संसाधन विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	1,700.00		
पुनर्वि०	(-)1,700.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 16 - क्रमशः**

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )</b>	<b>अधिक व्यय (+) बचत (-)</b>
0211 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (जिला घटक) (एसीए)	354.00	352.00	(-)2.00
मूल	936.17		
पुनर्वि०	(-)582.17		
₹ 582.17 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0112 ग्राम कचहरी के विभिन्न मद	514.04	430.05	(-)83.99
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)185.96		
₹ 185.96 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )</b>	<b>अधिक व्यय (+) बचत (-)</b>
<b>2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>			
00			
197 ब्लॉक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 पंचायती राज संस्थाओं को सहायता	31,089.93	31,318.99	(+229.06)
मूल	29,479.80		
अनुपूरक	6,566.60		
पुनर्वि०	(-)4,956.47		
₹ 4,956.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
198 ग्राम पंचायत को सहायता (गैर-योजना)			
0010 ग्राम कचहरी के विभिन्न मद	1,791.07	1,960.35	(+169.28)
मूल	4,536.00		
पुनर्वि०	(-)2,744.93		
₹ 203.99 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 2,540.94 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0111 मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	1,141.25	1,832.51	(+691.26)
मूल	1,141.25		
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 16 - क्रमांत**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0106 जिला परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भत्ता	37.73	94.84	(+)57.11
मूल	9.43		
अनुपूरक	28.30		
0108 मुख्यमंत्री ग्रामोदय कार्यक्रम	233.75	400.94	(+)167.19
मूल	233.75		

उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (v) इस अनुदान में पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 10,050.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया ।
- (vi) बचत ( ₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो ) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
101 पंचायती राज योजना (राज्य योजना)			
0104 पंचायत सरकार भवन- वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
0206 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	7,500.00		
पुनर्वि०	(-)7,500.00		
0306 राजीव गाँधी पंचायत सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,500.00		

उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**अनुदान संख्या - 17- वाणिज्य-कर विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2040      बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
दत्तमत :			
मूल	11,37,610	13,47,204	9,58,880
अनुपूरक	2,09,594		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			3,83,201

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹ 3,883.24 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 2,095.94 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,832.01 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,883.24 लाख) से ₹ 51.23 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 17 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
00			
001	निर्देशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)		
0004	वाणिज्य-कर अधिकरण	91.37	78.28
	मूल	110.88	
	पुनर्वि०	(-)19.51	
	₹ 19.51 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
101	संग्रहण प्रभार (गैर-योजना)		
0001	जिला प्रभार	6,611.76	6,573.63
	मूल	10,208.90	
	पुनर्वि०	(-)3,597.14	
	₹ 3,597.14 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0002	भामासाह सम्मान योजना	0.00	0.00
	मूल	74.55	
	पुनर्वि०	(-)74.55	
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

**अनुदान संख्या - 18- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

कुल अनुदान वास्तविक व्यय अधिक व्यय (+)  
( ₹ हजार में ) बचत (-)

राजस्व

मुख्य शीर्ष

2408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार

3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं

3456 सिविल पूर्ति

दत्तमत :

मूल	79,68,562	1,14,98,266	64,65,396	(-)50,32,870
अनुपूरक	35,29,704			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				46,86,939
21 नवम्बर 2014	13,03,300			
31 मार्च 2015	33,83,639			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹ 50,328.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2014 (₹ 1,928.20 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 13,368.84 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 20,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35,297.04 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 46,869.39 लाख), अंतिम बचत (₹ 50,328.70 लाख) से ₹ 3,459.31 लाख कम था ।



**अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>3456 सिविल पूर्ति</b>			
00			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय प्रभार	6,665.77	6,665.77	0.00
मूल	8,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,334.23		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,084.23 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 जिला प्रभार	4,299.53	3,774.86	(-)524.67
मूल	4,051.76		
पुनर्वि०	247.77		
₹ 247.77 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)	1,527.34	948.29	(-)579.05
मूल	1,409.37		
अनुपूरक	115.74		
पुनर्वि०	2.23		
₹ 2.23 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0006 बिहार राज्य खाद्य आयोग	54.12	54.12	0.00
अनुपूरक	110.01		
पुनर्वि०	(-)55.89		
₹ 55.89 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0407 फेज-II के लिए उपभोक्ता सुदृढीकरण	0.0	0.00	0.00
अनुपूरक	109.50		
पुनर्वि०	(-)109.50		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना को लागू नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
102 सिविल पूर्ति योजना (गैर-योजना)			
0004 जन-वितरण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण	500.00	401.96	(-)98.04
मूल	400.00		
अनुपूरक	100.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 18 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना	केन्द्रीय योजनागत योजना		
0407	लक्षित जन-वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	0.0	0.00
	अनुपूरक	1,788.88	
	पुनर्वि०	(-1,788.88)	
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0103	जिला प्रभार-जन वितरण प्रणाली व्यवस्था, उपभोक्ता संरक्षण	0.00	0.00
	मूल	900.00	
	पुनर्वि०	(-900.00)	
0105	लक्षित जन-वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण	0.00	0.00
	मूल	20,000.00	
	पुनर्वि०	(-20,000.00)	
	उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0206	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.00	0.00
	मूल	5,000.00	
	पुनर्वि०	(-5,000.00)	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।		
0306	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	16,984.62	16,984.62
	मूल	19,194.25	
	पुनर्वि०	(-2,209.63)	
	₹ 2,209.63 लाख का प्रत्यर्पण, मंत्री परिषद द्वारा जन वितरण प्रणाली को देय कमीशन की स्वीकृति विलंब से दिये जाने के कारण हुई ।		
191	नगर निगम को सहायता		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00
	मूल	50.00	
	पुनर्वि०	(-50.00)	
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00
	मूल	85.95	
	पुनर्वि०	(-85.95)	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निगरानी तथा अनुश्रवण समिति के सदस्यों की नियुक्ति विचाराधीन रहने के कारण हुई ।		

अनुदान संख्या - 18 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र के समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-150.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निगरानी तथा अनुश्रवण समिति के सदस्यों की नियुक्ति विचाराधीन रहने के कारण हुई ।			
198 ग्राम पंचायत को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 निगरानी तथा अनुश्रवण हेतु गठित समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए बैठक भत्ता एवं यात्रा भत्ता	0.00	0.00	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-250.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निगरानी तथा अनुश्रवण समिति के सदस्यों की नियुक्ति विचाराधीन रहने के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	4,086.21	1,989.04	(-2,097.17)
मूल	18,380.39		
पुनर्वि०	(-14,294.18)		
₹ 14,294.18 लाख का प्रत्यर्पण, मंत्रिपरिषद् द्वारा जन वितरण प्रणाली को देय कमीशन की स्वीकृति विलम्ब से दिये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0302 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	362.22	201.84	(-160.38)
मूल	1,225.36		
पुनर्वि०	(-863.14)		
₹ 863.14 लाख का प्रत्यर्पण, मंत्रिपरिषद् द्वारा जन वितरण प्रणाली को देय कमीशन की स्वीकृति विलम्ब से दिये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 19- पर्यावरण एवं वन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		20,52,410	32,80,329	30,53,386
अनुपूरक		12,27,919		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,13,395

<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4406	वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		90,001	2,46,321	2,31,395
अनुपूरक		1,56,320		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				15,410

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 2,269.43 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 10,995.17 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 710.26 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 573.76 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 12,279.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,133.95 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,269.43 लाख) से ₹ 135.48 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी</b>			
01 वानिकी			
101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण (गैर-योजना)			
0002 कार्य योजना प्रमंडल	114.58	107.44	(-)7.14
मूल	135.20		
पुनर्वि०	(-)20.62		
₹ 10.35 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 10.27 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0110 वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण (वित्त आयोग)	345.06	342.44	(-)2.62
मूल	869.60		
पुनर्वि०	(-)524.54		
₹ 524.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 नहर तट फार्म	1,009.11	977.42	(-)31.69
मूल	319.29		
अनुपूरक	798.00		
पुनर्वि०	(-)108.18		
₹ 79.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 29.18 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0134 वनों का संरक्षण एवं ढाँचागत सुदृढीकरण (वित्त आयोग)	0.00	0.00	0.00
मूल	90.40		
पुनर्वि०	(-)90.40		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	नहर तट फार्म	2,103.30	2,103.64	(+)0.34
	मूल	680.71		
	अनुपूरक	1,864.00		
	पुनर्वि०	(-)441.41		
	₹ 170.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 271.41 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02	पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110	वन्यजीव परिरक्षण (गैर-योजना)			
0003	अभ्यारण्य	388.24	395.07	(+)6.83
	मूल	487.36		
	पुनर्वि०	(-)99.12		
	₹ 93.45 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 5.67 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0223	एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	87.77	31.71	(-)56.06
	मूल	71.00		
	अनुपूरक	17.22		
	पुनर्वि०	(-)0.45		
	₹ 0.45 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0224	ब्याघ्र परियोजना	316.50	316.77	(+)0.27
	मूल	290.00		
	अनुपूरक	86.26		
	पुनर्वि०	(-)59.76		
	₹ 59.76 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0324	ब्याघ्र परियोजना	147.19	147.46	(+)0.27
	मूल	100.00		
	अनुपूरक	84.80		
	पुनर्वि०	(-)37.61		
	₹ 37.61 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 19 - क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
04 वनीकरण तथा पारिस्थितिकीय विकास			
101 राष्ट्रीय वनरोपण तथा पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (राष्ट्रीय हरित भारत मिशन)	1,166.00	1,166.00	0.00
मूल	776.00		
अनुपूरक	655.54		
पुनर्वि०	(-)265.54		
₹ 265.54 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0202 राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0302 राष्ट्रीय संसाधन तथा पारितंत्र संरक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
₹ 7.49 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 22.51 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00 सचिवालय (गैर-योजना)			
0006 पर्यावरण एवं वन विभाग	347.91	344.57	(-)3.34
मूल	515.73		
अनुपूरक	28.99		
पुनर्वि०	(-)196.81		
₹ 196.81 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
(iv) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी</b>			
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव			
110 वन्यजीव परिरक्षण (राज्य योजना)			
0323 एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास	10.00	32.96	(+22.96)
मूल	10.00		
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 19 - क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (v) ₹ 149.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1,563.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 154.10 लाख), अंतिम बचत (₹ 149.26 लाख) से ₹ 4.84 लाख अधिक था ।
- (vii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4406</b>	<b>वानिकी तथा वन्य प्राणी पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
01	वानिकी		
070	संचार तथा भवन		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	262.66	267.50	(+4.84
	मूल	0.01	
	अनुपूरक	416.75	
	पुनर्वि०	(-)154.10	

₹ 154.10 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।



अनुदान संख्या - 20- स्वास्थ्य विभाग

( सभी दत्तमत )

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211 परिवार कल्याण			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			

दत्तमत :

मूल	4,10,05,391	4,23,20,964	3,31,79,892	(-)91,41,072
अनुपूरक	13,15,573			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				64,15,905

पूँजी

मुख्य शीर्ष

4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

मूल	70,51,925	1,06,41,925	32,40,272	(-)74,01,653
अनुपूरक	35,90,000			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				44,55,472
28 अगस्त 2014	46,000			
31 मार्च 2015	44,09,472			

टीका एवं टिप्पणियाँ-

राजस्व ( दत्तमत )

- ₹ 91,410.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,000.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 6,829.75 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 5,325.98 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,155.73 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 64,159.05 लाख), अंतिम बचत (₹ 91,410.72 लाख) से ₹ 27,251.67 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 स्वास्थ्य निदेशालय	1,281.82	1,281.82	0.00
मूल	1,516.07		
पुनर्वि०	(-)234.25		
प्रावधान में ₹ 234.25 लाख की हुई कमी, ₹ 55.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 200.00 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 89.25 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 जिला चिकित्सा पदाधिकारी	2,728.15	2,695.57	(-)32.58
मूल	3,309.72		
पुनर्वि०	(-)581.57		
₹ 6.60 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 574.97 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 अंधेपन की रोकथाम	1,034.15	1,027.90	(-)6.25
मूल	1,675.95		
पुनर्वि०	(-)641.80		
₹ 641.80 लाख का प्रत्यर्पण, जिलों से मांग नहीं भेजे जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल	12,209.60	10,597.55	(-)1,612.05
मूल	12,499.60		
पुनर्वि०	(-)290.00		
₹ 290.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	6,771.12	5,609.44	(-)1,161.68
मूल	6,289.50		
पुनर्वि०	481.62		
₹ 481.62 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0008 श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	3,784.95	3,225.31	(-559.64)
मूल	3,984.95		
पुनर्वि०	(-200.00)		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0010 इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	2,903.62	2,048.22	(-855.40)
मूल	2,828.61		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	75.00		
₹ 75.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0012 राजेन्द्र नगर अस्पताल, पटना	374.05	238.14	(-135.91)
मूल	374.05		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0013 सदर तथा अनुमंडल अस्पताल	20,954.55	20,601.41	(-353.14)
मूल	21,349.91		
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-2,395.36)		
प्रावधान में ₹ 2,395.36 लाख की हुई कमी, ₹ 200.00 लाख की वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 67.00 लाख की कमी तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,528.36 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0016 मानसिक आरोग्यशाला	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-1,000.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0019 रोगी कल्याण समितियों हेतु	200.00	0.00	(-200.00)
मूल	200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएं (गैर-योजना)			
0002 कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	3,877.98	3,877.98	0.00
मूल	5,077.31		
पुनर्वि०	(-1,199.33)		
₹ 521.62 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 677.71 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0005 अन्यान्य औषधालय (स्थानीय औषधालय)	1,557.77	1,557.77	0.00
मूल	1,621.30		
अनुपूरक	173.00		
पुनर्वि०	(-)236.53		
प्रावधान में ₹ 236.53 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 227.25 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 463.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था।। कमी, वृद्धि तथा प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0008 रक्त भंडार	303.10	219.53	(-)83.57
मूल	398.10		
पुनर्वि०	(-)95.00		
₹ 95.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
योजना (राज्य योजना)			
0210 राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	1,091.17	1,091.17	0.00
मूल	200.00		
अनुपूरक	1,629.73		
पुनर्वि०	(-)738.56		
₹ 738.56 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई।			
02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद (गैर-योजना)			
0004 राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल, पटना	466.71	343.27	(-)123.44
मूल	466.71		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
101 स्वास्थ्य-उपकेन्द्र (गैर-योजना)			
0003 स्वास्थ्य-उपकेन्द्र	5,691.38	4,040.13	(-)1,651.25
मूल	6,173.66		
पुनर्वि०	(-)482.28		
₹ 482.28 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ( गैर-योजना)			
0001 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	70,638.95	70,100.90	(-538.05)
मूल	86,704.58		
पुनर्वि०	(-16,065.63)		
₹ 1,349.63 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 14,716.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
110 अस्पताल तथा औषधालय ( गैर-योजना)			
0001 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	6,386.59	6,313.96	(-72.63)
मूल	7,460.65		
अनुपूरक	1,000.00		
पुनर्वि०	(-2,074.06)		
प्रावधान में ₹ 2,074.06 लाख की हुई कमी, ₹ 115.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,189.06 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0203 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	67,920.19	67,920.19	0.00
मूल	1,05,650.00		
पुनर्वि०	(-37,729.81)		
₹ 37,729.81 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
0204 राष्ट्रीय एड्स तथा यौनसंचारी रोग नियंत्रक कार्यक्रम	1,300.00	1,300.00	0.00
मूल	300.00		
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-1,000.00)		
₹ 1,000.00 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ			
101 आयुर्वेद ( गैर-योजना)			
0002 ग्रामीण आयुर्वेदिक औषधालय	879.23	869.92	(-9.31)
मूल	1,082.86		
पुनर्वि०	(-203.63)		
₹ 203.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 होम्योपैथी ( गैर-योजना)			
0001 होम्योपैथी औषधालय	412.25	408.91	(-)3.34
मूल	470.43		
पुनर्वि०	(-)58.18		
₹ 58.18 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103 यूनानी ( गैर-योजना)			
0001 यूनानी औषधालय	302.73	289.62	(-)13.11
मूल	369.40		
पुनर्वि०	(-)66.67		
₹ 66.67 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
101 आयुर्वेद ( गैर-योजना)			
0001 आयुर्वेद कॉलेज, बेगूसराय	408.56	405.46	(-)3.10
मूल	537.73		
पुनर्वि०	(-)129.17		
0002 आयुर्वेद कॉलेज, पटना	738.31	730.10	(-)8.21
मूल	848.93		
पुनर्वि०	(-)110.62		
0005 आयुर्वेद कॉलेज, नाथनगर, भागलपुर	76.26	76.10	(-)0.16
मूल	110.31		
पुनर्वि०	(-)34.05		
उपर्युक्त तीन मामलों में ₹ 129.17 लाख, ₹ 110.62 लाख तथा ₹ 34.05 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 होम्योपैथी ( गैर-योजना)			
0001 होम्योपैथी कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर	496.81	469.34	(-)27.47
मूल	563.51		
पुनर्वि०	(-)66.70		
₹ 66.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 यूनानी (गैर-योजना)			
0001 तिब्बी कॉलेज	727.32	533.18	(-)194.14
मूल	780.26		
पुनर्वि०	(-)52.94		
₹ 52.94 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 एलोपैथी (गैर-योजना)			
0001 पटना मेडिकल कॉलेज	7,691.60	6,165.32	(-)1,526.28
मूल	7,791.60		
पुनर्वि०	(-)100.00		
₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007 मगध मेडिकल कॉलेज	2,419.10	2,262.83	(-)156.27
मूल	1,898.37		
पुनर्वि०	520.73		
₹ 520.73 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0009 दंत महाविद्यालय, पटना	458.32	343.33	(-)114.99
मूल	457.35		
अनुपूरक	52.97		
पुनर्वि०	(-)52.00		
₹ 52.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0010 भागलपुर मेडिकल कॉलेज	1,993.80	1,993.80	0.00
मूल	1,597.50		
पुनर्वि०	396.30		
₹ 396.30 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0011 महिला स्वास्थ्य परिदर्शिकाओं के लिए विद्यालय	159.94	110.16	(-)49.78
मूल	159.94		
0012 नर्स-प्रशिक्षण	685.31	374.64	(-)310.67
मूल	685.31		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0013 प्रशिक्षण फार्मैसी	146.63	104.87	(-)41.76
मूल	166.63		
पुनर्वि०	(-)20.00		
₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0017 इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	6,001.27	5,000.00	(-)1,001.27
मूल	7,550.00		
पुनर्वि०	(-)1,548.73		
₹ 1,548.73 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0023 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	1,800.40	1,115.52	(-)684.88
मूल	1,318.12		
पुनर्वि०	482.28		
₹ 482.28 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0024 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	388.56	15.17	(-)373.39
मूल	388.56		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
200 अन्य पद्धतियाँ			
योजना (राज्य योजना)			
0101 इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना	8,600.00	7,600.00	(-)1,000.00
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	6,100.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
06 लोक स्वास्थ्य			
001 निदेशन और प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	615.24	600.42	(-)14.82
मूल	736.29		
पुनर्वि०	(-)121.05		
प्रावधान में ₹ 121.05 लाख की हुई कमी, ₹ 2.89 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 123.94 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
003 प्रशिक्षण ( गैर-योजना)			
0002 जन स्वास्थ्य संस्थान	1,558.82	789.21	(-769.61)
मूल	1,555.10		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	3.71		
₹ 3.71 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण ( गैर-योजना)			
0003 राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम	2,983.23	2,450.21	(-533.02)
मूल	3,724.68		
पुनर्वि०	(-741.45)		
₹ 741.45 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0012 महादलित टोलों में स्वास्थ्य एवं चश्मा वितरण योजना	121.76	121.26	(-)0.50
मूल	200.00		
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)278.24		
₹ 278.24 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण ( गैर-योजना)			
0001 खाद्य नियंत्रक स्थापना	170.37	170.37	0.00
मूल	324.10		
पुनर्वि०	(-)153.73		
₹ 153.73 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 औषध नियंत्रण ( गैर-योजना)			
0001 औषध नियंत्रण स्थापना	1,166.49	912.93	(-)253.56
मूल	1,171.01		
पुनर्वि०	(-)4.52		
₹ 4.52 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2211 परिवार कल्याण</b>			
00			
001 निदेशन और प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0204 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	3,936.41	2,094.72	(-)1,841.69
मूल	4,136.41		
पुनर्वि०	(-)200.00		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
003 प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0206 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	1,967.62	822.91	(-)1,144.71
मूल	1,967.62		
101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	6,455.64	4,764.81	(-)1690.83
मूल	6,455.64		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0205 स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	33,734.25	28,874.56	(-)4,859.69
मूल	33,534.25		
पुनर्वि०	200.00		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103 मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0001 मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य	488.01	366.74	(-)121.27
मूल	488.01		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2251 सचिवालय- सामाजिक सेवाएँ</b>			
00			
090 सचिवालय ( गैर-योजना)			
0007 स्वास्थ्य विभाग	327.75	302.25	(-)25.50
मूल	382.38		
पुनर्वि०	(-)54.63		
प्रावधान में ₹ 54.63 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 66.63 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 74,016.53 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 35,900.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 44,554.72 लाख), अंतिम बचत (₹ 74,016.53 लाख) से ₹ 29,461.81 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0104 शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	23.24	23.24	0.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)1,476.76		
₹ 1,476.76 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
110 अस्पताल तथा औषधालय योजना (राज्य योजना)			
0111 मेडिकल कॉलेज अस्पताल	3,150.23	710.78	(-)2,439.45
मूल	1,710.23		
अनुपूरक	4,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,560.00		
₹ 2,560.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0112 मेडिकल कॉलेज अस्पताल (बाह्य सम्पोषित योजना)	5,000.00	1,000.00	(-)4,000.00
मूल	5,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0113 जिला तथा अनुमंडलीय अस्पताल भवनों का निर्माण, जीर्णोद्धार	1,080.00	1,080.00	0.00
मूल	2,700.00		
अनुपूरक	4,500.00		
पुनर्वि०	(-)6,120.00		
₹ 6,120.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी/संशोधन के कारण हुई ।			
200 अन्य स्वास्थ्य योजनाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०)	225.00	225.00	0.00
सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			
मूल	375.00		
पुनर्वि०	(-)150.00		
₹ 150.00 लाख के प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि जारी नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
0301 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०)	125.00	87.50	(-)37.50
सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			
मूल	125.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0105 स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों का निर्माण (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)	1,900.00	1,900.00	0.00
मूल	16,700.00		
पुनर्वि०	(-)14,800.00		
₹ 14,800.00 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			
योजना (राज्य योजना)			
0101 रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं जीर्णोद्धार	12,550.98	12,550.98	0.00
मूल	3,000.00		
अनुपूरक	17,000.00		
पुनर्वि०	(-)7,449.02		
₹ 7,449.02 लाख के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी/संशोधन के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 20 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय ( + ) बचत ( - )
110 अस्पताल तथा औषधालय योजना (राज्य योजना)			
0101 आयुष कॉलेज अस्पताल एवं औषधालय	454.00	0.00	(-)454.00
मूल	54.00		
अनुपूरक	400.00		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0203 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०)	2,783.98	2,783.98	0.00
सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			
मूल	10,000.00		
अनुपूरक	(-)7,216.02		
₹ 7,216.02 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
0303 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन०आर०एच०एम०)	1,552.09	1,552.09	0.00
सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन			
मूल	3,333.00		
पुनर्वि०	(-)1,780.91		
₹ 1,780.91 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण हुई ।			
03 चिकित्सा , शिक्षा , प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
105 एलोपैथी योजना (राज्य योजना)			
0108 स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यक्रम-बाह्य संपोषित योजना	10,000.00	94.99	(-)9,905.01
मूल	10,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0109 मेडिकल कॉलेज	20,000.00	10,195.17	(-)9,804.83
मूल	13,000.00		
अनुपूरक	10,000.00		
पुनर्वि०	(-)3,000.00		
₹ 3,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0111 दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल	2,499.00	0.00	(-)2,499.00
मूल	2,499.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0112 सहायक नर्सिंग परिचारिका (ए०एन०एम०) एवं सामान्य नर्सिंग परिचारिका (जी०एन०एम०) स्कूल	499.00	199.00	(-)300.00
मूल	499.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 21 - शिक्षा विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2202 सामान्य शिक्षा			
2204 खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205 कला एवं संस्कृति			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>23,70,36,791</b>	<b>24,87,01,256</b>	<b>16,33,54,058</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>1,16,64,465</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>7,42,909</b>
20 जून 2014	2,95,000		
23 जून 2014	4,47,909		

<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>1,01,15,101</b>	<b>1,06,35,101</b>	<b>24,14,256</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>5,20,000</b>		
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>0</b>

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 8,53,471.98 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,02,329.09 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 14,315.54 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 0.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,16,644.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,429.09 लाख), अंतिम बचत (₹ 8,53,471.98 लाख) से ₹ 8,46,042.89 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2202</b>	<b>सामान्य शिक्षा</b>			
01	प्रारंभिक शिक्षा			
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	383.85	292.66	(-)91.19
	मूल	369.82		
	पुनर्वि०	14.03		
	₹ 14.03 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय	50.00	0.00	(-)50.00
	मूल	50.00		
	संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104	मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण	300.00	0.00	(-)300.00
	मूल	300.00		
	संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0105	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक आयोजन एवं महोत्सव	550.00	349.40	(-)200.60
	मूल	550.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106	जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार	600.00	479.29	(-)120.71
	मूल	600.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
003	प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001	बिहार शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण	100.00	0.00	(-)100.00
	मूल	100.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101	राजकीय प्राथमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
0001	राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय	5,37,095.79	3,46,568.34	(-)1,90,527.45
	मूल	5,40,962.45		
	पुनर्वि०	(-)3,866.66		
	₹ 3,866.66 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0111 औजार	35.00	0.00	(-)35.00
मूल	35.00		
अनुपूरक	35.00		
पुनर्वि०	(-)35.00		
₹ 35.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 गैर-सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	3,103.90	2,089.41	(-)1,014.49
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	603.90		
₹ 603.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि	900.00	0.00	(-)900.00
मूल	900.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय को अनुदान	100.01	100.00	(-)0.01
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	100.00		
₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 निरीक्षण	12,831.06	9,781.15	(-)3,049.91
मूल	11,882.05		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	949.00		
₹ 949.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
107 अध्यापक प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	4,432.25	3,543.56	(-)888.69
मूल	4,032.25		
पुनर्वि०	400.00		
₹ 400.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन (गैर-योजना)			
0004 प्रोत्साहन हेतु विद्यालयों में सामाजिक उत्सव	1,740.00	0.00	(-)1,740.00
मूल	1,740.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	25,400.00	20,812.82	(-)4,587.18
मूल	15,400.00		
अनुपूरक	10,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	5,845.00	1,728.64	(-)4,116.36
मूल	2,873.00		
पुनर्वि०	2,972.00		
₹ 2,972.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
111 सर्व शिक्षा अभियान योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	5,009.18	2,540.87	(-)2,468.31
मूल	150.00		
पुनर्वि०	4,859.18		
₹ 4,859.18 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0201 सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	4,00,000.00	2,04,006.84	(-)1,95,993.16
मूल	4,00,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः			
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0301	सर्व शिक्षा अभियान (एस०एस०ए०)	2,48,699.79	2,03,031.06	(-)45,668.73
	मूल	2,22,691.94		
	अनुपूरक	39,413.16		
	पुनर्वि०	(-)13,405.31		
	₹ 13,405.31 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
112	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0002	मध्याह्न भोजन योजना-स्थापना	425.78	207.22	(-)218.56
	मूल	425.78		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
191	नगर निगम को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान	1,486.80	1,131.16	(-)355.64
	मूल	1,486.80		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान	2,106.00	1,856.02	(-)249.98
	मूल	2,106.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0001	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान	2,860.80	2,388.97	(-)471.83
	मूल	2,860.80		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
198	ग्राम पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0002	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान	780.00	53.44	(-)726.56
	मूल	780.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0102 मुख्यमंत्री पोशाक योजना	7,280.00	4,404.38	(-)2,875.62
मूल	4,600.00		
अनुपूरक	2,680.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 सर्व शिक्षा अभियान	56,052.65	21,748.00	(-)34,304.65
मूल	56,052.65		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना योजना (राज्य योजना)			
0109 सर्व शिक्षा अभियान	9,655.41	0.00	(-)9,655.41
मूल	9,655.41		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 माध्यमिक शिक्षा			
001 निर्देशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी	3,583.53	2,677.15	(-)906.38
मूल	3,083.53		
पुनर्वि०	500.00		
₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 क्षेत्रीय उपनिदेशक एवं अन्य पदाधिकारी	627.51	425.96	(-)201.55
मूल	627.51		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	4,791.75	231.58	(-)4,560.17
मूल	540.00		
अनुपूरक	3,603.95		
पुनर्वि०	647.80		
₹ 647.80 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 अनौपचारिक शिक्षा योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड	3,000.01	1,126.57	(-)1,873.44
मूल	3,000.01		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
107 छात्रवृत्तियाँ योजना (राज्य योजना)			
0105 मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना	16,085.01	13,680.99	(-)2,404.02
मूल	14,450.00		
अनुपूरक	1,500.00		
पुनर्वि०	135.01		
₹ 135.01 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0107 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	14,250.00	12,795.82	(-)1,454.18
मूल	11,250.00		
अनुपूरक	3,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0108 अन्य विद्यालय	31,127.91	18,837.90	(-)12,290.01
मूल	25,000.00		
अनुपूरक	6,127.91		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय (गैर-योजना)			
0001 अन्य विद्यालय	1,05,751.94	87,447.76	(-)18,304.18
मूल	1,05,728.94		
पुनर्वि०	23.00		
प्रावधान में ₹ 23.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 30.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0208 प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना	29,669.95	0.00	(-)29,669.95
मूल	30,530.00		
पुनर्वि०	(-)860.05		
₹ 860.05 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0307 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०) मूल 4,599.00 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	4,599.00	2509.24	(-)2,089.76
0308 प्रखंड स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 6,000 आदर्श विद्यालयों की स्थापना की योजना मूल 4,000.00 सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	4,000.00	0.00	(-)4,000.00
110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0007 गैर सरकारी विद्यालयों को सहायता मूल 28,500.00 सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	28,500.00	0.00	(-)28,500.00
योजना (राज्य योजना)			
0209 मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की योजना मूल 18,056.00 सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	18,056.00	0.00	(-)18,056.00
191 नगर निगम को सहायता (गैर-योजना)			
0001 नगर माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के समेकित भुगतान मूल 1,543.08 पुनर्वि० 99.25 ₹ 99.25 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	1,642.33	1,300.28	(-)342.05
0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान मूल 3,280.32 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	3,280.32	1,632.34	(-)1,647.98
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों को समेकित भुगतान मूल 245.52 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	245.52	127.48	(-)118.04
192 नगरपालिकाओं/ नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान मूल 2,164.32 अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	2,164.32	1,821.61	(-)342.71

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों को समेकित भुगतान	195.36	109.16	(-)86.20
मूल	195.36		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0002 नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	1,555.20	1,272.82	(-)282.38
मूल	1,555.20		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों को समेकित भुगतान	166.32	126.73	(-)39.59
मूल	166.32		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों को समेकित भुगतान	31,166.08	22,815.97	(-)8,350.11
मूल	31,616.64		
पुनर्वि०	(-)450.56		
₹ 450.56 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित अनुदान	12,483.36	9,611.92	(-)2871.44
मूल	12,483.36		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 पुस्तकालयाध्यक्षों को समेकित भुगतान	2,692.80	1,938.96	(-)753.84
मूल	2,692.80		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0003 सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन	800.00	622.39	(-)177.61
मूल	800.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन तथा प्रशासन	687.60	525.17	(-)162.43
मूल	286.09		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	401.50		
₹ 401.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 विश्वविद्यालयों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 पटना विश्वविद्यालय	20,453.21	15,478.81	(-)4,974.40
मूल	20,453.21		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 मगध विश्वविद्यालय	79,500.41	55,993.98	(-)23,506.43
मूल	81,987.51		
पुनर्वि०	(-)2,487.10		
₹ 2,487.10 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय	46,830.90	31,689.00	(-)15,141.90
मूल	46,898.90		
पुनर्वि०	(-)68.00		
₹ 68.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा	19,827.16	12,897.78	(-)6,929.38
मूल	19,827.16		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005 वीर कुँअर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	24,707.23	16,000.00	(-)8,707.23
मूल	24,707.23		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0008 बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	32,170.33	19,031.66	(-)13,138.67
मूल	32,170.33		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0009 भागलपुर विश्वविद्यालय	44,111.61	30,879.22	(-)13,232.39
मूल	42,283.64		
पुनर्वि०	1,827.97		
₹ 1,827.97 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0011 ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	53,449.92	33,331.31	(-)20,118.61
मूल	53,449.92		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0012 कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	10,704.12	6,222.93	(-)4,481.19
मूल	10,505.88		
पुनर्वि०	198.24		
₹ 198.24 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0115 राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	11,010.02	9,506.59	(-)1,503.43
मूल	11,010.02		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0323 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	14,400.00	400.00	(-)14,000.00
मूल	400.00		
अनुपूरक	14,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103 राजकीय कॉलेज तथा संस्थान (गैर-योजना)			
0001 इंटरमीडिएट शिक्षा (+2 शिक्षा)	3,511.03	3,091.80	(-)419.23
मूल	3,511.03		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	503.75	313.71	(-)190.04
मूल	503.75		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 राजकीय महिला महाविद्यालय	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
104 अराजकीय कालेजों तथा संस्थानों को सहायता (गैर-योजना)			
0003 वित्त संपोषित महाविद्यालय	10,956.20	0.00	(-)10,956.20
मूल	10,956.20		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
107 छात्रवृत्तियाँ			
योजना (राज्य योजना)			
0104 मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	4,804.98	3,763.75	(-)1,041.23
मूल	3,750.00		
अनुपूरक	1,054.98		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
04 प्रौढ़ शिक्षा			
200 अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 जिला जन शिक्षा कार्यालय	644.23	497.08	(-)147.15
मूल	615.23		
पुनर्वि०	29.00		
₹ 29.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 प्रौढ़ शिक्षा	13,448.57	11,310.00	(-)2,138.57
मूल	12,048.57		
पुनर्वि०	1,400.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0203 अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	21,062.15	3,965.70	(-)17,096.45
मूल	24,669.00		
पुनर्वि०	(-)3,606.85		
₹ 3,606.85 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0202 अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	3,324.03	8.49	(-)3,315.54
मूल	3,324.03		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 योजना	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)		
0203	अध्यापक प्रशिक्षण तथा प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन अनुपूरक	282.82	1.25
	282.82		(-281.57)
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
05	भाषा विकास		
103	संस्कृत शिक्षा (गैर-योजना)		
0002	राजकीय संस्कृत विद्यालय	305.22	230.32
	मूल	305.22	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0003	गैर-सरकारी संस्कृत विद्यालय	17,500.00	11,650.93
	मूल	17,500.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
200	अन्य भाषाओं की शिक्षा (गैर-योजना)		
0001	मदरसा इस्लामिया समसुल होदा	203.92	96.10
	मूल	203.92	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0002	गैर-सरकारी मदरसा	36,500.00	25,805.59
	मूल	36,500.00	
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
80	सामान्य		
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	मुख्यालय स्थापना	598.44	486.70
	मूल	584.40	
	पुनर्वि०	14.04	
	₹ 14.04 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0102	राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय	3,262.76	455.77
	मूल	4,100.00	
	अनुपूरक	250.00	
	पुनर्वि०	(-1,087.24)	
	₹ 1,087.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
003 प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0104 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का विकास (बाह्य संपोषित योजना)	5,000.06	4,723.85	(-)276.21
मूल	5,000.00		
अनुपूरक	2,500.06		
पुनर्वि०	(-)2,500.00		
₹ 2,500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
004 अनुसंधान (गैर-योजना)			
0003 जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनैतिक शोध संस्थान, पटना	332.00	201.95	(-)130.05
मूल	134.10		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	197.89		
₹ 197.89 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0009 हिन्दी ग्रंथ अकादमी	212.00	212.00	0.00
मूल	135.00		
पुनर्वि०	77.00		
₹ 77.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0017 संस्कृत अकादमी	57.28	57.28	0.00
मूल	22.00		
पुनर्वि०	35.28		
₹ 35.28 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0018 राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्	736.96	636.33	(-)100.63
मूल	737.46		
पुनर्वि०	(-)0.50		
₹ 0.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0019 भोजपुरी अकादमी	169.39	169.39	0.00
मूल	39.00		
पुनर्वि०	130.39		
₹ 130.39 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0101	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय अनुपूरक	761.38 761.38	2.27 (-759.11)
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)		
0102	राज्य शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान निदेशालय अनुपूरक	75.86 75.86	0.28 (-75.58)
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>2204</b>	<b>खेलकूद तथा युवा सेवाएँ</b>		
00			
101	व्यायाम शिक्षा (राज्य योजना)		
0103	मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	150.00	0.00 (-150.00)
	मूल	150.00	
	संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
104	खेल-कूद (राज्य योजना)		
0108	बिहार सबजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम मूल	444.65 200.00	312.85 (-131.80)
	पुनर्वि०	244.65	
	₹ 244.65 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		
<b>2205</b>	<b>कला एवं संस्कृति</b>		
00			
105	सार्वजनिक पुस्तकालय (गैर-योजना)		
0001	सार्वजनिक पुस्तकालय मूल	191.57 131.57	158.36 (-33.21)
	पुनर्वि०	60.00	
	₹ 60.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		

अनुदान संख्या - 21 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0011 राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता एवं राज्य सरकार की संयुक्त निधि में राज्य सरकार का अनुदान	40.00	0.00	(-)40.00
मूल	40.00		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं**

00

090 सचिवालय  
(गैर-योजना)

0002 शिक्षा विभाग 1,173.39 540.20 (-)633.19

मूल 1,173.39

अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

**2202 सामान्य शिक्षा**

02 माध्यमिक शिक्षा

101 निरीक्षण  
(गैर-योजना)

0001 निरीक्षण 514.02 1,681.98 (+)1,167.96

मूल 514.02

अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

80 सामान्य

004 अनुसंधान  
(गैर-योजना)

0001 राष्ट्रभाषा पर्वद 189.20 328.75 (+)139.55

मूल 185.70

पुनर्वि० 3.50

₹ 3.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।

**अनुदान संख्या - 21 - क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (v) ₹ 82,208.45 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 5,200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (vi) बचत का कोई भाग वर्ष के दौरान अभ्यर्पित नहीं हुआ।
- (vii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )</b>	<b>अधिक व्यय (+) बचत (-)</b>
<b>4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 सामान्य शिक्षा			
202 माध्यमिक शिक्षा			
योजना (राज्य योजना)			
0103 राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण	61,150.00	23,942.56	(-)37,207.44
मूल	56,150.00		
अनुपूरक	5,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0108 राज्य शोध एव प्रशिक्षण संस्थान के भवन	45,000.00	0.00	(-)45,000.00
मूल	45,000.00		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 22 - गृह विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2014 न्याय प्रशासन			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2055 पुलिस			
2056 जेल			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	5,82,07,801	6,19,84,017	5,19,57,891
अनुपूरक	37,76,216		(-)1,00,26,126
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			10,97,298
24 अक्टूबर 2014	1,019		
19 मार्च 2015	1,94,768		
31 मार्च 2015	9,01,511		
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय			
4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	54,09,658	63,51,727	49,05,601
अनुपूरक	9,42,069		(-)14,46,126
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			10,00,783
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ-</b>			
<b>राजस्व ( दत्तमत )</b>			
(i) ₹ 1,00,261.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 3,591.08 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 33,193.33 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 977.75 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 37,762.16 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।			
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,972.98 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,00,261.26 लाख) से ₹ 89,288.28 लाख कम था ।			

**अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2055 पुलिस</b>			
00			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 अधीक्षण	3,141.95	2,734.94	(-)407.01
मूल	3,108.94		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	33.00		
₹ 33.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 केन्द्रीय स्तर पर सामग्रियों का क्रय	7,700.00	5,234.61	(-)2,465.39
मूल	7,700.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.00	0.00	0.00
मूल	43.00		
पुनर्वि०	(-)43.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, स्थानीय स्तर पर हथियार की खरीद की आवश्यकता नहीं रहने के कारण हुई ।			
003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0002 प्रशिक्षण विद्यालय, नाथनगर	1,139.27	966.94	(-)172.33
मूल	1,139.26		
अनुपूरक	0.01		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधित व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, प्रशिक्षण कार्य की स्वीकृति नहीं मिलने के कारण हुई ।			
0005 राज्य के बाहर विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने हेतु	100.00	27.03	(-)72.97
मूल	100.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0007 प्रशिक्षण विद्यालय, सिमुलतल्ला	2,178.28	75.65	(-)2,102.63
मूल	2,178.26		
अनुपूरक	0.02		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0008 प्रशिक्षण विद्यालय, डुमराँव	2,166.74	73.37	(-)2,093.37
मूल	2,166.73		
अनुपूरक	0.01		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
051 निर्माण ( गैर-योजना)			
0001 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा पुलिस भवनों के मरम्मत एवं रख रखाव	4,000.00	0.00	(-)4,000.00
मूल	4,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता ( गैर-योजना)			
0001 आपराधिक जाँच विभाग	14,104.01	12,551.20	(-)1,552.81
मूल	14,085.52		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	18.48		
₹ 18.48 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 भारत नेपाल सीमा पर चेक-पोस्ट	715.00	642.86	(-)72.14
मूल	715.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 विशेष पुलिस ( गैर-योजना)			
0002 पैदल सैन्य पुलिस	63,108.85	54,954.91	(-)8,153.94
मूल	61,955.34		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	1,153.50		
₹ 1,153.50 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय तथा लघु कार्य विपत्रों के भुगतान की जरूरत के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 विशेष टास्क फोर्स	12,386.62	5,688.42	(-)6,698.20
मूल	12,446.38		
पुनर्वि०	(-)59.76		
₹ 59.76 लाख का पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी, उपस्करों के खरीद के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 आतंकवाद निरोधक दस्ते	657.89	451.19	(-)206.70
अनुपूरक	2,723.42		
पुनर्वि०	(-)2,065.53		
₹ 2,065.53 लाख का प्रत्यर्पण, पुलिस बलों की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
109 जिला पुलिस (गैर-योजना)			
0001 जिला कार्यकारी दल	2,56,032.06	2,21,933.46	(-)34,098.60
मूल	2,56,697.00		
पुनर्वि०	(-)664.94		
₹ 664.94 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 उग्रवाद प्रभावित गाँवों में विशेष पुलिस पदाधिकारी हेतु मानदेय	604.00	497.93	(-)106.07
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)96.00		
₹ 96.00 लाख का प्रत्यर्पण, विशेष पुलिस पदाधिकारी की नियुक्ति विचाराधीन रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005 स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस	15,471.50	13,166.00	(-)2,305.50
मूल	16,625.00		
पुनर्वि०	(-)1,153.50		
₹ 1,153.50 लाख द्वारा प्रावधान में कमी, लंबित यात्रा भत्ता विपत्रों तथा लघु कार्य विपत्रों के भुगतान के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) स्कीम के तहत उग्रवाद प्रभावित थानों/बाहरी पोस्ट का सृष्टीकरण योजना	1,300.00	890.50	(-)409.50
मूल	1,600.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		
₹ 300.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी, लंबित ईंधन तथा वाहनों के मरम्मत के विपत्रों के भुगतान के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0007 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में स्थानीय जनता के बीच सामुदायिक पुलिसिंग पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	53.10	34.73	(-)18.37
मूल	150.00		
पुनर्वि०	(-)96.90		
₹ 96.00 लाख का प्रत्यर्पण, कार्य योजना तैयार नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0008 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में ग्राम सुरक्षा हेतु संसाधन पर ग्राम सुरक्षा समिति/नागरिक सुरक्षा समिति पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	15.50	2.24	(-)13.26
मूल	44.00		
पुनर्वि०	(-)28.50		
₹ 28.50 लाख का प्रत्यर्पण, कार्य योजना तैयार नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0009 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में आपात स्थिति में किराये पर लिए जाने वाले वाहनों/ हेलिकॉप्टरों/संचार संसाधन हेतु (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	925.00	4.38	(-)920.62
मूल	1,100.00		
पुनर्वि०	(-)175.00		
₹ 175.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी, लंबित कार्यालय व्यय विपत्रों के भुगतान के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0010 एस.आर.ई. योजना से आच्छादित जिलों में कल्याण एवं विभिन्न विकास योजनाओं के संदर्भ में उग्रवादियों के कुकृत्यों की जानकारी देने हेतु प्रचार-प्रसार पर व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	20.60	11.44	(-)9.16
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)29.40		
₹ 29.40 लाख का प्रत्यर्पण, राशि के उपयोग नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0012 थानों के लिए व्यय	117.55	52.68	(-)64.87
मूल	117.55		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0014 प्रमुख नदियों तथा दियारा क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं प्राथमिक आपदा प्रबंधन हेतु नदी थाना	102.00	0.78	(-)101.22
मूल	102.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0017 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय	1,325.00	1,160.37	(-)164.63
मूल	850.00		
पुनर्वि०	475.00		
₹ 475.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि, लंबित ईंधन विपत्रों, वाहनों के मरम्मत तथा कार्यालय व्यय के विपत्रों के भुगतान के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
111 रेल पुलिस (गैर-योजना)			
0002 ऑर्डर पुलिस	17,937.50	15,362.05	(-)2,575.45
मूल	17,952.50		
पुनर्वि०	(-)15.00		
₹ 15.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
113 पुलिस कर्मियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001 चिकित्सालय व्यय	1,038.71	637.46	(-)401.25
मूल	1,038.71		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय (प्रतिपूर्ति भारत सरकार से)	775.00	674.06	(-)100.94
मूल	775.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 अनुग्रह अनुदान	132.00	29.00	(-)103.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)268.00		
₹ 268.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
114 बेतार तथा कम्प्यूटर (गैर-योजना)			
0002 कम्प्यूटर	183.00	121.47	(-)61.53
मूल	183.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण ( गैर-योजना)			
0001 पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	4,228.46	855.40	(-)3,373.06
मूल	3,600.00		
पुनर्वि०	628.46		
₹ 628.46 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( अगस्त 2015 ) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 पुलिस प्रशासन का ढाँचागत सुदृढीकरण एवं उन्नयन	3,000.00	164.84	(-)2,835.16
मूल	3,000.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( अगस्त 2015 ) ।			
<b>2056 जेल</b>			
00			
001 निदेशन और प्रशासन ( गैर-योजना)			
0001 जेल निरीक्षणालय	560.76	560.56	(-)0.20
मूल	659.60		
पुनर्वि०	(-)98.84		
प्रावधान में ₹ 98.84 लाख की हुई कमी, ₹ 25.80 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 124.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 124.64 लाख का कमी, अधिकारियों के पदोन्नति/स्थानांतरण के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( अगस्त 2015 ) ।			
101 जेल ( गैर-योजना)			
0001 केन्द्रीय जेल	9,120.42	6,624.18	(-)2,496.24
मूल	9,006.33		
अनुपूरक	970.00		
पुनर्वि०	(-)855.91		
प्रावधान में ₹ 8.23 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 847.68 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा कमी, केन्द्रीय जेल में वार्डन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा अन्य की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है ( अगस्त 2015 ) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0002 जिला जेल	11,002.24	7,100.27	(-)3,901.97
मूल	12,117.49		
पुनर्वि०	(-)1,115.25		
प्रावधान में ₹ 15.25 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,100.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा कमी, जिला जेल में वार्डन, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर तथा अन्य की नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 उप-कारा	3,287.02	2,011.75	(-)1,275.27
मूल	3,287.02		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 मुक्त कारागार	90.23	55.74	(-)34.49
मूल	82.00		
पुनर्वि०	8.23		
₹ 8.23 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
00			
108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण योजना (राज्य योजना)			
0102 अग्निशामक उपकरणों का क्रय	336.40	336.40	0.00
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	(-)2,163.60		
₹ 2,163.60 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0205 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	492.81		
पुनर्वि०	(-)492.81		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
01 पुनर्वासि			
202 अन्य पुनर्वासि योजनाएं (गैर-योजना)			
0004 आत्मसमर्पित अपराधियों एवं उनके परिवार के सर्वांगीण विकास हेतु	2.84	2.84	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-)27.16		
₹ 27.16 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 समाज कल्याण			
106 सुधारक सेवाएं (गैर-योजना)			
0002 परिवीक्षा सेवाएं	661.04	650.24	(-)10.80
मूल	727.85		
पुनर्वि०	(-)66.81		
₹ 66.81 लाख का प्रत्यर्पण, कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की नियुक्ति नहीं होने, सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए०सी०पी०) तथा रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम०ए०सी०पी०) वित्त विभाग द्वारा कार्यालय व्यय का प्रतिशत कम तय किए जाने तथा यात्रा व्यय विपत्र के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता	1,040.71	671.24	(-)369.47
मूल	1,400.00		
पुनर्वि०	(-)359.29		
₹ 359.29 लाख का प्रत्यर्पण, स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की मृत्यु हो जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005 स्थल,जल तथा वायु सैनिकों का जिला कल्याण परिषद्	97.40	88.85	(-)8.55
मूल	138.26		
पुनर्वि०	(-)40.86		
₹ 40.86 लाख का प्रत्यर्पण, जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र दिये जाने तथा यात्रा व्यय में कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0009 जे०पी० सेनानी सम्मान योजना	1,141.35	1,140.35	(-)1.00
मूल	1,300.00		
पुनर्वि०	(-)158.65		
₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 138.65 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी, जिलाधिकारियों से जे०पी० सेनानी सम्मान योजना से संबंधित पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र तथा उद्घोषणा पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत	150.00	68.45	(-)81.55
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 22 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना केन्द्रीय योजनागत योजना			
0414 आतंकवाद, साम्प्रदायिक तथा नक्सली हिंसा के पीड़ितों को सहायता	14.00	14.00	0.00
अनुपूरक	140.00		
पुनर्वि०	(-)126.00		
₹ 126.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 14,461.26 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 8,835.99 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 584.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 9,420.69 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,007.83 लाख), अंतिम बचत (₹ 14,461.26 लाख) से ₹ 4,453.43 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	19,616.38	19,294.61	(-)321.77
मूल	22,716.38		
पुनर्वि०	(-)3,100.00		
₹ 3,100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0204 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण की राष्ट्रीय योजना	5,715.70	1,505.70	(-)4,210.00
मूल	5,131.00		
अनुपूरक	584.70		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
207 राज्य पुलिस (गैर-योजना)			
0001 पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि	0.00	0.00	0.00
मूल	7,200.00		
पुनर्वि०	(-)7,200.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			



**अनुदान संख्या - 22 - क्रमांत**

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )</b>	<b>अधिक व्यय (+) बचत (-)</b>
--------------	-------------------	--	----------------------------------

789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण अनुपूरक	48.30	0.00	(-)48.30
	मम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।	48.30		

**4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

00

052	मशीनरी तथा उपस्कर (राज्य योजना)			
0101	काराओं का संयंत्र	225.15	225.15	0.00
	मूल	500.00		
	पुनर्वि०	(-)274.85		
	प्रावधान में ₹ 274.85 लाख की कमी, ₹ 1,000.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,274.85 लाख के प्रत्यर्पण का निवल प्रभाव था । वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0101	कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी	3,519.94	3,524.63	(+ )4.69
	मूल	5,000.00		
	पुनर्वि०	(-)1,480.06		

₹ 1,480.06 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

(vii) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )</b>	<b>अधिक व्यय (+) बचत (-)</b>
--------------	-------------------	--	----------------------------------

**4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय**

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0103	केन्द्रीय/मंडल/उपकाराओं के भवन निर्माण- गृह (कारा) विभाग	2,599.99	2,721.94	(+ )121.95
	मूल	500.00		
	पुनर्वि०	2,099.99		

₹ 2,100.00 लाख के पुनर्विनियोग प्रावधान में वृद्धि तथा ₹ 0.01 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**अनुदान संख्या - 23 - उद्योग विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2408			
2851			
2852			
3451			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	80,78,346	1,43,24,241	49,63,722
अनुपूरक	62,45,895		(-)93,60,519
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			49,08,567
20 जून 2014	45,15,100		
27 जून 2014	55,000		
2 जुलाई 2014	2,45,200		
31 मार्च 2015	93,267		
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4851			
4860			
4885			
6885			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	1,35,047	1,35,047	95
अनुपूरक	0		(-)1,34,952
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,34,952
(31 मार्च 2015)			
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ-</b>			
<b>राजस्व ( दत्तमत )</b>			
(i) ₹ 93,605.19 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 56,764.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 5,694.95 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 62,458.95 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।			
(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 49,085.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 93,605.19 लाख) से ₹ 44,519.52 लाख कम था ।			

**अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2408 खाद्य, भण्डारण तथा भांडागार</b>			
01 खाद्य			
103 खाद्य संसाधन योजना (राज्य योजना)			
0201 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	229.53	229.53	0.00
मूल	907.00		
अनुपूरक	907.00		
पुनर्वि०	(-)1,584.47		
₹ 1,584.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0301 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	162.51	162.51	0.00
मूल	162.51		
अनुपूरक	326.51		
पुनर्वि०	(-)326.51		
₹ 326.51 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0301 राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	47.49		
अनुपूरक	47.49		
पुनर्वि०	(-)94.98		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2851 ग्राम तथा लघु उद्योग</b>			
00			
102 लघु उद्योग (गैर-योजना)			
0001 प्रदर्शन केन्द्र	3,296.15	1,827.51	(-)1,468.64
मूल	3,306.15		
पुनर्वि०	(-)10.00		
₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 उद्योग मित्र	100.00	73.60	(-)26.40
मूल	100.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 हस्तकरघा उद्योग (गैर-योजना)			
0001 हस्तकरघा के विकास की योजना	199.10	122.76	(-)76.34
मूल	189.10		
पुनर्वि०	10.00		
₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 हस्तकरघा विकास की योजना	1,805.00	1.16	(-)1,803.84
मूल	1,805.00		
अनुपूरक	1,797.00		
पुनर्वि०	(-)1,797.00		
₹ 1,797.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0113 शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सृद्धीकरण	1,460.00	147.30	(-)1,312.70
मूल	1,860.00		
अनुपूरक	10.00		
पुनर्वि०	(-)410.00		
₹ 400.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 10.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0226 राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	827.00	0.00	(-)827.00
मूल	827.00		
अनुपूरक	600.00		
पुनर्वि०	(-)600.00		
₹ 600.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0326 राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम	15.00	0.00	(-)15.00
मूल	15.00		
अनुपूरक	15.00		
पुनर्वि०	(-)15.00		
₹ 15.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 शिल्प उद्योग (गैर-योजना)			
0001 हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	387.91	328.03	(-)59.88
मूल	387.91		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
104 शिल्प उद्योग ( गैर-योजना)			
0001 हस्तशिल्प तथा शिल्प अनुसंधान संस्थान का विकास	387.91	328.03	(-)59.88
मूल	387.91		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 हस्तशिल्प का विकास	1,290.00	797.09	(-)492.91
मूल	1,290.00		
अनुपूरक	550.00		
पुनर्वि०	(-)550.00		
₹ 550.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 खादी ग्रामोद्योग			
योजना (राज्य योजना)			
0001 बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायता	150.00	94.96	(-)55.04
मूल	150.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0102 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदान	400.00	0.00	(-)400.00
मूल	400.00		
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
107 रेशम उत्पादन उद्योग ( गैर-योजना)			
0001 रेशम का विकास	1,217.33	628.83	(-)588.50
मूल	1,217.33		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना- रेशम का विकास	3,700.00	1,172.30	(-)2,527.70
मूल	4,800.00		
पुनर्वि०	(-)1,100.00		
₹ 1,100.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0203 रेशम-कीट पालन के अन्तर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	230.00	0.00	(-)230.00
मूल	230.00		
0204 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	144.00	0.00	(-)144.00
अनुपूरक	144.00		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0303 रेशम-कीट पालन के अन्तर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	160.00	45.29	(-)114.71
मूल	160.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 विद्युत करघा योजना	400.00	0.00	(-)400.00
मूल	400.00		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना	30.00	0.00	(-)30.00
मूल	30.00		
अनुपूरक	30.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
₹ 30.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104 हस्तकरघा विकास योजना	1,200.20	3.58	(-)1,196.62
मूल	1,200.20		
0105 पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना-	1,200.00	87.18	(-)1,112.82
रेशम का विकास			
मूल	1,200.00		
उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0207 रेशम-कीट पालन के अन्तर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	51.95	0.00	(-)51.95
मूल	14.00		
अनुपूरक	37.95		
संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0307 रेशम-कीट पालन के अन्तर्गत उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम	40.00	5.57	(-)34.43
मूल	40.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2852 उद्योग</b>			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 निदेशन	2,755.29	1,831.50	(-)923.79
मूल	2,763.29		
पुनर्वि०	(-)8.00		
₹ 8.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	50.00	0.00	(-)50.00
मूल	50.00		
0111 निवेश आयुक्त का कार्यालय	150.00	0.00	(-)150.00
मूल	150.00		
उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
003 औद्योगिक शिक्षा-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 शिल्पी प्रशिक्षण केन्द्र	188.67	161.12	(-)27.55
मूल	188.67		
102 औद्योगिक उत्पादकता (गैर-योजना)			
0004 औद्योगिक समूहों की स्थापना	109.25	42.62	(-)66.63
मूल	109.25		
योजना (राज्य योजना)			
0110 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	8,522.00	840.00	(-)7,682.00
मूल	7,782.00		
अनुपूरक	740.00		
0135 इन्टरप्रेनियर्स डेवलपमेण्ट योजना की स्थापना	2,786.00	488.24	(-)2,297.76
मूल	1,715.00		
अनुपूरक	1,071.00		
उपर्युक्त चार मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0147 बिहार के औद्योगिक विकास अभियान के अन्तर्गत पूँजीनिवेश प्रोत्साहन हेतु गोष्ठियों का आयोजन	100.00	0.00	(-)100.00
मूल	100.00		
संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता की कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0159 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रोत्साहन	5,600.00	0.00	(-5,600.00)
मूल	2,600.00		
अनुपूरक	5,600.00		
पुनर्वि०	(-2,600.00)		
₹ 2,600.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0160 प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट- प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना	39,000.00	36,632.00	(-2,368.00)
मूल	29,500.00		
अनुपूरक	37,500.00		
पुनर्वि०	(-28,000.00)		
प्रावधान में ₹ 28,000.00 लाख की हुई कमी, ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 29,500.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0163 व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य	2,715.00	733.28	(-1,981.72)
आधारभूत संरचनाओं का सृजन, विकास एवं रख-रखाव-बिहार व्यापार विकास कोष			
मूल	1,900.00		
अनुपूरक	2,515.00		
पुनर्वि०	(-1,700.00)		
₹ 1,700.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0164 बिहार फाउण्डेशन	341.00	280.00	(-61.00)
मूल	181.00		
अनुपूरक	160.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 इन्टरप्रेनियोरस डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	10,720.80	587.07	(-10,133.73)
मूल	10,720.80		
अनुपूरक	10,234.00		
पुनर्वि०	(-10,234.00)		
₹ 10,234.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 23 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय ( गैर-योजना)			
0001 उद्योग विभाग	246.39	241.77	(-4.62)
मूल	290.11		
पुनर्वि०	(-43.72)		
₹ 43.72 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 1,349.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजीगत प्रभाग में ₹ 1,350.47 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
102 लघु उद्योग योजना (राज्य योजना)			
0102 टूल रूम ट्रेनिंग सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	53.47		
पुनर्वि०	(-53.47)		
₹ 0.71 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹52.76 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**4860 उपभोक्ता उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य			
102 खाद्य और पेय योजना (राज्य योजना)			
0201 निर्यात के लिए अवसरंचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,207.00		
पुनर्वि०	(-1,207.00)		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 23 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0301 निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (एएसआईडीई)	0.00	0.00	0.00
मूल	40.00		
पुनर्वि०	(-)40.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0301 निर्यात के लिए अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए०एस०आई०डी०ई०)	0.00	0.00	0.00
मूल	10.00		
पुनर्वि०	(-)10.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 पिछड़े क्षेत्रों का विकास			
050 भूमि योजना (राज्य योजना)			
0101 औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	0.95	0.95	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-)19.05		
₹ 19.05 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>6885 उद्योगों और खनिज के लिए अन्य कर्ज</b>			
01 औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को कर्ज			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज योजना (राज्य योजना)			
0110 बिहार राज्य वित्तीय निगम को ऋण	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
पुनर्वि०	(-)20.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 24 - सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2220 सूचना तथा प्रचार			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	9,62,579	20,62,579	11,58,247
अनुपूरक	11,00,000		(-)9,04,332
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			8,92,626

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 9,043.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 8,000.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 3,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 8,926.26 लाख), अंतिम बचत (₹ 9,043.32 लाख) से ₹ 117.06 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 24 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2220 सूचना तथा प्रचार</b>			
01 फिल्म			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन तथा प्रशासन	358.98	335.25	(-)23.73
मूल	1,016.76		
पुनर्वि०	(-)657.78		
प्रावधान में ₹ 657.78 लाख की हुई कमी, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 699.78 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
60 अन्य			
106 क्षेत्र प्रचार (गैर-योजना)			
0002 जिला ईकाईयाँ	1,433.24	1,385.73	(-)47.51
मूल	2,525.13		
पुनर्वि०	(-)1,091.89		
₹ 49.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,042.89 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षेत्रीय प्रचार योजना	1,193.22	1,193.22	0.00
मूल	800.00		
अनुपूरक	7,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,606.78		
₹ 6,606.78 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0102 क्षेत्रीय प्रचार योजना-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना	671.33	626.43	(-)44.90
मूल	193.97		
अनुपूरक	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)522.64		
₹ 522.64 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

शीर्ष	अनुदान संख्या - 24 - क्रमांत		
	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
00			
090	सचिवालय ( गैर-योजना )		
0014	सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	42.92	42.00
	मूल	82.93	
	पुनर्वि०	(-40.01)	
	प्रावधान में ₹ 40.01 लाख की हुई कमी, ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 47.01 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

**अनुदान संख्या - 25 - सूचना प्रावैधिकी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2230			
2852			
3451			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	19,22,504	21,56,424	4,30,383
अनुपूरक	2,33,920		(-)17,26,041
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			17,26,012

<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4859			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	1,00,000	1,00,000	40,000
अनुपूरक	0		(-)60,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि ( 31 मार्च 2015 )			60,000

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( दत्तमत )**

(i) ₹ 17,260.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 2,339.20 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,260.12 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,260.41 लाख) से ₹ 0.29 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2230 श्रम तथा रोजगार</b>			
03 प्रशिक्षण			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	6,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
<b>2852 उद्योग</b>			
07 दूर-संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग			
202 इलेक्ट्रॉनिक योजना (राज्य योजना)			
0101 राष्ट्रीय ई-शासन योजना-कॉमन सर्विस सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
0102 मुख्य मंत्री सचिवालय में जन शिकायत कोषांग	43.28	43.28	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)156.72		
₹ 156.72 लाख के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
0103 ई-शासन परियोजनाओं के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
0104 ई-क्रय योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
0105 राज्य की पोर्टल योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 25 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0106 ज्ञान सिटी परियोजना	998.65	998.65	0.00
मूल	4,717.08		
पुनर्वि०	(-)3,718.43		
₹ 3,718.43 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
0107 सूचना प्रावैधिकी संबंधी प्रचार-प्रसार योजना	28.50	28.50	0.00
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-)271.50		
₹ 271.50 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
0108 राज्य डाटा सेन्टर	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
0109 ई-शासन राज्य योजना	748.93	628.70	120.23
मूल	3,580.00		
पुनर्वि०	(-)2,831.07		
₹ 2,831.07 लाख के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0212 राष्ट्रीय ई-शासन कार्य योजना (एन०ई०जी०ए०पी०) (ए०सी०ए०)	1,927.00	1,927.00	0.00
मूल	2,306.00		
अनुपूरक	2,339.00		
पुनर्वि०	(-)2,718.00		
₹ 2,718.00 लाख के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0027 सूचना प्रावैधिकी विभाग	178.59	178.30	(-)0.29
मूल	321.96		
अनुपूरक	0.20		
पुनर्वि०	(-)143.57		
₹ 143.57 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 25 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0118 सचिवालय का स्थानीय नेटवर्क	336.00	336.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)-664.00		
₹ 664.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2852 उद्योग</b>			
07 दूर-संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग			
202 इलेक्ट्रॉनिक			
योजना (राज्य योजना)			
0110 ई-डिस्ट्रीक्ट योजना	43.18	163.40	(+)-120.22
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)-56.82		
₹ 56.82 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (v) ₹ 600.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजीगत प्रभाग में ₹ 1,000.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 इलेक्ट्रॉनिक			
004 अनुसंधान तथा विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान)	400.00	400.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)-600.00		
₹ 600.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय मे कमी के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 26 - श्रम संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230	श्रम तथा रोजगार			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
<b>मूल</b>		<b>33,45,147</b>	<b>46,73,328</b>	<b>21,93,242</b>
<b>अनुपूरक</b>		<b>13,28,181</b>		<b>(-)24,80,086</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>				<b>21,49,330</b>
26 नवम्बर 2014	6,51,600			
11 फरवरी 2015	40,000			
27 फरवरी 2015	20,000			
31 मार्च 2015	14,37,730			

**पूँजी**

**मुख्य शीर्ष**

4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत :**

<b>मूल</b>		<b>46,997</b>	<b>46,997</b>	<b>33,232</b>	<b>(-)13,765</b>
<b>अनुपूरक</b>		<b>0</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>					<b>12,781</b>
(31 मार्च 2015)					

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 24,800.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 6,546.84 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 6,519.46 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 215.51 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,281.81 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 21,493.30 लाख), अंतिम बचत (₹ 24,800.86 लाख) से ₹ 3,307.56 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी			
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना (गैर-योजना)			
0001 कर्मचारी राज्य बीमा योजना	1,036.11	1,036.11	0.00
मूल	1,148.14		
अनुपूरक	3.44		
पुनर्वि०	(-)115.47		
₹ 115.47 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और कुछ अधिकारियों के उनके मूल विभाग में वापस किए जाने, अनुपयोगी वाहनों तथा बिहार मेडिकल सर्विसेस एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड (बीएमएसआईसीएल) द्वारा दवाईयों की आपूर्ति के विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम संसाधन विभाग	2.67	2.67	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)47.33		
₹ 47.33 लाख के प्रत्यर्पण, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा जीर्णोद्धार/मरम्मत की सहमति नहीं होने तथा वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>2230 श्रम तथा रोजगार</b>			
01 श्रम			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 श्रम आयुक्त	381.82	371.32	(-)10.50
मूल	438.86		
पुनर्वि०	(-)57.04		
₹ 57.04 लाख के प्रत्यर्पण, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने, वेतन पुनरीक्षण के बकाए के भुगतान नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 औद्योगिक संबंध ( गैर-योजना)			
0006 श्रम कानूनों का प्रवर्तन तथा प्रशासन	668.47	665.27	(-)3.20
मूल	908.27		
पुनर्वि०	(-)239.80		
0007 कृषि में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन	1,984.35	1,969.40	(-)14.95
मूल	2,367.37		
पुनर्वि०	(-)383.02		
उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 239.80 लाख तथा, ₹ 383.02 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, वेतन पुनरीक्षण के बकाए के भुगतान नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । उपर्युक्त दो मामलों में अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0108 श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढीकरण	63.84	64.29	(+)0.45
मूल	347.35		
पुनर्वि०	(-)283.51		
₹ 265.43 लाख के प्रत्यर्पण, विपत्रों के समय पर भुगतान नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18.08 लाख की कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 सुरक्षा एवं कार्य स्थिति ( गैर-योजना)			
0002 कारखानों के निरीक्षक	350.40	349.44	(-)0.96
मूल	452.21		
पुनर्वि०	(-)101.81		
₹ 101.81 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति, वेतन पुनरीक्षण के बकाए के भुगतान नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103 सामान्य श्रम कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0103 बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	106.73	105.98	(-)0.75
मूल	189.15		
पुनर्वि०	(-)82.42		
₹ 82.42 लाख के प्रत्यर्पण, विपत्रों के समय पर प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114 उत्प्रवासी श्रम कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0102 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	100.41	97.41	(-)3.00
मूल	157.50		
पुनर्वि०	(-)57.09		
₹ 13.60 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 43.49 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0103 अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	21.00	21.00	0.00
मूल	65.00		
पुनर्वि०	(-)44.00		
₹ 44.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
03 प्रशिक्षण			
003 शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0105 पूर्व में स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना	9.54	9.54	0.00
मूल	60.00		
पुनर्वि०	(-)50.46		
₹ 50.46 लाख के प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का नियोजन नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई ।			
0109 मशीनों का आधुनिकीकरण	351.63	351.63	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)148.37		
₹ 73.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 75.37 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0129 बिहार कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	20.00		
अनुपूरक	13,012.00		
पुनर्वि०	(-)13,032.00		
₹ 13,032.00 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा (₹ 5,916.00 लाख) निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने तथा (₹ 6,516.00 लाख) के सहायता अनुदान का प्रावधान किए जाने, (₹ 200.00 लाख) नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए तथा नियोक्ता के लिए (₹ 400.00 लाख) कर्णांकित किए जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 26 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0233 कौशल विकास मिशन	3,238.98	101.92	(-)3,137.06
मूल	3,239.00		
अनुपूरक	(-)0.02		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान			
योजना (राज्य योजना)			
0101 नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	162.22	158.98	(-)3.24
मूल	300.03		
पुनर्वि०	(-)137.81		
₹ 137.81 लाख के प्रत्यर्पण, कर्मचारियों का नियोजन नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 प्रशिक्षु प्रशिक्षण			
(गैर-योजना)			
0001 प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना	172.83	172.53	(-)0.30
मूल	222.02		
पुनर्वि०	(-)49.19		
₹ 26.50 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 22.69 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
110 अन्य बीमा योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा	0.00	0.00	0.00
मूल	6,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,000.00		
संपूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग से सहमति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>			
00			
091 संलग्न कार्यालय			
(गैर-योजना)			
0001 सचिवालय भोजशाला की स्थापना	438.47	438.47	0.00
मूल	572.37		
पुनर्वि०	(-)133.90		

**अनुदान संख्या - 26 - क्रमांत**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0002 विधान मंडल भोजशाला की स्थापना	127.59	127.59	0.00
मूल	164.82		
पुनर्वि०	(-)37.23		
उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 133.90 लाख तथा ₹ 37.23 लाख के प्रत्यर्पण, कुछ अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृति होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई ।			

**पूँजीगत ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 137.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 469.97 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 127.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 137.65 लाख) से ₹ 9.84 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4250</b> अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
050 भूमि			
योजना (राज्य योजना)			
0101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भू-अर्जन	342.16	332.32	(-)9.84
मूल	469.97		
पुनर्वि०	(-)127.81		
₹ 127.81 लाख के प्रत्यर्पण, भू-अर्जन नीति में परिवर्तन होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 27 - विधि विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2014	न्याय प्रशासन			
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		65,93,332	67,32,125	49,41,181
अनुपूरक		1,38,793		(-)17,90,944
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,74,980
5 नवम्बर 2014	60,487			
31 मार्च 2015	17,14,493			

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 17,909.44 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 913.26 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 473.50 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 1.17 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,387.93 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,749.80 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,909.44 लाख) से ₹ 159.64 लाख कम था ।



**अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2014 न्याय प्रशासन</b>			
00			
003 प्रशिक्षण (गैर-योजना)			
0001 बिहार न्यायिक अकादमी	854.65	854.65	0.00
मूल	1,309.19		
अनुपूरक	549.60		
पुनर्वि०	(-1,004.14)		
₹ 1,004.14 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 सिविल एवं सत्र न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 सिविल एवं सत्र न्यायालय	41,671.74	41,554.42	(-117.32)
मूल	50,787.20		
अनुपूरक	363.66		
पुनर्वि०	(-9,479.12)		
₹ 9,479.12 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता तथा पदों के खाली रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट	62.91	62.18	(-0.73)
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-437.09)		
₹ 437.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
106 लघुवाद न्यायालय (गैर-योजना)			
0001 वित्त आयोग के अनुशांसा पर सुबह, शाम, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं शिफ्ट न्यायालयों का गठन	0.93	0.93	0.00
मूल	4,286.40		
पुनर्वि०	(-4,285.47)		
₹ 4,285.47 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 27 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114	विधि सलाहकार और परामर्शदाता (गैर-योजना)		
0002	निर्धनों को कानूनी सहायता	784.04	774.14 (-)9.90
	मूल	1,147.19	
	पुनर्वि०	(-)363.15	
	₹ 363.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0006	विधि आयोग	70.00	67.95 (-)2.05
	मूल	120.88	
	पुनर्वि०	(-)50.88	
	₹ 50.88 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता तथा पदों के खाली रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0105	बिहार राज्य/जिला/अनुमंडल बार काउंसिल/एसोसिएशन को अनुदान	0.00	0.00 0.00
	मूल	500.00	
	पुनर्वि०	(-)500.00	
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
117	परिवार न्यायालय (गैर-योजना)		
0001	परिवार न्यायालय	379.84	377.97 (-)1.87
	मूल	269.65	
	अनुपूरक	473.50	
	पुनर्वि०	(-)363.31	
	₹ 363.31 लाख का प्रत्यर्पण, मितव्ययता तथा पदों के खाली रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	परिवार न्यायालय	163.27	162.90 (-)0.37
	मूल	768.14	
	पुनर्वि०	(-)604.87	
	₹ 604.87 लाख का प्रत्यर्पण, 27 कार्यरत पारिवारिक न्यायालयों के स्थानांतरण तथा विधि विभाग द्वारा एक अतिरिक्त पारिवारिक न्यायालय का राज्य योजना से गैर योजना में स्थानांतरण किए जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 27 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2052</b>	<b>सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>		
00	00		
090	सचिवालय ( गैर-योजना)		
0018	592.14	590.38	(-1.76)
	मूल 718.23		
	पुनर्वि० (-)126.09		
	₹ 126.09 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>2235</b>	<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>		
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
200	अन्य कार्यक्रम ( गैर-योजना)		
0013	20.60	13.85	(-6.75)
	मूल 50.00		
	पुनर्वि० (-)29.40		
	₹ 29.40 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

विनियोग संख्या - 28 - उच्च न्यायालय, बिहार  
( सभी प्रभारित )

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2014 न्याय प्रशासन			
प्रभारित :			
मूल	12,70,228	12,90,028	(-)4,75,900
अनुपूरक	19,800		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			4,21,306

टीका एवं टिप्पणियाँ-  
राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹ 4,759.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 100.00 लाख), तथा मार्च 2015 (₹ 98.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 198.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4,213.06 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,759.00 लाख) से ₹ 545.94 लाख कम था ।

**विनियोग संख्या - 28 - क्रमांत**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>2014</b>	<b>न्याय प्रशासन</b>			
00				
102	उच्च न्यायालय (गैर-योजना)			
0001	उच्च न्यायालय, पटना	8,423.21	7,877.27	(-)545.94
	मूल	12,052.78		
	पुनर्वि०	(-)3,629.57		
	₹ 3,629.57 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने, स्वीकृत पदों के नहीं भरे जाने तथा व्यय के विपत्रों को समर्पित नहीं किए जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0005	ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट	199.43	199.43	0.00
	मूल	649.50		
	पुनर्वि०	(-)450.07		
	₹ 450.07 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0006	पटना उच्च न्यायालय का शताब्दी समारोह	64.57	64.57	0.00
	मूल	198.00		
	पुनर्वि०	(-)133.43		
	₹ 133.43 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्त होने, स्वीकृत पदों के नहीं भरे जाने तथा व्यय के विपत्रों को समर्पित नहीं किए जाने के कारण हुई।			

**अनुदान संख्या - 29 - खान एवं भूतत्व विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2853 अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	2,02,288	2,02,288	1,43,875
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			56,964

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 584.13 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत ₹ 2,022.88 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 569.64 लाख), अंतिम बचत (₹ 584.13 लाख) से ₹ 14.49 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 29 - क्रमांत

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2853</b>	<b>अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग</b>		
02	खानों का विनियमन तथा विकास		
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	खनन एवं भूतत्व स्थापना	1,363.24	1,350.22 (-)13.02
	मूल	1,870.80	
	पुनर्वि०	(-)507.56	
	प्रावधान में ₹ 507.56 लाख की हुई कमी, ₹ 1.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 508.56 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
004	अनुसंधान तथा विकास		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	भूवैज्ञानिक तथा जी०पी०एस० प्रयोगशाला	45.85	45.85 0.00
	मूल	100.00	
	पुनर्वि०	(-)54.15	
	₹ 54.15 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

**अनुदान संख्या - 30 - अल्पसंख्यक कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2053	जिला प्रशासन		
2202	सामान्य शिक्षा		
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2250	अन्य सामाजिक सेवाएं		
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं		
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	8,34,516	8,88,660	7,05,780
अनुपूरक	54,144		(-)1,82,880
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,49,255
25 अगस्त 2014	20,000		
15 सितम्बर 2014	70,000		
31 मार्च 2015	59,255		

**पूँजी**

**मुख्य शीर्ष**

4250	अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय
5465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश
7465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए कर्ज

**दत्तमत :**

मूल	21,72,996	21,72,996	21,51,299	(-)21,697
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				18,154

(31 मार्च 2015)

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 1,828.80 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 103.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 331.36 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 107.08 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 541.44 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,492.55 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,828.80 लाख) से ₹ 336.25 लाख कम था ।



**अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2053</b> <b>जिला प्रशासन</b>			
00			
094    अन्य स्थापना (गैर-योजना)			
0010    अल्पसंख्यक कल्याण जिला कार्यालय	379.69	378.62	(-)1.07
मूल	388.70		
अनुपूरक	80.45		
पुनर्वि०	(-)89.46		
₹ 89.46 लाख के प्रत्यर्पण, मितव्ययता तथा पदों के खाली रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2202</b> <b>सामान्य शिक्षा</b>			
02    माध्यमिक शिक्षा			
107    छात्रवृत्तियां			
योजना (राज्य योजना)			
0109    मुख्य मंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना	2,271.50	2,111.10	(-)160.40
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)728.50		
₹ 728.50 लाख के प्रत्यर्पण, मुख्यतः योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0310    अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	125.76	118.54	(-)7.22
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)274.24		
₹ 274.24 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से आवश्यक राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 30 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>2225</b>	<b>अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>			
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण			
102	आर्थिक विकास			
योजना	(राज्य योजना)			
0201	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	54.84	0.00	(-54.84)
	अनुपूरक	75.00		
	पुनर्वि०	(-20.16)		
	₹ 20.16 लाख के प्रत्यर्पण, कुछ चयनित प्रखण्डों के सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई । संपूर्ण प्रावधान के अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
277	शिक्षा			
योजना	(राज्य योजना)			
0111	अल्पसंख्यक छात्रावासों के रखरखाव एवं आधुनिकीकरण	88.13	86.13	(-2.00)
	मूल	270.00		
	पुनर्वि०	(-181.87)		
	₹ 181.87 लाख के प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2250</b>	<b>अन्य सामाजिक सेवाएं</b>			
00				
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0107	वक्फ संपत्ति के रख-रखाव, सुरक्षा तथा संवर्द्धन हेतु	0.00	0.00	0.00
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-20.00)		
0108	वक्फ संपत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड की रिवाँलविंग फंड	0.00	0.00	0.00
	के रूप में अनुदान			
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-20.00)		
	उपर्युक्त दो मामलों में संपूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 30 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
00			
090 सचिवालय ( गैर-योजना)			
0011 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	376.66	370.62	(-)6.04
मूल	277.72		
अनुपूरक	161.70		
पुनर्वि०	(-)62.76		
₹ 62.76 लाख के प्रत्यर्पण, मितव्ययता उपायों तथा पदों के खाली रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

पूँजी ( दत्तमत )

- (iv) ₹ 216.97 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 21,729.96 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 181.54 लाख), अंतिम बचत (₹ 216.97 लाख) से ₹ 35.43 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 31- संसदीय कार्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>			
दत्तमत :			
मूल	16,077	16,177	(-)1,293
अनुपूरक	100		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			431

**टीका एवं टिप्पणियाँ**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 12.93 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 4.31 लाख), अंतिम बचत (₹ 12.93 लाख) से ₹ 8.62 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 32- विधान मंडल

		कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व				
मुख्य शीर्ष				
<b>2011</b>	<b>संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल</b>			
दत्तमत :				
मूल		11,39,028	13,25,653	12,12,814
अनुपूरक		1,86,625		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				1,08,836
13 मार्च 2015	4,786			
31 मार्च 2015	1,04,050			
<b>प्रभारित:</b>				
मूल		8,562	10,935	9,574
अनुपूरक		2,373		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				1,343
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ</b>				
राजस्व ( दत्तमत )				

- (i) ₹ 1,128.39 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,834.18 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 32.07 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,866.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,088.36 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,128.39 लाख) से ₹ 40.03 लाख कम था ।

अनुदान संख्या - 32 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2011</b>	<b>संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल</b>		
02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल		
101	विधान सभा (गैर-योजना)		
0004	253.31	241.56	(-)11.75
	मूल 506.97		
	पुनर्वि० (-)253.66		
	₹ 253.66 लाख का प्रत्यर्पण, सचेतकगण के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0005	4,848.66	4,823.89	(-)24.77
	मूल 4,272.96		
	अनुपूरक 1,095.80		
	पुनर्वि० (-)520.10		
	₹ 520.10 लाख का प्रत्यर्पण मितव्ययता के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
102	विधान परिषद (गैर-योजना)		
0007	204.98	204.98	0.00
	मूल 129.51		
	अनुपूरक 113.64		
	पुनर्वि० (-)38.17		
	प्रावधान में ₹ 38.17 लाख की कमी, ₹ 1.00 लाख की वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.50 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 37.67 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 37.67 लाख की कमी सत्तारूढ़ दल के उपनेता के पद रिक्त रहने के कारण हुई ।		

**अनुदान संख्या - 32 - क्रमांत**

**राजस्व ( प्रभारित )**

- (iv) ₹ 13.61 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹12.60 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹11.13 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 23.73 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 13.43 लाख), अंतिम बचत (₹ 13.61 लाख) से ₹ 0.18 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2011</b>	<b>संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल</b>		
02	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल		
101	विधान सभा ( गैर-योजना)		
0001	अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते	57.40	57.40
	मूल	54.06	
	अनुपूरक	11.13	
	पुनर्वि०	(-)7.79	
	₹ 7.79 लाख का प्रत्यर्पण मितव्ययता के कारण हुई ।		
102	विधान परिषद ( गैर-योजना)		
0001	सभापति एवं उप-सभापति के वेतन एवं भत्ते	38.52	38.34
	मूल	31.56	
	अनुपूरक	12.60	
	पुनर्वि०	(-)5.64	
	₹ 5.64 लाख का प्रत्यर्पण, चिकित्सा/यात्रा के अधीन कम संख्या में विपत्र प्राप्त होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 33- सामान्य प्रशासन विभाग

	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	41,22,595	54,34,460	37,07,868
अनुपूरक	13,11,865		(-)17,26,592
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			17,01,845
प्रभारित:			
मूल	43,468	43,768	35,112
अनुपूरक	300		(-)8,656
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			7,634
टीका एवं टिप्पणियाँ-			
राजस्व ( दत्तमत )			

- (i) ₹ 17,265.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 12,229.87 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 855.79 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 32.99 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,118.65 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,018.45 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,265.92 लाख) से ₹ 247.47 लाख कम था ।



**अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2051 लोक सेवा आयोग</b>			
00			
103 कर्मचारी चयन आयोग (गैर-योजना)			
0001 बिहार कर्मचारी चयन आयोग	3,443.64	3,440.52	(-)3.12
मूल	1,386.77		
अनुपूरक	5,078.56		
पुनर्वि०	(-)3,021.69		
₹ 3,021.69 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	235.00		
पुनर्वि०	(-)235.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, कार्यालय की स्थापना नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0004 सामान्य प्रशासन विभाग	1,563.19	1,563.19	0.00
मूल	1,698.11		
अनुपूरक	80.00		
पुनर्वि०	(-)214.92		
₹ 214.92 लाख का प्रत्यर्पण, विभागीय मंत्री के समय पर अनुमोदन नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
0005 सामान्य प्रशासन विभाग (पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग)	118.52	118.52	0.00
मूल	193.63		
पुनर्वि०	(-)75.11		
₹ 75.11 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0041 अति पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग	146.65	146.65	0.00
मूल	171.65		
पुनर्वि०	(-)25.00		
₹ 25.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0045	राज्य महादलित आयोग	99.91	99.91	0.00
	मूल	183.07		
	पुनर्वि०	(-)83.16		
0051	उच्च जातियों के लिये राज्य आयोग	177.40	177.40	0.00
	मूल	203.88		
	पुनर्वि०	(-)26.48		
	उपर्युक्त दो मामलों में ₹ 83.16 लाख तथा ₹ 26.48 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2053</b>	<b>जिला प्रशासन</b>			
00				
093	जिला स्थापनाएं ( गैर-योजना )			
0001	जिला प्रशासन	14,785.70	14,637.83	(-)147.87
	मूल	23,059.00		
	अनुपूरक	23.42		
	पुनर्वि०	(-)8,296.72		
	₹ 8,296.72 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
094	अन्य स्थापनाएं ( गैर-योजना )			
0001	अनुमंडलीय स्थापना	6,818.21	6,740.05	(-)78.16
	मूल	9,299.00		
	अनुपूरक	14.44		
	पुनर्वि०	(-)2,495.23		
	₹ 2,495.23 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101	आयुक्त ( गैर-योजना )			
0001	मुख्य कार्यालय	1,770.51	1,739.80	(-)30.71
	मूल	1,856.49		
	अनुपूरक	159.00		
	पुनर्वि०	(-)244.98		
	₹ 244.98 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 33 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>		
<b>00</b>			
<b>001</b>	<b>निदेशन तथा प्रशासन ( गैर-योजना )</b>		
<b>0001</b>	1,928.24	1,923.20	(-)5.04
	मूल		
	207.31		
	अनुपूरक		
	2,141.00		
	पुनर्वि०		
	(-)420.07		
	₹ 420.07 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>0004</b>	191.02	191.02	0.00
	सुशासन केन्द्र सोसाइटी		
	मूल		
	574.87		
	पुनर्वि०		
	(-)383.85		
	₹ 383.85 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>003</b>	<b>प्रशिक्षण ( गैर-योजना )</b>		
<b>0006</b>	0.00	0.00	0.00
	बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान ( बिपार्ड )		
	मूल		
	590.48		
	पुनर्वि०		
	(-)590.48		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>0007</b>	12.00	24.68	(+)12.68
	भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण		
	मूल		
	50		
	पुनर्वि०		
	(-)38.00		
	₹ 38.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>115</b>	<b>अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि ( गैर-योजना )</b>		
<b>0003</b>	485.54	488.06	(+)2.52
	परिसदन		
	मूल		
	1,038.00		
	पुनर्वि०		
	(-)552.46		
	₹ 137.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 415.46 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 33 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2251</b>	<b>सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>		
00			
092	अन्य कार्यालय ( गैर-योजना)		
0002	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय	297.75	300.23 (+)2.48
	मूल	600.89	
	अनुपूरक	3.00	
	पुनर्वि०	(-)306.14	
	₹ 306.14 लाख का प्रत्यर्पण मुख्य सूचना आयुक्त, विधि पदाधिकारी एवं संयुक्त सचिव आदि के पद रिक्त रहने तथा कॉन्फ्रेंस/सेमिनार आयोजित नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम अधिकाई व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।		

**राजस्व ( प्रभारित )**

- (iv) ₹ 86.56 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 3.00 लाख का अनुपूरक विनियोग पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 76.34 लाख), अंतिम बचत (₹ 86.56 लाख) से ₹ 10.22 लाख कम था।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2070</b>	<b>अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>		
00			
104	सतर्कता ( गैर-योजना)		
0012	लोकायुक्त का कार्यालय	361.34	351.12 (-)10.22
	मूल	434.68	
	अनुपूरक	3.00	
	पुनर्वि०	(-)76.34	
	₹ 76.34 लाख का प्रत्यर्पण, संयुक्त सचिव, उप-सचिव के पद रिक्त रहने तथा लोकायुक्त के द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत उपभोग नहीं किये जाने के कारण हुई।		

**विनियोग संख्या - 34- बिहार लोक सेवा आयोग  
( सभी प्रभारित )**

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2051 लोक सेवा आयोग			
प्रभारित:			
मूल	1,54,249	1,98,284	(-)4,229
अनुपूरक	44,035		3,802
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
राजस्व ( प्रभारित )

- (i) ₹ 42.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 146.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 294.35 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 440.35 लाख का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 38.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 42.29 लाख) से ₹ 4.27 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 35- योजना एवं विकास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2052			
2053			
2059			
2070			
2235			
3451			
3454			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>1,12,98,203</b>	<b>1,15,65,735</b>	<b>61,57,949</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>2,67,532</b>		<b>(-)54,07,786</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>53,30,881</b>
31 दिसम्बर 2014	7,38,400		
13 जनवरी 2015	21,96,400		
31 मार्च 2015	23,96,081		
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4070			
4401			
4515			
5475			
<b>दत्तमत :</b>			
<b>मूल</b>	<b>1,65,56,801</b>	<b>2,55,61,165</b>	<b>1,20,28,144</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>90,04,364</b>		<b>(-)1,35,33,021</b>
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>			<b>46,82,479</b>
11 सितम्बर 2014	1,01,428		
12 नवम्बर 2014	8,49,150		
31 मार्च 2015	37,31,901		
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ-</b>			
<b>राजस्व ( दत्तमत )</b>			

(i) ₹ 54,077.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 2,000.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 675.32 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,675.32 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।

(ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 53,308.81 लाख), अंतिम बचत (₹ 54,077.86 लाख) से ₹ 769.05 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय			
योजना (राज्य योजना)			
0103 योजना तंत्र का सुदृढीकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)250.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>2053 जिला प्रशासन</b>			
00			
093 जिला स्थापनाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0105 वित्त आयोग जिला नवाचार निधि	750.00	750.00	0.00
मूल	1,900.00		
पुनर्वि०	(-)1,150.00		
₹ 1,150.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0107 मुख्य मंत्री जिला विकास योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
094 अन्य स्थापनाएं			
(गैर-योजना)			
0007 योजना तंत्र का सुदृढीकरण	6,189.65	6,047.45	(-)142.20
मूल	8,985.52		
पुनर्वि०	(-)2,795.87		
₹ 2,771.87 लाख का प्रत्यर्पण, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 24.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के	220.40	220.40	0.00
आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण			
मूल	650.00		
पुनर्वि०	(-)429.60		
₹ 429.60 लाख का प्रत्यर्पण, नई योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
01 पुनर्वास			
202 अन्य पुनर्वास योजनाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0105 आपातकालीन कोशी बाढ़ पुनर्वास परियोजना			
(विश्व बैंक सम्मोषित)	48,036.00	48,036.00	0.00
मूल	70,000.00		
पुनर्वि०	(-)21,964.00		
₹ 21,964.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00 योजना आयोग/योजना बोर्ड			
(गैर-योजना)			
0001 बिहार राज्य योजना बोर्ड	453.61	453.34	(-)0.27
मूल	538.76		
पुनर्वि०	(-)85.15		
₹ 85.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार राज्य योजना बोर्ड	27.20	27.20	0.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)372.80		
₹ 372.80 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</b>			
02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
001 निदेशन और प्रशासन			
(गैर-योजना)			
0001 योजना कार्यो का मूल्यांकन	86.72	86.19	(-)0.53
मूल	120.84		
पुनर्वि०	(-)34.12		
₹ 34.12 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
111	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी (गैर-योजना)			
0001	सामान्य सांख्यिकी का संग्रह	632.71	607.64	(-25.07)
	मूल	838.69		
	पुनर्वि०	(-)205.98		
	₹ 205.98 लाख का प्रत्यर्पण, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
204	केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (गैर-योजना)			
0001	प्रखंड स्तर पर सांख्यिकीय यंत्र	1,236.60	1,056.29	(-)180.31
	मूल	1,236.60		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002	राज्य सांख्यिकी संगठन	1,496.74	1,484.70	(-)12.04
	मूल	2,031.84		
	पुनर्वि०	(-)535.10		
	₹ 535.10 लाख का प्रत्यर्पण, पदाधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0401	आर्थिक गणना	328.75	328.75	0.00
	मूल	2,828.25		
	पुनर्वि०	(-)2,499.50		
	₹ 2,499.50 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से पूरी राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0408	क्षेत्रफल एवं उत्पादन का द्रुत सर्वेक्षण	69.69	69.40	(-)0.29
	मूल	123.27		
	पुनर्वि०	(-)53.58		
	₹ 53.58 लाख का प्रत्यर्पण, स्वीकृत बल के विरुद्ध कम कार्यबल एवं भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0409	फसल सांख्यिकी के सुधार के निमित्त योजना	66.01	61.37	(-)4.64
	मूल	116.53		
	पुनर्वि०	(-)50.52		
	₹ 50.52 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से पूरी राशि विमुक्त नहीं होने एवं स्वीकृत पद के विरुद्ध कम कर्मचारियों के पदस्थापन के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0119 योजना कार्यों का मूल्यांकन	55.20	54.82	(-)0.38
मूल	150.00		
अनुपूरक	76.00		
पुनर्वि०	(-)170.80		
₹ 170.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0120 भारत सांख्यिकी सुदृढीकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00
मूल	130.00		
पुनर्वि०	(-)130.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से पूरी राशि विमुक्त नहीं होने तथा योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण हुई ।			
205 राज्य सांख्यिकीय एजेंसी			
योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0405 लघु सिंचाई सांख्यिकी	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	516.30		
पुनर्वि०	(-)516.30		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0406 राजीव आवास योजना (क्षमता निर्माण)	0.00	0.00	0.00
मूल	59.00		
पुनर्वि०	(-)59.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 समग्र सांख्यिकी विकास योजना	703.78	705.32	(+)1.54
मूल	7,242.66		
अनुपूरक	1,924.00		
पुनर्वि०	(-)8,462.88		
₹ 8,062.90 लाख का प्रत्यर्पण, योजना का कार्यान्वयन नहीं होने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 399.98 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0204 सांख्यिकी सुदृढीकरण को समर्थन	7.72	7.72	0.00
मूल	5,428.96		
पुनर्वि०	(-)5,421.24		
₹ 5,421.26 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
206 अद्वितीय पहचान योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वित्त आयोग-अद्वितीय पहचान (यू०आई०डी०) कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00
मूल	7,384.00		
पुनर्वि०	(-)7,384.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में संशोधन के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

पूँजी ( दत्तमत )

- (iv) ₹ 1,35,330.21 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 79,012.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 11,031.64 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 90,043.64 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 46,824.79 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,35,330.21 लाख) से ₹ 88,505.42 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

4070 अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

00

051 निर्माण

योजना (राज्य योजना)

0107 मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1,29,213.36 47,142.24 (-)82,071.12

मूल 50,867.24

अनुपूरक 78,346.12

अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

0109 जिला स्तरीय योजना के तहत स्थानीय आवश्यकताओं के 137.66 140.05 (+)2.39

आलोक में योजना तंत्र का सुदृढीकरण

मूल 1,000.00

पुनर्वि० (-)862.34

₹ 862.34 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

0210 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०) 3,136.80 3,136.80 0.00

मूल 5,692.00

अनुपूरक 665.88

पुनर्वि० (-)3,221.08

₹ 3,221.08 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।

789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

योजना (राज्य योजना)

0103 मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम 4,792.45 1,792.44 (-)3,000.01

मूल 14,364.53

पुनर्वि० (-)9,572.08

₹ 9,572.08 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

अनुदान संख्या - 35 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0202 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	500.78	500.78	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)499.22		
₹ 499.22 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास कार्यक्रम	71.17	28.67	(-)42.50
मूल	768.23		
पुनर्वि०	(-)697.06		
₹ 697.06 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4401 फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0102 कृषि विभाग के भवन	3,594.42	3,546.60	(-)47.82
मूल	3,570.69		
अनुपूरक	2,540.14		
पुनर्वि०	(-)2,516.41		
₹ 2,516.41 लाख का प्रत्यर्पण, स्थल के चयन में विलम्ब तथा निविदा का निवारण विलम्ब से होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	0.00	0.00	0.00
मूल	928.89		
पुनर्वि०	(-)928.89		
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0102 कृषि विभाग के भवन	0.00	0.00	0.00
मूल	85.39		
पुनर्वि०	(-)85.39		
उपरोक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 35 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00				
101	पंचायती राज			
योजना	(राज्य योजना)			
0105	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण-वित्त आयोग	37,289.09	36,421.22	(-867.87)
	(पंचायती राज विभाग)			
	मूल	41,458.50		
	अनुपूरक	8,491.50		
	पुनर्वि०	(-)12,660.91		
	₹ 12,660.91 लाख का प्रत्यर्पण, स्थल के चयन में विलम्ब तथा निविदा का निवारण विलम्ब से होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102	सामुदायिक विकास			
योजना	(राज्य योजना)			
0203	वामपंथी उग्रवाद (एल०डब्लू०ई०) जिलों के लिए	29,838.08	27,419.04	(-)2,419.04
	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)			
	मूल	33,000.00		
	पुनर्वि०	(-)3,161.92		
	₹ 3,161.92 लाख का प्रत्यर्पण, योजना की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	पंचायत सरकार भवनों का निर्माण-वित्त आयोग	0.00	0.00	0.00
	(पंचायती राज विभाग)			
	मूल	8,491.50		
	पुनर्वि०	(-)8,491.50		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, पंचायत सरकार भवन की स्वीकृति नहीं होने के कारण हुई ।			
<b>5475</b>	<b>अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00				
112	सांख्यिकी			
योजना	(राज्य योजना)			
0202	सांख्यिकी सुदृढीकरण को समर्थन	213.06	153.60	(-)59.46
	मूल	4,341.04		
	पुनर्वि०	(-)4,127.98		
	₹ 4,127.98 लाख का प्रत्यर्पण, निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 36- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2215 जलापूर्ति तथा सफाई			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	41,79,008	42,13,710	32,02,759 (-)10,10,951
अनुपूरक	34,702		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			7,16,002

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	1,37,68,271	1,48,68,271	88,52,585 (-)60,15,686
अनुपूरक	11,00,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			60,23,978

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 10,109.51 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 267.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 80.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 0.02 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 347.02 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 7,160.02 लाख), अंतिम बचत (₹ 10,109.51 लाख) से ₹ 2,949.49 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2215 जलापूर्ति तथा सफाई</b>			
01 जलापूर्ति			
101 शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0004 शहरी जलापूर्ति योजना	5,669.06	5,669.06	0.00
मूल	6,450.64		
अनुपूरक	180.00		
पुनर्वि०	(-961.58)		
प्रावधान में ₹ 961.58 लाख की हुई कमी, ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 87.99 लाख तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,173.59 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। ₹ 1,173.59 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई। वृद्धि तथा पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0001 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	13,014.29	12,857.83	(-)156.46
मूल	16,385.19		
अनुपूरक	150.01		
पुनर्वि०	(-)3,520.91		
₹ 3,520.91 लाख का प्रत्यर्पण, विपत्रों के पारित नहीं होने, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0002 हस्तचालित ट्यूबवेल्लस, तालाब, कुएँ एवं उच्च प्रवाही नलकूप	12,182.20	12,148.60	(-)33.60
मूल	14,686.37		
अनुपूरक	5.00		
पुनर्वि०	(-)2,509.17		
₹ 2,209.17 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी विपत्रों के पारित नहीं होने, संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम में कमी तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण के कारण हुई। ₹ 300.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
योजना (राज्य योजना)			
0105 क्षेत्र विस्तृत (ई०ए०पी०) पद्धति द्वारा स्वास्थ्य सुदृढीकरण	3,343.41	584.13	(-)2,759.28
मूल	3,450.00		
पुनर्वि०	(-)106.59		
₹ 106.59 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 मल-जल तथा सफाई			
003 प्रशिक्षण योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार राज्य जल स्वच्छता मिशन को प्रशिक्षण- सह-शोध केन्द्र के संचालन एवं अन्य कार्यों हेतु सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

पूँजी ( दत्तमत )

- (iv) ₹ 60,156.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 11,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 60,239.78 लाख), अंतिम बचत (₹ 60,156.86 लाख) से ₹ 82.92 लाख अधिक था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय			
01 जलापूर्ति			
102 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (राज्य योजना)			
0101 ग्रामीण जलापूर्ति योजना	136.74	136.74	0.00
मूल	790.00		
पुनर्वि०	(-)653.26		
₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 553.26 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप एवं नलकूप)	7,041.76	6,635.04	(-)406.72
मूल	9,085.00		
अनुपूरक	3,555.00		
पुनर्वि०	(-)5,598.24		
₹ 5,598.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0116	ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिये संरचना के विकास हेतु नाबार्ड से ऋण	2,134.73	947.12	(-),1,187.61
	मूल	2,269.00		
	पुनर्वि०	(-),134.27		
	₹ 134.27 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0118	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	125.36	125.36	0.00
	मूल	350.00		
	पुनर्वि०	(-),224.64		
	₹ 224.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0119	निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	557.49	556.64	(-),0.85
	मूल	500.00		
	पुनर्वि०	57.49		
	प्रावधान में ₹ 57.49 लाख की हुई वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 42.51 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0121	उप नगरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	13.17	13.17	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-),86.83		
	₹ 86.83 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0125	जलगुणवत्ता का अनुश्रवण एवं प्रयोगशाला का उन्नयन	0.00	0.00	0.00
	मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-),25.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0229	निर्मल भारत अभियान	0.00	0.00	0.00
	मूल	25,000.00		
	पुनर्वि०	(-),25,000.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0230	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	31,308.21	5,376.64	(-),25,931.57
	मूल	47,815.00		
	पुनर्वि०	(-),16,506.79		
	₹ 16,506.79 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0329	निर्मल भारत अभियान	8,690.00	0.00	(-)-8,690.00
	मूल	5,530.00		
	अनुपूरक	3,160.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0330	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	23,847.32	9,064.33	(-)-14,782.99
	मूल	29,891.20		
	पुनर्वि०	(-)-6,043.88		
	₹ 6,043.88 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	40.92	40.92	0.00
	मूल	200.00		
	अनुपूरक	(-)-159.08		
	₹ 159.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104	ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु (नाबार्ड से ऋण)	500.00	50.00	(-)-450.00
	मूल	513.00		
	पुनर्वि०	(-)-13.00		
	₹ 13.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106	प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	1.44	1.44	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-)-98.56		
	₹ 98.56 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0111	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	1,655.65	1,655.65	0.00
	मूल	2,300.00		
	अनुपूरक	900.00		
	पुनर्वि०	(-)-1,544.35		
	₹ 1,544.35 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0312	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5,202.85	995.16	(-)-4,207.69
	मूल	7,906.54		
	पुनर्वि०	(-)-2,703.69		
	₹ 2,703.69 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0313	निर्मल भारत अभियान	2,200.00	0.00	(-2,200.00)
	मूल	1,400.00		
	अनुपूरक	800.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0107	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवैल्स, कूप, नलकूप द्वारा)	61.19	61.19	0.00
	मूल	115.00		
	अनुपूरक	45.00		
	पुनर्वि०	(-98.81)		
	₹ 98.81 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0109	ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति के लिए संरचना के विकास हेतु (नाबार्ड से ऋण)	0.00	0.00	0.00
	मूल	38.00		
	पुनर्वि०	(-38.00)		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0111	प्राथमिक तथा मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	0.00	0.00	0.00
	मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-50.00)		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0317	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	359.72	9.72	(-350.00)
	मूल	387.97		
	पुनर्वि०	(-28.25)		
	₹ 28.25 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0318	निर्मल भारत अभियान	110.00	0.00	(-110.00)
	मूल	70.00		
	अनुपूरक	40.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 36 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
02 मल-जल तथा सफाई			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 श्मशान घाटों का आधुनिकीकरण एवं विकास	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-200.00)		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
106 मल-जल सेवाएं			
योजना (राज्य योजना)			
0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण	1,443.04	1,411.66	(-31.38)
मूल	2,000.00		
अनुपूरक	500.00		
पुनर्वि०	(-1,056.96)		
₹ 1,056.96 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0105 लोहिया स्वच्छता योजना	3,000.00	0.00	(-3,000.00)
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	2,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 37- ग्रामीण कार्य विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054	सड़क तथा सेतु			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		1,12,19,494	1,12,19,494	28,20,216
अनुपूरक		0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				(-)83,99,278
				81,14,567

<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		4,17,09,116	4,60,53,345	4,00,21,204
अनुपूरक		43,44,229		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				(-)60,32,141
				10,67,832

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 83,992.78 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, राजस्व अनुभाग में ₹ 1,12,194.94 लाख का किया गया मूल अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 81,145.67 लाख), अंतिम बचत (₹ 83,992.78 लाख) से ₹ 2,847.11 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 37 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2515</b>	<b>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>		
00			
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0009	6,917.91	6,543.91	(-374.00)
	मूल	10,142.70	
	पुनर्वि०	(-3,224.79)	
	₹ 3,224.79 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
योजना	(राज्य योजना)		
0108	11,131.68	10,715.93	(-415.75)
	मूल	15,500.00	
	पुनर्वि०	(-4,368.32)	
	₹ 4,368.32 लाख का प्रत्यर्पण, योजना आकार के पुनरीक्षण तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>3054</b>	<b>सड़क तथा सेतु</b>		
04	जिला एवं अन्य सड़कें		
105	रख-रखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)		
0001	11,480.45	9,423.91	(-2,056.54)
	मूल	85,000.00	
	पुनर्वि०	(-73,519.55)	
	₹ 73,519.55 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

**अनुदान संख्या - 37 - क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 60,321.41 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2014 (₹ 38,955.39 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 4,486.90 लाख)में प्राप्त किया गया ₹ 43,442.29 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 10,678.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 60,321.41 लाख) से ₹ 49,643.09 लाख अधिक था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

<b>शीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )</b>	<b>अधिक व्यय (+) बचत (-)</b>
<b>4515</b>	<b>अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय</b>		
00			
103	ग्राम विकास		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	13,051.68	12,959.95
	मूल	20,330.00	(-)91.73
	पुनर्वि०	(-)7,278.32	
	₹ 7,278.32 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0113	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	1,16,349.23	66,349.23
	मूल	1,16,349.23	(-)50,000.00
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
योजना	(राज्य योजना)		
0101	न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम	1,600.00	1,600.00
	मूल	5,000.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,400.00	
	₹ 3,400.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 38- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
( सभी दत्तमत )

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039 राज्य उत्पाद शुल्क			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	14,49,844	14,52,347	(-)4,28,435
अनुपूरक	2,503		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			3,99,693

टीका एवं टिप्पणियाँ-  
राजस्व ( दत्तमत )

- (i) ₹ 4,284.35 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 25.03 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,996.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 4,284.35 लाख) से ₹ 287.42 लाख कम था ।



**अनुदान संख्या - 38 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2030</b>	<b>स्टाम्प तथा पंजीकरण</b>		
02	स्टाम्प-न्यायिकेत्तर		
001	निदेशन और प्रशासन ( गैर-योजना )		
0001	30.71	30.71	0.00
	मूल 52.31		
	पुनर्वि० (-)21.60		
	₹ 21.60 लाख का प्रत्यर्पण, पद रिक्त रहने एवं सेवा निवृत्ति के कारण हुई ।		
03	पंजीकरण		
001	निदेशन और प्रशासन ( गैर-योजना )		
0001	353.94	341.80	(-)12.14
	मूल 393.28		
	पुनर्वि० (-)39.34		
	₹ 39.34 लाख का प्रत्यर्पण, अधिकारियों, कर्मचारियों के पद रिक्त रहने एवं सेवा निवृत्ति के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0002	3,966.05	3,844.60	(-)121.45
	मूल 5,778.10		
	पुनर्वि० (-)1,812.05		
	₹ 4.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा तथा ₹ 1,808.05 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>2039</b>	<b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>		
00			
001	निदेशन और प्रशासन ( गैर-योजना )		
0001	420.12	415.13	(-)4.99
	मूल 618.95		
	अनुपूरक 25.03		
	पुनर्वि० (-)223.86		
	प्रावधान में ₹ 223.86 लाख की हुई कमी, ₹ 4.50 लाख की वृद्धि एवं प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 228.36 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 228.36 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 38 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0002	जिला प्रभार	4,719.07	4,576.48	(-)142.59
	मूल	6,578.62		
	पुनर्वि०	(-)1,859.55		
	₹ 5.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,854.55 लाख की प्रावधान में हुई कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007	उत्पाद दुकानों के बंदी के लिए मुआवजा	0.00	0.00	0.00
	मूल	20.00		
	पुनर्वि०	(-)20.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, क्षतिपूर्ति के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 39- आपदा प्रबंधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	91,07,337	1,11,62,000	45,43,652
अनुपूरक	20,54,663		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			36,35,457

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	4,000	4,000	2,021
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,979

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 66,183.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1.77 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 20,524.86 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 20.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 20,546.63 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 36,354.57 लाख), अंतिम बचत (₹ 66,183.48 लाख) से ₹ 29,828.91 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
00			
106 सिविल रक्षा (गैर-योजना)			
0001 मुख्यालय स्थापना	131.95	130.80	(-)1.15
मूल	259.43		
अनुपूरक	6.06		
पुनर्वि०	(-)133.54		
₹ 133.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 जिला प्रभार	50.95	50.92	(-)0.03
मूल	77.65		
पुनर्वि०	(-)26.70		
₹ 26.70 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 प्रशिक्षण	62.22	62.03	(-)0.19
मूल	138.01		
पुनर्वि०	(-)75.79		
₹ 75.79 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0209 पुलिस तथा अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना	68.77	0.00	(-)68.77
अनुपूरक	68.77		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
01 पुनर्वास			
200 अन्य राहत उपाय (गैर-योजना)			
0004 कटाव से विस्थापितों को भूमि की क्षति के लिए सहायता अनुदान	1,557.60	898.05	(-)659.55
मूल	1,216.87		
पुनर्वि०	340.73		
प्रावधान में ₹ 340.73 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 350.17 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 9.44 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि, कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम			
200 अन्य कार्यक्रम (गैर-योजना)			
0008 गैर प्राकृतिक आपदा की स्थितियों में मृत तथा घायल व्यक्तियों/परिवारों को अनुग्रह अनुदान	305.51	254.05	(-)51.46
मूल	700.00		
पुनर्वि०	(-)394.49		
₹ 394.49 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत</b>			
01 सूखा			
101 आनुग्रहिक राहत (गैर-योजना)			
0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नकद अनुदान	2,250.00	0.14	(-)2,249.86
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)750.00		
₹ 750.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 खाद्यान्न की आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 181.99 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 818.01 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005 अन्य कार्य	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 800.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 अन्य कार्य (कृषि विभाग हेतु कृषि इनपुट अनुदान)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,300.00		
पुनर्वि०	(-)1,300.00		
₹ 293.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 1,007.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 ट्रकों एवं टैंकरों द्वारा पेयजल की आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 250.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 750.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 चारे की आपूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की आपूर्ति	3.50	0.00	(-)3.50
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)96.50		
₹ 96.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा	1.50	0.50	(-)1.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)48.50		
₹ 48.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा संपूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
282 लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0002 जलापूर्ति हेतु कुओं आदि की मरम्मती	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 100.17 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 899.83 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 बाढ़, चक्रवात आदि			
001 निदेशन और प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 बाढ़ प्रभावित जिलों में व्यवस्था	264.12	264.12	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)235.88		
₹ 235.88 लाख का प्रत्यर्पण मुख्यतः लाईफ जैकेट का मांग प्राप्त नहीं होने एवं परियोजना पूर्ण नहीं होने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
101 आनुग्रहिक राहत ( गैर-योजना)			
0003 संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान	367.55	335.37	(-)32.18
मूल	800.00		
पुनर्वि०	(-)432.45		
₹ 432.45 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 प्रभावितों को वस्त्र एवं बर्तन का मुफ्त वितरण	90.31	80.71	(-)9.60
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)909.69		
₹ 909.69 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005 आग लगने से राहत कार्य के लिए नकद अनुदान	246.71	246.71	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)253.29		
₹ 253.29 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 आग लगने से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान	80.92	70.38	(-)10.54
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)1,419.08		
₹ 1,419.08 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007 आग लगने से क्षतिग्रस्त वस्त्र आदि के लिए अनुदान	285.54	258.64	(-)26.90
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)714.46		
₹ 714.46 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0010 वज्रपात से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान	334.00	320.58	(-)13.42
मूल	200.00		
पुनर्वि०	134.00		
प्रावधान में ₹ 134.00 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 200.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 66.00 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । वृद्धि और कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0011 नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण भूमि के पयात भाग का क्षरण	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
0012 विभिन्न पंचायतों में भूखमरी से प्रभावित परिवारों के लिए एक क्विंटल खाद्यान्न का सुरक्षित भंडार	0.00	0.00	0.00
मूल	534.00		
पुनर्वि०	(-)534.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0015 राज्य के बाहर की घटनाओं में मृत्यु एवं घायल होने पर प्रभावित व्यक्तियों, परिवारों को अनुग्रह अनुदान	9.00	9.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)91.00		
₹ 91.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 पीने के पानी की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 पेयजल की आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	375.99		
पुनर्वि०	(-)375.99		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 चारे की पूर्ति (गैर-योजना)			
0001 चारे की पूर्ति	11.19	11.19	0.00
मूल	250.00		
पुनर्वि०	(-)238.81		
₹ 238.81 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
105 पशु चिकित्सा (गैर-योजना)			
0001 पशुओं के लिए दवा	0.67	0.67	0.00
मूल	225.00		
पुनर्वि०	(-)224.33		
₹ 224.33 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
106 क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुलों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	0.00	0.00	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
109 खराब जल-पूर्ति, जल-निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना (गैर-योजना)			
0001 खराब जल-पूर्ति, जल-निकास तथा मल-जल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनः स्थापना	7.84	4.84	(-)3.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)192.16		
₹ 192.16 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
112 जनसंख्या का निष्क्रमण (गैर-योजना)			
0002 जनसंख्या का निष्क्रमण	786.34	729.32	(-)57.02
मूल	5,234.98		
पुनर्वि०	(-)4,448.64		
₹ 4,448.64 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 आपदा प्रभावितों की खोज एवं बचाव कार्य हेतु बचाव तथा निष्क्रमण संयंत्रों का क्रय	225.19	201.19	(-)24.00
मूल	1,500.00		
पुनर्वि०	(-)1,274.81		
₹ 1,274.81 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 संचार उपकरणों का क्रय	0.00	0.00	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 संचार उपकरणों का क्रय	761.83	761.83	0.00
मूल	550.00		
पुनर्वि०	211.83		
प्रावधान में ₹ 211.83 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 258.30 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 46.47 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । प्रत्यर्पण द्वारा कमी, लाईफ जैकेट का मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
113 घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001 बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनः स्थापना	189.98	181.36	(-)8.62
मूल	100.00		
अनुपूरक	500.00		
पुनर्वि०	(-)410.02		
₹ 410.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
114 कृषि लागतों के क्रय हेतु किसानों को सहायता ( गैर-योजना)			
0001 कृषि इनपुट अनुदान ( क्षतिग्रस्त फसलों के लिए)	3,742.30	3,742.30	0.00
मूल	543.00		
अनुपूरक	10,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,800.70		
₹ 6,800.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 वार्षिक फसलों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
0003 कृषि फसलों के लिए सहायता	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
115 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता ( गैर-योजना)			
0001 भूमि से रेत/गाद/लवणता साफ करने के लिए किसानों को सहायता	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
उपर्युक्त तीन मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
117 पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता ( गैर-योजना)			
0001 बाढ़/सुखाड़ ग्रस्त पशुओं का बदलाव	0.10	0.10	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)99.90		
₹ 99.90 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0003 जीवनोपयोगी पशुओं का बदलाव	22.34	1.74	(-)20.60
मूल	125.00		
पुनर्वि०	(-)102.66		
₹ 102.66 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
118 मछली पकड़ने के लिए खराब किशितयों तथा उपकरण की मरम्मत/प्रतिस्थापना के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0001 क्षतिग्रस्त नावों की मरम्मती/नये नावों का निर्माण	278.50	278.31	(-)0.19
मूल	625.99		
पुनर्वि०	(-)347.49		
₹ 347.49 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
282 लोक स्वास्थ्य (गैर-योजना)			
0004 कल्याण विभाग हेतु अनुपूरक पोषाहार की आपूर्ति	0.00	0.00	0.00
मूल	44.00		
पुनर्वि०	(-)44.00		
800 अन्य व्यय (गैर-योजना)			
0008 क्षतिग्रस्त विद्युत प्रणाली हेतु	0.00	0.00	0.00
मूल	233.00		
पुनर्वि०	(-)233.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 आपदा प्रबंधन विभाग का क्षेत्रीय स्थापना	371.72	370.18	(-)1.54
मूल	579.56		
अनुपूरक	1.77		
पुनर्वि०	(-)209.61		
₹ 209.61 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	427.21	156.04	(-)271.17
मूल	407.21		
अनुपूरक	20.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0103 आपदा प्रबंधन कार्यालय का आधुनिकीकरण	0.00	0.00	0.00
मूल	126.27		
पुनर्वि०	(-)126.27		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, विस्तृत आकस्मिक विपत्रों को समर्पित नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
0005 जागरूकता एवं क्षमता विकास	1,213.35	1,213.35	0.00
मूल	500.00		
अनुपूरक	0.02		
पुनर्वि०	713.33		
प्रावधान में ₹ 713.33 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 1,224.99 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 511.66 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि तथा कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 राज्य आपदा रिस्पांस फोर्स	751.91	685.05	(-)66.86
मूल	1,600.00		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-)848.10		
₹ 848.10 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0105 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, परियोजना पूर्ण नहीं होने तथा आपातकालीन संचालन केन्द्र के निर्माण हेतु जिलों से राशि की मांग नहीं किये जाने के कारण हुई।			
800 अन्य व्यय			
योजना (राज्य योजना)			
0102 जागरूकता एवं क्षमता निर्माण	197.54	190.95	(-)6.59
मूल	1,128.00		
पुनर्वि०	(-)930.46		
₹ 930.46 लाख का प्रत्यर्पण मुख्यतः जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
<b>2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0017 आपदा प्रबंधन विभाग	326.08	325.52	(-)0.56
मूल	613.36		
पुनर्वि०	(-)287.28		
₹ 287.28 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

**अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः**

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत</b>			
02 बाढ़, चक्रवात आदि			
101 आनुग्रहिक राहत (गैर-योजना)			
0001 निःसहायों एवं विकलांगों को नगद अनुदान	8,773.59	8,897.75	(+)124.16
मूल	3,300.00		
अनुपूरक	7,250.00		
पुनर्वि०	(-1,776.41)		
₹ 1,776.41 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 खाद्यान्न की आपूर्ति	9,735.46	10,170.96	(+)435.50
मूल	10,000.00		
अनुपूरक	2,700.00		
पुनर्वि०	(-2,964.54)		
₹ 2,964.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
113 घर की मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए सहायता (गैर-योजना)			
0003 अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिगस्त मकानों की मरम्मत/पुनर्निर्माण	159.46	217.30	(+)57.84
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-340.54)		
₹ 340.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजी (दत्तमत)**

(v) ₹ 19.79 लाख के अंतिम बचत को देखते हुए, इस प्रावधान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 40.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0104 वेयर हाउस	20.21	20.21	0.00
मूल	40.00		
पुनर्वि०	(-19.79)		
₹ 19.79 लाख का प्रत्यर्पण, जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः**

(vii) **राज्य आपदा रिस्पाँस निधि ( एस०डी०आर०एफ० )**

सकल बजट बनाने की पद्धति के अधीन विधानमंडल में उपस्थापित अनुदानों की माँग व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि के लिए होती है। फलतः वसूली की राशि, जिसे लेखे में व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया जाता है, को उपेक्षित किया जाता है एवं बजट में माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। योजना में निर्धारित किए गए बजट एवं लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार भी जितना राहत व्यय निधि से वित्त पोषित किया जाता है, उसे राज्य सरकार के अनुदानों की माँग के बाहर वसूली के रूप में दर्शाया जाता है। इसके विपरीत, सकल राशि में से जितना राहत व्यय ₹ 40,657.00 लाख राज्य आपदा रिस्पाँस निधि से वित्त पोषित किया जाता था, उसे घटाने के बाद निकले निवल राशि के लिए अनुदान प्राप्त किया गया था।

नौवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदा राहत सहायता देने की एक योजना बनाई, जो वित्तीय वर्ष 1990-91 से लागू हुई तथा वित्तीय वर्ष 1994-95 के अंत तक जारी रही। दसवें वित्त आयोग ने वर्ष 1995-96 से आपदा राहत निधि की योजना को वित्तीय वर्ष 1999-2000 के अंत तक जारी रखा। ग्यारहवें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2004-05 के अंत तक कुछ संशोधनों के साथ आपदा राहत निधि योजना को पुनः जारी रखने की अनुशंसा की। तदोपरान्त, बारहवें वित्त आयोग ने आपदा राहत निधि योजना का परिचालन एवं प्रशासन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंत तक जारी रखा।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 32-3/2010-एन.डी.एम.-1 दिनांक 28 सितम्बर 2010 के द्वारा तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को अंगीभूत करते हुए राज्य आपदा रिस्पाँस निधि का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुभाग 46 (I) एवं 48 (I) (क) के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया जो वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंत तक जारी रही। इस योजना के तहत राज्य आपदा रिस्पाँस निधि का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया। 31 मार्च 2010 को आपदा राहत निधि में अवशेष राशि का स्थानान्तरण राज्य आपदा रिस्पाँस निधि में किया गया और आपदा राहत निधि का अस्तित्व 1 अप्रैल 2010 से समाप्त हो गया।

एस०डी०आर०एफ० योजना के अनुसार, इस निधि में भारत सरकार का अंशदान 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा जबकि 25 प्रतिशत का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना में यह शर्त भी है कि निधि में होने वाली वृद्धि का निवेश निधि के निवेश से अर्जित आय के साथ निम्नलिखित प्रतिमान के अनुसार किया जाएगा, जबतक भारत सरकार द्वारा अन्यथा कोई निदेश जारी न की जाय :-

- (क) केन्द्र सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियाँ,
- (ख) नीलाम किए गए खजाना बिल,
- (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा सर्टिफिकेट और
- (घ) सहकारी बैंकों में ब्याज वाले जमा।

बिहार के राज्य आपदा रिस्पाँस निधि में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक अंशदान की राशि निम्नवत होगी :-

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	योग (₹ करोड़ में)
केन्द्र का हिस्सा (75%)	250.87	263.41	276.58	290.41	304.93	1,386.20
राज्य का हिस्सा (25%)	83.62	87.80	92.19	96.80	101.64	462.05
<b>कुल -</b>	<b>334.49</b>	<b>351.21</b>	<b>368.77</b>	<b>387.21</b>	<b>406.57</b>	<b>1,848.25</b>

### अनुदान संख्या - 39 - क्रमशः

वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिये भारत सरकार के द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त के मद में कुल ₹ 250.87 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 125.4350 करोड़) क्रमशः दिनांक 30 जून 2010 एवं 13 सितम्बर 2010 को विमुक्त की गई तथा राज्य सरकार ने स्वीकृत्यादेश संख्या 1026 दिनांक 31 मार्च 2011 के द्वारा राज्यांश ₹ 83.62 करोड़ सहित कुल राशि ₹ 334.49 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में जमा अंतरण हेतु स्वीकृत्यादेश निर्गत किया, जिसे राज्य सरकार के पत्र सं० 3828 दिनांक 15 नवम्बर 2011 द्वारा समुचित सूचना प्राप्त होने के उपरांत वर्ष 2011-12 में एस०डी०आर०एफ० में जमा अंतरण किया गया। राज्य सरकार के पत्रांक 1025(ए) और 1025 दिनांक 31 मार्च 2011 के द्वारा क्रमशः ₹ 44.53041 करोड़ तथा ₹ 10.51556 करोड़ आपदा राहत पर हुए व्यय को एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण हेतु सूचित किया गया, जिसे राज्य सरकार के पत्रांक 3828 दिनांक 15 नवम्बर 2011 द्वारा समुचित सूचना उपलब्ध कराने के उपरांत वर्ष 2011-12 में एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण किया गया। पुनः राज्य सरकार के पत्र सं० 2584 दिनांक 05 अगस्त 2011 के द्वारा ₹ 430.54573 करोड़, पत्रांक 3346 दिनांक 23 सितम्बर 2011, द्वारा ₹ 14.4907377 करोड़, पत्रांक 1069 दिनांक 30 मार्च 2012 के द्वारा ₹ 10.2795666 करोड़ एवं पत्रांक 1070 दिनांक 30 मार्च 2012 द्वारा ₹ 31.8102263 करोड़ एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण करने हेतु डेबिट नोट प्राप्त हुआ। तदनुसार उपर्युक्त राशि वर्ष 2011-12 के दौरान एस०डी०आर०एफ० के नामे अंतरण किया गया। पुनः भारत सरकार द्वारा वर्ष 2011-12 हेतु प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त के मद में, प्रत्येक किश्त ₹ 131.705 करोड़ विमुक्त किया गया, किन्तु राज्य सरकार द्वारा मात्र प्रथम किश्त हेतु राज्य अंशदान ₹ 43.90 करोड़ कुल ₹ 175.605 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट करने की स्वीकृति पत्रांक 1033 दिनांक 28 मार्च 2012 के द्वारा दी गई। तदनुसार ₹ 175.605 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट किया गया।

जैसा कि योजना के अंतर्गत अपेक्षित है, निधि के संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय समिति (एस०ई०सी०) गठित की गयी है, राहत व्यय के लिए निधि से आवश्यक सहायता का निर्धारण समिति करती है। राहत व्यय के लिए प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया जाता है, निधि से वित्त पोषित किये जाने वाले राहत व्यय को समिति द्वारा तय हद तक निधि में अंतरित किया जाता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉंस निधि (एन०डी०आर०एफ०) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार को एस०डी०आर०एफ० में एन०डी०आर०एफ० से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अंतरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस०डी०आर०एफ० निधि के रूप में माना जाता है।

भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉंस निधि से ₹ 368.01 करोड़ दिनांक 12 नवम्बर 2011 को विमुक्त किया, यद्यपि राज्य सरकार ने पत्रांक 1024 दिनांक 31 मार्च 2011 के द्वारा उक्त राशि के जमा हेतु स्वीकृति निर्गत किया गया, परन्तु राज्य सरकार के पत्रांक 3828 दिनांक 15 मार्च 2011 द्वारा समुचित सूचना प्राप्त होने के उपरांत इस राशि को वर्ष 2011-12 में एस०डी०आर०एफ० में अंतरण क्रेडिट किया गया।

### अनुदान संख्या - 39 - क्रमांत

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि ₹ 276.58 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 138.29 करोड़) एस०डी०आर०एफ० के लिये विमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी राज्यांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि ₹ 92.19 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 46.095 करोड़) विमुक्त किया गया। तदनुसार केन्द्रांश ₹ 276.58 तथा राज्यांश ₹ 92.19 करोड़, कुल ₹ 368.77 करोड़ एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया। वर्ष 2011-12 के दौरान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में ₹ 131.705 करोड़ (द्वितीय किश्त) एस०डी०आर०एफ० के लिए विमुक्त किया गया। जबकि राज्य सरकार के पत्रांक 187 दिनांक 13 जुलाई 2012 द्वारा आवश्यक स्वीकृति एवं तदनुसार राज्यांश की राशि ₹ 43.90 करोड़ के प्राप्त होने पर, कुल राशि ₹ 175.605 करोड़ वर्ष 2012-13 के दौरान एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 43.6198086 करोड़, ₹ 62.4365504 करोड़, ₹ 37.4776559 करोड़, ₹ 91.2026552 करोड़ तथा ₹ 33.7020374 करोड़ अर्थात् कुल ₹ 268.4387075 करोड़ के डेबिटों के समायोजन के पश्चात वर्ष 2012-13 के अंत तक एस०डी०आर०एफ० का शेष ₹ 1,792.3765119 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि ₹ 290.41 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 145.205 करोड़) एस०डी०आर०एफ० के लिए विमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी राज्यांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त ₹ 96.80 करोड़ (प्रत्येक किश्त ₹ 48.40 करोड़) विमुक्त किया गया। तदनुसार केन्द्रांश ₹ 290.41 करोड़ तथा राज्यांश ₹ 96.80 करोड़ कुल ₹ 387.21 करोड़ एस०डी०आर०एफ० के लिए जमा किया गया।

राज्य सरकार से प्राप्त डेबिट नोट के अनुसार, वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 43.5317939 करोड़, ₹ 52.6672472 करोड़ एवं ₹ 30.9472516 करोड़ के डेबिट के समायोजन के बाद ₹ 2.25 करोड़ व्यय में कमी (माईनस डेबिट) निवल डेबिट ₹ 124.8963 करोड़ के द्वारा मुख्य शीर्ष 2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत को कन्ट्रा डिडक्ट डेबिट के द्वारा एस०डी०आर०एफ० को डेबिट किया गया। अंततः वित्तीय वर्ष 2013-14 के अंत में एस०डी०आर०एफ० का अवशेष ₹ 2,054.691 करोड़ था।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि क्रमशः ₹ 152.465 करोड़ तथा ₹ 152.46 करोड़ एस०डी०आर०एफ० के लिये विमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा भी राज्यांश के रूप में प्रथम एवं द्वितीय किश्त की राशि क्रमशः ₹ 50.82 करोड़ तथा ₹ 50.825 करोड़ विमुक्त किया गया। राज्य सरकार द्वारा सूचित वर्ष 2014-15 के दौरान एस०डी०आर०एफ० के अवशेष से ट्रेजरी बिल में निवेश से प्राप्त ब्याज ₹ 21.80 करोड़ को भी एस०डी०आर०एफ० में वर्ष 2014-15 में जमा किया गया। तदनुसार राशि ₹ 304.9252 करोड़, ₹ 101.645 करोड़ तथा ₹ 21.80 करोड़, कुल राशि ₹ 428.37 करोड़ वर्ष 2014-15 के दौरान एस०डी०आर०एफ० में जमा किया गया।

राज्य सरकार से प्राप्त डेबिट नोट के अनुसार ₹ 39.389 करोड़ एवं ₹ 250.938 करोड़ तथा एस०डी०आर०एफ० के अवशेष से ट्रेजरी बिल में ₹ 383.16 करोड़ के निवेश की सूचना प्राप्त हुई। तदनुसार, राशि ₹ 39.389 करोड़, ₹ 250.938 करोड़ एवं ₹ 383.16 करोड़ कुल ₹ 673.487 करोड़ एस०डी०आर०एफ० को नामे करते हुए अवशेष ₹ 1,809.57 करोड़ रहा।



**अनुदान संख्या - 40- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2014 न्याय प्रशासन			
2029 भू-राजस्व			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2506 भूमि सुधार			
3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			

दत्तमत :

<b>मूल</b>	<b>70,18,077</b>	<b>70,64,162</b>	<b>48,22,798</b>	<b>(-)22,41,364</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>46,085</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>				<b>22,35,447</b>
18 नवम्बर 2014	2,00,000			
25 नवम्बर 2014	20,000			
12 मार्च 2015	41,957			
31 मार्च 2015	19,73,490			

**पूँजी**

**मुख्य शीर्ष**

4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

दत्तमत :

<b>मूल</b>	<b>3,12,652</b>	<b>3,17,652</b>	<b>1,65,360</b>	<b>(-)1,52,292</b>
<b>अनुपूरक</b>	<b>5,000</b>			
<b>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</b>				<b>1,55,792</b>
16 फरवरी 2015	9,900			
31 मार्च 2015	1,45,892			

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 22,413.64 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2014 (₹ 32.39 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 378.62 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 49.84 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 460.85 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 22,354.47 लाख), अंतिम बचत (₹ 22,413.64 लाख) से ₹ 59.17 लाख कम था ।



अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 भू-अभिलेख ( गैर-योजना)			
0001 भू-अभिलेख स्थापना	670.08	667.52	(-)2.56
मूल	926.52		
पुनर्वि०	(-)256.44		
₹ 256.44 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना			
0206 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम ( एन०एल०आर०एम०पी० )	526.92	464.27	(-)62.65
मूल	1,398.00		
पुनर्वि०	(-)871.08		
₹ 871.08 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0306 राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम ( एन०एल०आर०एम०पी० )	7.51	7.51	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)192.49		
₹ 192.49 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104 सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध ( गैर-योजना)			
0002 हाट, बाजार, कचहरी इत्यादि का सुरक्षण	440.12	440.12	0.00
मूल	588.17		
पुनर्वि०	(-)148.05		
₹ 5.43 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 142.62 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0004 जमींदारी उन्मूलन बन्ध पत्र	0.00	0.00	0.00
मूल	41.76		
पुनर्वि०	(-)41.76		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं</b>			
00			
092 अन्य कार्यालय ( गैर-योजना)			
0004 भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार	77.71	77.71	0.00
मूल	114.05		
पुनर्वि०	(-)36.34		
₹ 36.34 लाख का प्रत्यर्पण अधिकारियों/कर्मियों के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
099 राजस्व बोर्ड ( गैर-योजना)			
0001 राजस्व पर्षद	305.78	273.77	(-)32.01
मूल	321.52		
अनुपूरक	41.84		
पुनर्वि०	(-)57.58		
₹ 57.58 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं</b>			
00			
800 अन्य व्यय ( गैर-योजना)			
0022 बिहार राज्य मेला प्राधिकार	43.29	0.00	(-)43.29
मूल	43.29		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2506 भूमि सुधार</b>			
00			
102 चकबन्दी ( गैर-योजना)			
0001 जोतों की चकबन्दी	206.85	205.34	(-)1.51
मूल	361.16		
पुनर्वि०	(-)154.31		
₹ 154.31 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3454 जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी</b>			
01 जनगणना			
001 निदेशन और प्रशासन योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0402 कृषि गणना	363.65	360.29	(-)3.36
मूल	382.42		
अनुपूरक	216.76		
पुनर्वि०	(-)235.53		
₹ 235.53 लाख का प्रत्यर्पण कुछ जिलों द्वारा मानदेय की निकासी नहीं किये जाने तथा प्रकाशन एवं मुद्रण का कम विपत्र प्राप्त होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 40 - क्रमशः**

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2029</b>			
<b>भू-राजस्व</b>			
00			
104			
सरकारी संपदाओं का प्रबंध (गैर-योजना)			
0001	38,872.03	39,011.83	(+139.80)
राजस्व प्रशासन पर व्यय			
मूल	54,423.98		
अनुपूरक	5.01		
पुनर्वि०	(-)15,556.96		
₹ 5.35 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 15,551.61 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (v) ₹ 1,522.92 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,557.92 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,522.92 लाख) से ₹ 35.00 लाख अधिक था ।
- (vii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4047</b>			
<b>अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
050			
भूमि			
योजना			
(राज्य योजना)			
0106	0.00	0.00	0.00
भूमि बैंक योजना			
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789			
अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना			
(राज्य योजना)			
0104	54.38	54.38	0.00
गृह विहीन परिवारों के लिए गृह निर्माण			
मूल	334.27		
पुनर्वि०	(-)279.89		
₹ 279.89 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 40 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 गृह विहीन के लिए वास भूमि	23.58	23.58	0.00
मूल	130.77		
पुनर्वि०	(-)107.19		
₹ 107.19 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
(iv) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
<b>4047 अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
050 भूमि			
योजना (राज्य योजना)			
0104 सड़क निर्माण हेतु भूमि का क्रय (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	59.53	79.53	(+)20.00
मूल	100.00		
अनुपूरक	50.00		
पुनर्वि०	(-)90.47		
₹ 90.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	981.11	996.11	(+)15.00
मूल	1,961.48		
पुनर्वि०	(-)980.37		
₹ 980.37 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 41- पथ निर्माण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
3054 सड़क तथा सेतु			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	90,23,962	1,25,87,476	89,90,956
अनुपूरक	35,63,514		(-)35,96,520
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			42,73,962

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	3,99,56,400	5,29,06,400	4,62,93,233
अनुपूरक	1,29,50,000		(-)66,13,167
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			65,29,741
23 जून 2014	5,000		
31 मार्च 2015	65,24,741		

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 35,965.20 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 50.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 35,585.13 लाख) एवं मार्च 2015 (₹ 0.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 35,635.14 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 42,739.62 लाख), अंतिम बचत (₹ 35,965.20 लाख) से ₹ 6,774.42 लाख अधिक था ।

**अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>			
03 राजकीय मार्ग			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 क्षमता विकास (बाह्य सम्पोषित)	272.30	272.30	0.00
मूल	436.00		
पुनर्वि०	(-)163.70		
₹ 163.70 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
052 मशीनरी तथा उपस्कर (गैर-योजना)			
0001 मशीनरी तथा उपस्कर	343.83	362.33	(+)18.50
मूल	410.00		
पुनर्वि०	(-)66.17		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 21.00 लाख के प्रावधान में कमी तथा ₹ 45.17 लाख के प्रत्यर्पण एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0002 पर्यवेक्षण	19,379.85	19,157.44	(-)222.41
मूल	25,240.28		
पुनर्वि०	(-)5,860.43		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 119.79 लाख तथा ₹ 5,740.64 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0006 राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजना-निदेशन	1,447.20	5.94	(-)1,441.26
मूल	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)3,552.80		
₹ 3,552.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0014 पथ निर्माण विभाग	267.50	266.68	(+)0.82
मूल	306.19		
पुनर्वि०	(-)38.69		
₹ 38.69 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



**अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः**

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>			
03 राजकीय मार्ग			
103 रख-रखाव एवं मरम्मत (गैर-योजना)			
0001 कार्यभारित व्यय	102.94	268.52	(+)165.58
मूल	800.00		
पुनर्वि०	(-)697.06		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 200.00 लाख तथा ₹ 497.06 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 अन्य अनुरक्षण व्यय	57,291.84	57,876.85	(+)585.01
मूल	53,740.00		
अनुपूरक	35,585.13		
पुनर्वि०	(-)32,033.29		
₹ 32,033.29 लाख के प्रत्यर्पण एवं अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (v) ₹ 66,131.67 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,20,000.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 9,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,29,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 65,297.41 लाख), अंतिम बचत (₹ 66,131.67 लाख) से ₹ 834.26 लाख कम था ।
- (vii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>5054 सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़कें			
337 सड़क निर्माण कार्य योजना (राज्य योजना)			
0101 भारत-नेपाल सीमा सड़क	19,872.09	14,837.59	(-)5,034.50
मूल	22,400.00		
पुनर्वि०	(-)2,527.91		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 874.00 लाख के प्रावधान में कमी तथा ₹ 1,653.91 लाख के प्रत्यर्पण एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 राजकीय राजमार्ग			
052 मशीनरी तथा उपस्कर योजना (राज्य योजना)			
0101 मशीनरी तथा उपस्कर	27.37	21.15	(-)6.22
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)22.63		
₹ 22.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101 सेतु योजना (राज्य योजना)			
0101 सेतु	60,777.51	105.15	(-)60,672.36
मूल	42,131.00		
अनुपूरक	20,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,353.49		
प्रावधान में ₹ 1,353.49 लाख की हुई कमी, ₹ 1,369.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,722.37 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 सेतु (नाबार्ड)	1,21,470.24	18,890.50	(-)1,02,579.74
मूल	1,27,552.00		
पुनर्वि०	(-)6,081.76		
₹ 6,081.76 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104 मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	35,180.35	7,060.12	(-)28,120.23
मूल	40,000.00		
पुनर्वि०	(-)4,819.65		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,000.00 लाख के प्रावधान में कमी तथा ₹ 1,819.65 लाख के प्रत्यर्पण एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0208 सड़क तथा सेतु	7,085.00	0.00	(-)7,085.00
मूल	7,085.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
337 सड़क निर्माण कार्य योजना (राज्य योजना)			
0102 वृहद्-सड़कें	1,67,179.25	90,427.24	(-)76,752.01
मूल	65,000.00		
अनुपूरक	1,09,500.00		
पुनर्वि०	(-)7,320.75		
₹ 7,320.75 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0108 सड़क (एशियन विकास बैंक सम्पोषित)	9,946.00	0.00	(-)9,946.00
मूल	9,946.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0206 केन्द्रीय सड़क निधि	11,393.77	6,241.80	(-)5,151.97
मूल	10,000.00		
पुनर्वि०	1,393.77		
प्रावधान में ₹ 1,393.77 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 2,505.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,111.23 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0210 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (राज्य घटक) (एसीए)	20,000.00	20,000.00	0.00
मूल	35,000.00		
पुनर्वि०	(-)15,000.00		
₹ 15,000.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0306 केन्द्रीय सड़क निधि	350.00	44.46	(-)305.54
मूल	350.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वृहद्-सड़कें	10,485.00	6,582.78	(-)3,902.22
मूल	40,000.00		
पुनर्वि०	(-)29,515.00		
₹ 29,515.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 वृहद्-सड़कें	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

(viii) **उचंत लेन-देन** : (क) इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय में से ₹ 2,98,135.74 लाख (निवल) का उपयोग उचंत शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किया गया जो कि लेखे का अंतिम शीर्ष नहीं है। इस शीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित लेन-देन, यदि लेखा के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं हुए हों, वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। लेन-देनों में नामे और जमा दोनों सम्मिलित रहते हैं। लघुशीर्ष उचंत के चार उप-प्रभाग होते हैं, यथा-(i) स्टॉक, (ii) क्रय, (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम और (iv) कार्यशाला उचंत। प्रत्येक उप-प्रभाग के लेन-देनों की प्रकृति निम्नलिखित है -

**(i) स्टॉक** :- इस शीर्ष को स्टॉक प्रयोजनों के लिए (किसी कार्य विशेष के लिए नहीं) प्राप्त सामग्रियों के मूल्य से प्रभारित किया जाता है। इस प्रभार में से निर्माण कार्य में उपयोग के लिए निर्गत या किसी अन्य प्रकार से निपटान की गयी सामग्रियों का मूल्य हटा दिया जाता है। स्टॉक का शेष, स्टॉक में रखी गयी सामग्रियों के मूल्य का सूचक है।

**अनुदान संख्या - 41 - क्रमशः**

**(ii) क्रय :-** जब मास के दौरान अदायगी अथवा समायोजन किये बिना विशिष्ट निर्माण कार्यों या स्टॉक के लिए सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं, उसका मूल्य यथा स्थिति लेखा के उस विशिष्ट “कार्य” शीर्ष में या “स्टॉक” उपशीर्ष में प्रतिपक्ष नामे डालकर क्रय में जमा दिखाया जाता है। जब अदायगी कर दी जाती है या अन्य को भंडार अंतरित कर मूल्य का समायोजन कर दिया जाता है तो राशि का “क्रय” शीर्ष में नामे डालकर प्रारम्भिक जमा से उसे मुक्त कर दिया जाता है। अतः यदि यह शीर्ष ऋण शेष दर्शाता है तो यह प्राप्त सामग्री के अदत्त या असमायोजित मूल्य का सूचक है। वर्ष 1974-75 से इस उपशीर्ष को समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकृति के लेन-देनों को “8658-उचंत लेखा, 129-सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचंत लेखा” में दर्ज किया जाता है। लेकिन कुछ विभाग, यथा - भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग अभी भी वर्ष 1974-75 से पहले के वर्गीकरण को अपना रहे हैं।

**(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम :-** इस उपशीर्ष में उधार बेचे गए भंडार के मूल्य की राशि, निर्माण कार्यों पर प्राप्त जमा राशियों से अधिक व्यय की गई राशि, बट्टे खाते में न डाली गई रोकड़ या भंडार की हानियाँ और सरकारी सेवकों आदि से वसूली योग्य राशियों के लिए नामे लेखांकित किये जाते हैं। इस प्रकार इस उपशीर्ष के अंतर्गत के नामे शेष वसूली योग्य राशियाँ दर्शाते हैं।

**(iv) कार्यशाला उचंत :-** (क) लोक निर्माण विभाग के विभागी कार्यशालाओं में निष्पादित कार्यों या अन्य कार्य प्रचलनों के प्रभार, उनकी वसूली या उनके समायोजन होने तक इस उपशीर्ष में नामे डाले जाते हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक उप-प्रभागों के अन्तर्गत 2014-2015 के दौरान हुए लेन-देनों के ब्योरे और साथ ही उनके आदिशेष और अंतशेष नीचे दिए गए हैं :-

शीर्ष	1 अप्रैल 2014 को आदिशेष	नामे	जमा	निवल	31 मार्च 2015 को अंतशेष
<b>( ₹ लाख में )</b>					
<b>( i ) 3054 - सड़क तथा सेतु</b>					
क्रय	(-)4,047.20	0.00	0.00	0.00	(-)4,047.20
स्टॉक	(-)690.43	0.00	0.00	0.00	(-)690.43
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	5,441.35	(-)691.96	0.00	(-)691.96	4,749.39
<b>जोड़</b>	<b>703.72</b>	<b>(-)691.96</b>	<b>0.00</b>	<b>(-)691.96</b>	<b>11.76</b>
<b>( ii ) 5054 - सड़क तथा सेतु पर पूँजीगत परिव्यय</b>					
क्रय	(-)4.43	0.00	0.00	0.00	(-)4.43
स्टॉक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	89,573.24	2,98,827.70	0.00	2,98,827.70	3,88,400.94
<b>जोड़</b>	<b>89,568.81</b>	<b>2,98,827.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,98,827.70</b>	<b>3,88,396.51</b>

**अनुदान संख्या - 41 - क्रमांत**

- (ix) **पथ निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर की समीक्षा :-** लोक निर्माण विभाग की स्थापना और मशीनरी तथा उपस्कर के सकल प्रभारों में से अन्य व्यय सरकारों, स्थानीय निकायों आदि के लिए किए गए कार्यों के लिए प्रतिशत वसूलियाँ घटा दी जाती है तथा शेष को लेखे के उपयुक्त शीर्षों के बीच उनके अन्तर्गत अभिलिखित निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित किया जाता है। निम्न तालिका वर्ष 2012-13 से 2014-15 के प्रभारों को तथा इन वर्षों के निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता को दर्शाती है :-

वर्ष	निर्माण कार्य परिव्यय	स्थापना प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर स्थापना प्रभारों की प्रतिशतता	मशीनरी तथा उपस्कर प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपस्कर प्रभारों की प्रतिशतता
<b>( ₹ लाख में )</b>					
2012-13	2,78,633.49	1,67,148.00	5.99	241.58	0.09
2013-14	4,37,963.27	26,277.80	6.00	426.41	0.09
2014-15	3,62,983.41	23,447.05	6.45	383.48	0.10

- (x) **केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान**

भारत सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिरिट पर उत्पाद तथा आयात शुल्क की आय में से किया जाता है। इस निधि के अंतरण के लिए प्रत्येक वर्ष संस्वीकृत राशि केन्द्रीय सरकार के खाते में मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" में प्रतिपक्ष नामे डालकर मुख्य शीर्ष 8224- केन्द्रीय सड़क निधियां में जमा की जाती है। इस राशि में से 80 प्रतिशत राज्यों आदि को आवंटित की जाती है।

इस निधि से प्राप्त राशि एवं उससे होने वाले व्यय की राज्य सरकार के लेखों में लेखांकन की प्रक्रिया निम्नवत है- केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त की गई राशि मुख्य शीर्ष 1601-केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान, 01-योजनेत्तर अनुदान-106-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान या 02-राज्य की योजनागत योजना के लिए अनुदान-105-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान अथवा 04-केन्द्र द्वारा समर्थित योजनागत योजना के लिए अनुदान-105-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान जैसा भी मामला हो, में जमा की जाती है। तत्पश्चात, इतनी ही राशि मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-80-सामान्य-797-आरक्षित निधि/जमा लेखा को से अंतरण में प्रतिपक्ष जमा करके मुख्यशीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में जमा की जाती है।

इन योजनाओं में हुए वास्तविक व्यय को प्रारंभ में मुख्य शीर्ष 3054/5054 के अंतर्गत लेखांकित किया जाता है एवं अंततः इस मुख्य शीर्ष में किए गए व्यय को मुख्य राशि 8449-अन्य जमा अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि के शेष से पूरा किया जाता है। इन राशि का लेखांकन मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के नामे डालकर प्रतिपक्ष नामे मुख्य शीर्ष 3054/5054-902-जमा शीर्ष से प्रतिपूर्ति किया जाता है।

राज्य सरकार ने विहित प्रक्रिया नहीं अपनायी है, यद्यपि भारत सरकार से वर्ष 2014-15 में ₹ 8,336.00 लाख प्राप्त हुए एवं मुख्य शीर्ष 1601-02-105 केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के अंतर्गत जमा किया गया।

मुख्य शीर्ष 8449-अन्य जमा-103-केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण हेतु वर्ष 2015-16 के अनुपूरक बजट में मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु-797-आरक्षित निधि/जमा लेखे को/से अंतरण के अंतर्गत समुचित बजट उपबंध करने के लिए इस मामले को वित्त विभाग के ध्यान में लाया गया है किन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया है। हालांकि इस कार्यालय द्वारा मुख्य शीर्ष 8449- अन्य जमा-103- केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान के अंतर्गत ₹ 8,336.00 लाख अंतरण द्वारा जमा किया गया है।

अनुदान संख्या - 42- ग्रामीण विकास विभाग  
( सभी दत्तमत )

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2203	तकनीकी शिक्षा			
2216	आवास			
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505	ग्राम रोजगार			
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल	6,72,58,388	6,72,58,388	3,12,64,217	(-)3,59,94,171
अनुपूरक	0			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				3,12,07,233
<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल	3,00,000	3,00,001	94,907	(-)2,05,094
अनुपूरक	1			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,00,469
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ-</b>				
<b>राजस्व ( दत्तमत )</b>				
(i)	₹ 3,59,941.71 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के राजस्व प्रभाग के अंतर्गत ₹ 6,72,583.88 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।			
(ii)	अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 3,12,072.33 लाख), अंतिम बचत (₹ 3,59,941.71 लाख) से ₹ 47,869.38 लाख कम था ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2216 आवास</b>			
03 ग्रामीण आवास			
105 इंदिरा आवास योजना योजना (राज्य योजना)			
0105 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	24,999.90	24,999.90	0.00
मूल	2,500.00		
पुनर्वि०	22,499.90		
प्रावधान में ₹ 22,499.90 लाख की हुई वृद्धि, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 22,500.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 0.10 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0106 मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	10.00	7.62	(-)2.38
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)990.00		
₹ 990.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	45,840.26	42,527.98	(-)3,312.28
मूल	1,14,480.00		
पुनर्वि०	(-)68,639.74		
₹ 3,700.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 64,939.74 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	16,548.70	16,060.89	(-)487.81
मूल	48,488.43		
पुनर्वि०	(-)31,939.73		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 11,200.00 लाख के प्रावधान में कमी तथा ₹ 20,739.73 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	53,427.36	53,427.36	0.00
मूल	1,52,928.00		
पुनर्वि०	(-)99,500.64		
₹ 99,500.64 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0302 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	16,224.66	16,224.66	0.00
मूल	50,976.00		
पुनर्वि०	(-)34,751.34		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12,700.00 लाख के प्रावधान में कमी तथा ₹ 22,051.34 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	4,220.36	2,977.33	(-)1243.03
मूल	2,592.00		
पुनर्वि०	1,628.36		
प्रावधान में ₹ 1,628.36 लाख की हुई वृद्धि, ₹ 3,700.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,071.64 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
<b>2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>			
01 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
001 निदेशन एवं प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0104 बिजनेस प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग	62.83	62.33	(-)0.50
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)437.17		
₹ 437.17 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
06 स्वरोजगार कार्यक्रम			
101 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	1,322.71	1,267.63	(-)55.08
मूल	12,422.00		
पुनर्वि०	(-)11,099.29		
₹ 11,099.29 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
0302 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	451.67	443.47	(-)8.20
मूल	4,675.00		
पुनर्वि०	(-)4,223.33		
₹ 4,223.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00
मूल	4,855.76		
पुनर्वि०	(-)4,855.76		
0302 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,928.50		
पुनर्वि०	(-)1,928.50		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			



अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जन जातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00
मूल	3,516.24		
पुनर्वि०	(-3,516.24)		
0302 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन (एन०आर०एल०एम०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,396.50		
पुनर्वि०	(-1,396.50)		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2505 ग्राम रोजगार</b>			
01 राष्ट्रीय कार्यक्रम			
701 राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन कार्यक्रम योजना (राज्य योजना)			
0102 मुख्यालय स्थापना	248.82	248.49	(-0.33)
मूल	300.00		
पुनर्वि०	(-51.18)		
₹ 51.18 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना			
101 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना योजना (राज्य योजना)			
0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	79,653.64	54,012.78	(-25,640.86)
मूल	1,32,800.00		
पुनर्वि०	(-53,146.36)		
₹ 53,146.36 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	29,050.00	18,847.00	(-10,203.00)
मूल	29,050.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	15,354.92	15,354.92	0.00
मूल	25,600.00		
पुनर्वि०	(-10,245.08)		
₹ 10,245.08 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 42 - क्रमशः**

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0301 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	5,600.00	0.00	(-)5,600.00
मूल	5,600.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जन जातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0201 महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	959.68	959.68	0.00
मूल	1,600.00		
पुनर्वि०	(-)640.32		
₹ 640.32 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>			
00			
003 प्रशिक्षण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	350.00	285.96	(-)64.04
मूल	350.00		
अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 सामुदायिक विकास			
(गैर-योजना)			
0001 प्रखंड स्थापना	26,098.20	25,497.24	(-)600.96
मूल	34,808.88		
पुनर्वि०	(-)8,710.68		
₹ 8,710.68 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0116 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना	0.00	0.00	0.00
(बाह्य सम्पोषित परियोजना)			
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय			
(गैर-योजना)			
0010 ग्रामीण विकास विभाग	622.06	599.34	(-)22.72
मूल	863.00		
पुनर्वि०	(-)240.94		
₹ 240.94 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 42 - क्रमांत

पूँजी ( दत्तमत )

- (iv) ₹ 2,050.94 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, मार्च 2015 में प्राप्त किया गया ₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,004.69 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,050.94 लाख) से ₹ 46.25 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4515</b> अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
00			
102 सामुदायिक विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार एकीकृत सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण परियोजना (बाह्य सम्पोषित परियोजना)	0.00	0.00	0.00
मूल	500.00		
पुनर्वि०	(-)500.00		
संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103 ग्राम विकास			
योजना (राज्य योजना)			
0102 प्रखंड लघु निर्माण कार्य	995.32	949.07	(-)46.25
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	0.01		
पुनर्वि०	(-)1,504.69		
₹ 1,504.69 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 43- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2203 तकनीकी शिक्षा			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	11,41,258	11,58,418	6,23,853
अनुपूरक	17,160		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			5,31,310

<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	2,32,101	3,82,101	2,27,599
अनुपूरक	1,50,000		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,60,411

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 5,345.65 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 171.60 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 5,313.10 लाख), अंतिम बचत (₹ 5,345.65 लाख) से ₹ 32.55 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 43 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2203</b>	<b>तकनीकी शिक्षा</b>			
00				
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	तकनीकी शिक्षा निदेशालय	328.95	328.81	(-)0.14
	मूल	368.06		
	पुनर्वि०	(-)39.11		
	₹ 39.11 लाख के प्रत्यर्पण एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
004	अनुसंधान (गैर-योजना)			
0001	अनुदान और अनुसंधान शोधवृत्ति	0.00	0.00	0.00
	मूल	35.35		
	पुनर्वि०	(-)35.35		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	बिहार काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना रिमोट सेंसिंग केन्द्र/इन्दिरा गाँधी विज्ञान परिसर, प्लेनेटोरियम, पटना	0.00	0.00	0.00
	मूल	1,850.00		
	पुनर्वि०	(-)1,850.00		
	₹ 35.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 1,815.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
112	अभियंत्रण/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान (राज्य योजना)			
0105	कौशल विकास मिशन	0.00	0.00	0.00
	मूल	3,000.00		
	पुनर्वि०	(-)3,000.00		
	संपूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451</b>	<b>सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00				
090	सचिवालय (गैर-योजना)			
0003	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	50.44	50.44	0.00
	मूल	115.31		
	अनुपूरक	1.10		
	पुनर्वि०	(-)65.97		
	प्रावधान में ₹ 65.97 लाख की हुई कमी, ₹ 3.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण ₹ 68.97 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी, वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 43 - क्रमांत**

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 1,545.02 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,604.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,545.02 लाख) से ₹ 59.09 लाख अधिक था ।
- (vi) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 तकनीकी शिक्षा			
104 पॉलिटेक्नीक योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलिटेक्नीक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	779.91	779.91	0.00
मूल	970.00		
अनुपूरक	600.00		
पुनर्वि०	(-)790.09		
₹ 790.09 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

- (vii) अधिक व्यय (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
02 तकनीकी शिक्षा			
105 इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय एवं संस्थान योजना (राज्य योजना)			
0102 पॉलिटेक्नीक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय	1,436.98	1,496.08	(+59.10)
मूल	1,351.00		
अनुपूरक	900.00		
पुनर्वि०	(-)814.02		
₹ 814.02 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 44- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		1,15,85,347	1,16,97,165	94,23,255 (-)22,73,910
अनुपूरक		1,11,818		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				19,67,917

<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		10,000	10,000	10,000 0
अनुपूरक		0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				0

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 22,739.10 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 4.50 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 277.08 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 836.60 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,118.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 19,679.17 लाख), अंतिम बचत (₹ 22,739.10 लाख) से ₹ 3,059.93 लाख कम था ।

अनुदान संख्या -44 - क्रमशः

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :				
शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001	निदेशन तथा प्रशासन	3,515.42	3,515.42	0.00
	मूल	4,022.14		
	पुनर्वि०	(-)506.72		
	₹ 506.72 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।			
0003	राज्य अनुसूचित जाति आयोग	218.32	208.23	(-)10.09
	मूल	252.32		
	पुनर्वि०	(-)34.00		
	₹ 34.00 लाख का प्रत्यर्पण, आयोग में कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102	आर्थिक विकास			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान	50.00	0.00	(-)50.00
	मूल	50.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0216	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई०)	0.00	0.00	0.00
	मूल	500.00		
	पुनर्वि०	(-)500.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
198	ग्राम पंचायतों को सहायता			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	वृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ	21,483.86	19,120.45	(-)2,363.41
	मूल	21,810.00		
	पुनर्वि०	(-)326.14		
	₹ 326.14 लाख के प्रत्यर्पण एवं अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
277	शिक्षा			
	(गैर-योजना)			
0002	छात्रावासों का संधारण	663.63	663.63	0.00
	मूल	1,059.18		
	पुनर्वि०	(-)395.55		
	₹ 395.55 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों की कमी तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई।			



अनुदान संख्या -44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0003 आवासीय विद्यालय	7,337.28	7,328.56	(-)8.72
मूल	9,526.00		
पुनर्वि०	(-)2,188.72		
₹ 2,183.72 लाख का प्रत्यर्पण, सेवानिवृत्त शिक्षकों का अनुबंध पर नियोजन नहीं किए जाने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 5.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007 प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	945.03	884.39	(-)60.64
मूल	1,200.00		
पुनर्वि०	(-)254.97		
₹ 254.97 लाख का प्रत्यर्पण, मांग पत्र प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0012 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	157.52	157.50	(-)0.02
मूल	189.72		
पुनर्वि०	(-)32.20		
₹ 32.20 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों की कमी तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 शिक्षा	523.77	523.77	0.00
मूल	600.00		
पुनर्वि०	(-)76.23		
₹ 76.23 लाख का प्रत्यर्पण, सामग्री की आपूर्ति नहीं होने के कारण हुई।			
0218 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	2,877.86	2,843.07	(-)34.79
मूल	9,060.00		
अनुपूरक	587.08		
पुनर्वि०	(-)6,769.22		
₹ 6,769.22 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0318 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना	767.16	712.74	(-)54.42
मूल	500.00		
अनुपूरक	310.00		
पुनर्वि०	(-)42.84		
₹ 42.84 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या -44 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
793	अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता योजना (केन्द्रीय योजनागत योजना)		
0401	अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास मूल 4,000.00 पुनर्वि० (-)4,000.00	0.00	0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।		
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण		
001	निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग मूल 158.54 पुनर्वि० (-)68.54	90.00	90.00
	₹ 68.54 लाख का प्रत्यर्पण, आयोग के सदस्यों के पद रिक्त रहने के कारण हुई ।		
102	आर्थिक विकास योजना (राज्य योजना)		
0101	अनुसूचित जनजाति के बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्ति मूल 1,161.00 पुनर्वि० (-)1,161.00	0.00	0.00
0102	अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मूल 1,437.00 पुनर्वि० (-)1,437.00	0.00	0.00
	उपर्युक्त दो मामलों में, सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।		
197	ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता योजना (राज्य योजना)		
0101	वृत्तियाँ/छात्रवृत्तियाँ मूल 943.00 पुनर्वि० (-)51.86	891.14	730.15
	₹ 51.86 लाख का प्रत्यर्पण, मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
277	शिक्षा (गैर-योजना)		
0003	छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास मूल 139.46 पुनर्वि० (-)97.83	41.63	41.63
	प्रावधान में ₹ 97.83 लाख की हुई कमी, ₹ 7.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 104.83 लाख की कमी का निवल प्रभाव था। कमी तथा वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या -44 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0004 आवासीय विद्यालय	1,228.24	1,198.50	(-)29.74
मूल	1,615.13		
पुनर्वि०	(-)386.89		
₹ 386.89 लाख का प्रत्यर्पण, सेवानिवृत्त शिक्षकों का अनुबंध पर नियोजन नहीं किए जाने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0013 खड़िया एवं अन्य आदिम जातियों के कल्याण के निमित्त विशेष योजनाएं	3.27	3.27	0.00
मूल	29.76		
पुनर्वि०	(-)26.49		
₹ 19.49 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0214 अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए छतरी योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	500.00		
अनुपूरक	216.60		
पुनर्वि०	(-)716.60		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई।			

**अनुदान संख्या - 45- गन्ना उद्योग विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2401	फसल कृषि-कर्म			
2852	उद्योग			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		11,79,988	25,50,707	8,48,336
अनुपूरक		13,70,719		(-)17,02,371
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				16,86,088
15 जुलाई 2014	9,69,119			
26 मार्च 2015	1,09,000			
31 मार्च 2015	6,07,969			

**पूँजी**

**मुख्य शीर्ष**

**6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज**

**दत्तमत :**

मूल		6,324	16,76,223	6,324	(-)16,69,899
अनुपूरक		16,69,899			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)					16,69,899

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 17,023.72 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए जुलाई 2014 (₹ 13,699.19 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 8.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,707.19 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 16,860.88 लाख), अंतिम बचत (₹ 17,023.72 लाख) से ₹ 162.84 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2401 फसल कृषि-कर्म</b>			
00			
108 वाणिज्यिक फसलें			
योजना (राज्य योजना)			
0109 ईख विकास	3,611.38	3,539.22	(-)72.16
मूल	5,040.00		
अनुपूरक	7,506.40		
पुनर्वि०	(-)8,935.02		
₹ 7,675.02 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः योजना उद्व्यय में कमी के कारण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,260.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0108 ईख विकास	196.35	170.00	(-)26.35
मूल	900.00		
अनुपूरक	850.61		
पुनर्वि०	(-)1,554.26		
₹ 1,329.26 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 225.00 लाख की कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0129 ईख विकास	14.47	14.25	(-)0.22
मूल	60.00		
अनुपूरक	56.90		
पुनर्वि०	(-)102.43		
₹ 102.43 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 45 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
2852	उद्योग			
08	उपभोक्ता उद्योग			
201	चीनी ( गैर-योजना )			
0001	चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट, 1937 से संबंधित व्यय-मुख्यालय	151.89	142.75	(-)9.14
	मूल	166.11		
	अनुपूरक	8.00		
	पुनर्वि०	(-)22.22		
	₹ 22.22 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002	चीनी निर्माणशाला नियंत्रण एक्ट, 1937 से संबंधित व्यय-जिला	132.82	130.67	(-)2.15
	मूल	192.42		
	पुनर्वि०	(-)59.60		
	₹ 59.60 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	आर्थिक सहायता	2,721.51	2,721.51	0.00
	मूल	3,360.00		
	अनुपूरक	4,637.28		
	पुनर्वि०	(-)5,275.77		
	प्रावधान में ₹ 5,275.77 लाख की हुई कमी, ₹ 1,260.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 6,535.77 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 6,535.77 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	आर्थिक सहायता	407.92	407.92	0.00
	मूल	600.00		
	अनुपूरक	600.00		
	पुनर्वि०	(-)792.08		
	प्रावधान में ₹ 792.08 लाख की हुई कमी, ₹ 225.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,017.08 लाख की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 1,017.08 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 45 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 आर्थिक सहायता	17.93	0.00	(-)17.93
मूल	40.00		
अनुपूरक	40.00		
पुनर्वि०	(-)62.07		
₹ 62.07 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः योजना उद्भव्य में कमी के कारण हुई। सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

**3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं**

00

090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0002 चीनी उद्योग विभाग	112.98	112.85	(-)0.13
मूल	162.40		
अनुपूरक	8.00		
पुनर्वि०	(-)57.42		
₹ 57.42 लाख का प्रत्यर्पण, मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा निकासी पर प्रतिबंध लगाये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015)।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) ₹ 16,698.99 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 16,698.99 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था।
- (v) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>6860 उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण</b>			
04 चीनी			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण (गैर-योजना)			
0001 चीनी मिलों को ऋण	63.24	63.24	0.00
मूल	63.24		
अनुपूरक	16,698.99		
पुनर्वि०	(-)16,698.99		

₹ 16,698.99 लाख के प्रत्यर्पण, गैर-योजना व्यय समिति की संस्तुति नहीं मिलने के कारण हुई।

**अनुदान संख्या - 46- पर्यटन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
3452 पर्यटन			
दत्तमत :			
मूल	1,34,301	2,41,534	1,94,302
अनुपूरक	1,07,233		(-)47,232
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			11,859

**पूँजी  
मुख्य शीर्ष**

5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	14,10,500	14,10,500	6,67,300
अनुपूरक	0		(-)7,43,200
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			6,35,132
28 अगस्त 2014	3,30,000		
31 मार्च 2015	3,05,132		

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 472.32 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 946.14 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 9.81 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 116.38 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,072.33 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 118.59 लाख), अंतिम बचत (₹ 472.32 लाख) से ₹ 353.73 लाख कम था ।



**अनुदान संख्या - 46 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>3452 पर्यटन</b>			
01 पर्यटक अवसरचना			
001 पर्यटक केन्द्र (गैर-योजना)			
0001 पर्यटक केन्द्र	137.58	136.47	(-1.11)
मूल	151.69		
अनुपूरक	5.38		
पुनर्वि०	(-19.49)		
₹ 19.49 लाख का प्रत्यर्पण तीन कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0102 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम	350.00	0.00	(-350.00)
मूल	350.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजी (दत्तमत)**

- (iv) ₹ 7,432.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 14,105.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 6,351.32 लाख), अंतिम बचत (₹ 7,432.00 लाख) से ₹ 1,080.68 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>5452 पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 पर्यटक अवसरचना			
101 पर्यटक केन्द्र योजना (राज्य योजना)			
0104 पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	4,495.19	3,745.60	(-749.59)
मूल	4,500.00		
पुनर्वि०	(-4.81)		
₹ 4.81 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 46 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0205	गंतव्य स्थलों एवं परिपथों के लिए अवसंरचना विकास	3,258.49	2,927.40	(-)331.09
	मूल	4,605.00		
	पुनर्वि०	(-)1,346.51		
	₹ 1,346.51 लाख का प्रत्यर्पण नई परियोजना के लिए निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बंचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (2015) ।			
102	पर्यटक आवास स्थान			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	नालन्दा धरोहर पर्यटन योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	5,000.00		
	पुनर्वि०	(-)5,000.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान में कमी, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को ₹ 3,300.00 लाख आवंटित किये जाने तथा पर्यटन विभाग के ₹ 1,700.00 का प्रावधान संशोधित किये जाने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 47- परिवहन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
राजस्व			
मुख्य शीर्ष			
2041 वाहन कर			
2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
3055 सड़क परिवहन			
3075 अन्य परिवहन सेवाएं			
दत्तमत :			
मूल	4,80,026	5,30,026	4,19,444
अनुपूरक	50,000		(-)1,10,582
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			1,05,392

पूँजी			
मुख्य शीर्ष			
5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय			
दत्तमत :			
मूल	70,000	70,000	28,000
अनुपूरक	0		(-)42,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			42,000

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 1,105.82 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 500.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,053.93 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,105.82 लाख) से ₹ 51.90 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 47 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 15 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2041 वाहन कर</b>			
00			
001 निदेशन तथा प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 राज्य परिवहन प्राधिकरण	473.48	446.80	(-)26.68
मूल	592.28		
पुनर्वि०	(-)118.80		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 138.80 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 118.80 लाख की कमी हुई । वृद्धि और कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101 संग्रहन प्रभार (गैर-योजना)			
0001 क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण	224.68	224.68	0.00
मूल	363.90		
पुनर्वि०	(-)139.22		
₹ 20.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 119.22 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 मोटरवाहनों का नियंत्रण	2,449.20	2,428.39	(-)20.81
मूल	3,012.70		
पुनर्वि०	(-)563.50		
पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 68.00 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 631.50 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 563.50 लाख की कमी हुई । वृद्धि और कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
102 मोटरवाहनों का निरीक्षण (गैर-योजना)			
0001 मोटरवाहनों का निरीक्षण	231.14	231.14	0.00
मूल	413.17		
पुनर्वि०	(-)182.03		
₹ 68.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 114.03 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 47 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

**2052 सचिवालय-सामान्य सेवाएं**

00

090 सचिवालय  
(गैर-योजना)

0035 परिवहन विभाग 124.35 120.11 (-)4.24

मूल 140.09

पुनर्वि० (-)15.74

₹ 15.74 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**3075 अन्य परिवहन सेवाएं**

60

अन्य

001 निदेशन एवं प्रशासन  
(गैर-योजना)

0001 गंगा प्रशिक्षण कार्य 43.49 43.33 (-)0.16

मूल 78.12

पुनर्वि० (-)34.63

₹ 34.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**पूँजी ( दत्तमत )**

(iv) ₹ 420.00 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 700.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।

(v) बचत (₹ 10 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
-------	------------	--------------------------------	--------------------------

**5055 सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय**

00

051 निर्माण  
(राज्य योजना)

0101 जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण 280.00 280.00 0.00

मूल 700.00

पुनर्वि० (-)420.00

₹ 420.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।

**अनुदान संख्या - 48- नगर विकास एवं आवास विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2015			
2215			
2217			
2251			
3475			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	2,41,99,425	3,30,05,880	1,77,84,594
अनुपूरक	88,06,455		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)1,52,21,286
			1,39,69,682

<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4217			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	10,000	10,000	0
अनुपूरक	0		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)			(-)10,000
			10,000

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**  
**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 1,52,212.86 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 80,000.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 8,064.55 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 88,064.55 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,39,696.82 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,52,212.86 लाख) से ₹ 12,516.04 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2015 निर्वाचन</b>			
00			
109 पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार (गैर-योजना)			
0001 नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों का चुनाव मूल 500.00 पुनर्वि० (-)482.43	17.57	17.57	0.00
प्रावधान में प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 357.58 लाख की कमी, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में कम व्यय होने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 124.85 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2215 जलापूर्ति तथा सफाई</b>			
01 जलापूर्ति			
191 स्थानीय निकायों, नगरपालिकाओं आदि को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान मूल 2,079.00 पुनर्वि० (-)875.79	1,203.21	1,203.21	0.00
₹ 875.79 लाख का प्रत्यर्पण, विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई ।			
192 नगरपालिकाओं/नगर निगमों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान मूल 7,929.82 अनुपूरक 3,320.00 पुनर्वि० (-)1,658.00	9,591.82	8,974.54	(-)617.28
₹ 1,658.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान मूल 2,079.00 अनुपूरक 830.00 पुनर्वि० (-)40.00	2,869.00	2,597.60	(-)271.40
₹ 40.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0101 पेय जलापूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	105.86	105.86	0.00
मूल	400.00		
पुनर्वि०	(-)294.14		
₹ 294.14 लाख का प्रत्यर्पण, विलम्ब से मांग प्राप्त होने के कारण हुई ।			
0102 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	1,981.14	1,681.14	(-)300.00
मूल	1,600.00		
अनुपूरक	640.00		
पुनर्वि०	(-)258.86		
₹ 258.86 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना योजना (राज्य योजना)			
0103 पेय जलापूर्ति के लिए नगर परिषदों को सहायक अनुदान	492.62	402.12	(-)90.50
मूल	470.18		
अनुपूरक	40.00		
पुनर्वि०	(-)17.56		
₹ 17.56 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 मल-जल तथा सफाई			
106 वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०)	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	11,760.00		
पुनर्वि०	(-)11,760.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0302 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०)	1,273.00	1,273.00	0.00
अनुपूरक	5,850.00		
पुनर्वि०	(-)4,577.00		
₹ 4,577.00 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			



अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 योजना	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)		
0203	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) अनुपूरक पुनर्वि०	0.00 2,100.00 (-),2,100.00	0.00 0.00 0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।		
0303	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) अनुपूरक पुनर्वि०	0.00 90.00 (-),90.00	0.00 0.00 0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।		
796 योजना	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)		
0205	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) अनुपूरक पुनर्वि०	0.00 140.00 (-),140.00	0.00 0.00 0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।		
0305	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन०आर०सी०पी०) अनुपूरक पुनर्वि०	0.00 60.00 (-),60.00	0.00 0.00 0.00
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।		
<b>2217</b>	<b>शहरी विकास</b>		
01	राज्य की राजधानी का विकास		
001	निदेशन और प्रशासन (गैर-योजना)		
0001	नगरपालिकाओं के कार्यपालक पदाधिकारी मूल पुनर्वि०	321.86 582.63 (-),260.77	321.86 0.00 0.00
	₹ 260.77 लाख का प्रत्यर्पण, पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/सेवानिवृत्ति होने के कारण हुई ।		
053	रखरखाव तथा मरम्मत (गैर-योजना)		
0001	बुद्ध स्मृति एवं अन्य पार्क मूल पुनर्वि०	0.00 1,300.00 (-),1,300.00	0.00 0.00 0.00
	प्रावधान में प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 1,289.00 लाख की कमी, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बी०यू०आई०डी०सी०ओ०) द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 11.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0110 शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	50.56	50.56	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)149.44		
₹ 149.44 लाख का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0115 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	1,308.92	1,234.39	(-)74.53
मूल	420.00		
अनुपूरक	5,664.00		
पुनर्वि०	(-)4,775.08		
₹ 4,775.08 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0217 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)5,000.00		
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0204 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)3,000.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			
03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0102 नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ते	82.57	77.55	(-)5.02
मूल	105.00		
पुनर्वि०	(-)22.43		
₹ 22.43 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0208	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
	मूल 20,000.00			
	पुनर्वि० (-)20,000.00			
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा योजना वापस लिये जाने के कारण हुई ।			
0308	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
	मूल 4,000.00			
	पुनर्वि० (-)4,000.00			
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा योजना वापस लिये जाने के कारण हुई ।			
192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (राज्य योजना)			
0101	नगर निगमों को प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	1,266.27	1,199.85	(-)66.42
	मूल 500.00			
	अनुपूरक 1,700.00			
	पुनर्वि० (-)933.73			
	₹ 933.73 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0102	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ते	148.40	148.40	0.00
	मूल 180.00			
	पुनर्वि० (-)31.60			
	₹ 31.60 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106	शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु नगर निकायों/ प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल 400.00			
	पुनर्वि० (-)400.00			
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता (राज्य योजना)			
0101	नगर पंचायतों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों के निर्माण एवं जीर्णोद्धार हेतु सहायक अनुदान	1,147.29	1,036.54	(-)110.75
	मूल 500.00			
	अनुपूरक 900.00			
	पुनर्वि० (-)252.71			
	₹ 252.71 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0102 नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के नियत भत्ते	152.49	137.14	(-)15.35
मूल	180.00		
पुनर्वि०	(-)27.51		
₹ 27.51 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	9,437.53	8,446.30	(-)991.23
मूल	6,473.21		
अनुपूरक	3,486.00		
पुनर्वि०	(-)521.68		
₹ 521.68 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104 सिविल क्षेत्र में नागरिक सुविधाएँ	2,246.92	1,704.08	(-)542.84
मूल	4,902.00		
पुनर्वि०	(-)2,655.08		
₹ 2,655.08 लाख का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0105 शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0210 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	3,768.43	3,768.43	0.00
मूल	16,000.00		
पुनर्वि०	(-)12,231.57		
₹ 12,231.57 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा योजना वापस लिये जाने के कारण हुई ।			
0310 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	3,200.00		
पुनर्वि०	(-)3,200.00		
₹ 3,062.00 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा योजना को वापस लिये जाने के कारण हुई । ₹ 138.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0102 परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	741.24	475.15	(-)266.09
मूल	96.79		
अनुपूरक	672.00		
पुनर्वि०	(-)27.55		
₹ 27.55 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0204 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0304 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
₹ 50.00 लाख के पुनर्विनियोग तथा ₹ 150.00 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
04 गंदी बस्तियों का विकास			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0202 राजीव आवास योजना	11,450.73	11,450.73	0.00
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	12,375.00		
पुनर्वि०	(-)1,924.27		
₹ 1,924.27 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
0302 राजीव आवास योजना	3,464.60	3,464.60	0.00
मूल	250.00		
अनुपूरक	4,125.00		
पुनर्वि०	(-)910.40		
₹ 910.40 लाख का प्रत्यर्पण, राज्यांश का प्रावधान नहीं किये जाने के कारण हुई ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहरी सुधार केन्द्रों को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0202 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)5,000.00		
0302 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई ।			
192 स्थानीय निकायों तथा नगरपालिकाओं को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0202 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)5,000.00		
0302 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उसके समतुल्य को सहायता योजना (राज्य योजना)			
0202 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	5,000.00		
पुनर्वि०	(-)5,000.00		
0302 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	1,200.00		
पुनर्वि०	(-)1,200.00		
उपर्युक्त चार मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	644.00		
पुनर्वि०	(-)644.00		
0302 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	593.00		
पुनर्वि०	(-)593.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80 सामान्य			
001 निदेशन तथा प्रशासन योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार शहरी विकास परियोजना	12,790.00	12,790.00	0.00
मूल	19,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,210.00		
₹ 6,210.00 लाख का प्रत्यर्पण, एशियाई विकास बैंक (ए०डी०बी०) सम्पोषित गया जलापूर्ति योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, शहरी सुधार केन्द्रों को सहायता (गैर-योजना)			
0010 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	2,369.00	2,369.00	0.00
मूल	9,202.45		
पुनर्वि०	(-)6,833.45		
₹ 6,833.45 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से जेनरल परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा जेनरल बेसिक ग्रांट का द्वितीय किस्त के निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई ।			
0013 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	15,957.55	13,447.75	(-)2,509.80
मूल	16,521.91		
पुनर्वि०	(-)564.36		
₹ 564.36 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता (गैर-योजना)			
0001 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	1,980.15	1,980.15	0.00
मूल	7,253.14		
पुनर्वि०	(-5,272.99)		
₹ 5,272.99 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से जेनरल परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा जेनरल बेसिक ग्रांट का द्वितीय किस्त के निकासी पर रोक लगायी जाने के कारण हुई ।			
0005 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को प्राथमिक कार्यों के लिए सहायक अनुदान	13,212.03	9,039.54	4,172.49
मूल	13,939.89		
पुनर्वि०	(-727.86)		
₹ 727.86 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उसके समतुल्य को सहायता (गैर-योजना)			
0001 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	1,459.74	1,411.38	(-48.36)
मूल	5,205.41		
पुनर्वि०	(-3,745.67)		
₹ 3,745.67 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से जेनरल परफॉर्मेंस ग्रांट प्राप्त नहीं होने तथा वित्त विभाग द्वारा जेनरल बेसिक ग्रांट का द्वितीय किस्त के निकासी पर रोक लगायी जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0005 वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायतों को सहायक अनुदान	9,860.03	6,320.89	(-3,539.14)
मूल	10,217.20		
पुनर्वि०	(-357.17)		
₹ 357.17 लाख का प्रत्यर्पण, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007 शहरी प्रबंधक	92.47	84.29	(-8.18)
मूल	117.60		
पुनर्वि०	(-25.13)		
₹ 25.13 लाख का प्रत्यर्पण, कुछ प्रबंधकों के सेवा अवधि का विस्तार नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 48 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0008	पेशा कर के आलोक में अनुदान	460.19	417.53	(-)42.66
	मूल	532.83		
	पुनर्वि०	(-)72.64		
	₹ 72.64 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0119	शहरी आधारभूत संरचनाओं, समस्याओं से संबंधित परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु निगर निगमों/प्राधिकरणों एवं इसके समतुल्य संस्थाओं को सहायक अनुदान	0.00	0.00	0.00
	मूल	200.00		
	पुनर्वि०	(-)200.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकायों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0125	ई-गवर्नेंस/नगर सुधार कार्यक्रम एवं इनके समतुल्य कार्यक्रम	722.66	722.66	0.00
	मूल	100.00		
	अनुपूरक	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)377.34		
	₹ 127.34 लाख का प्रत्यर्पण, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 250.00 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0126	योजना का अनुश्रवण/मूल्यांकन/पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र एवं अन्य समतुल्य कार्यक्रम की स्थापना	72.53	72.53	0.00
	मूल	1,000.00		
	पुनर्वि०	(-)927.47		
	₹ 927.47 लाख का प्रत्यर्पण, मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0131	अभियंत्रण कोषांग	520.93	527.94	(+)7.01
	मूल	700.00		
	पुनर्वि०	(-)179.07		
	₹ 179.07 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 48 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
108 शहरोन्मुखी रोजगार कार्यक्रम योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	6,000.00		
पुनर्वि०	(-)6,000.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			
0302 राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
₹ 1,500.00 लाख का प्रत्यर्पण, भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण हुई । ₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	225.00		
पुनर्वि०	(-)225.00		
0303 राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन	0.00	0.00	0.00
मूल	75.00		
पुनर्वि०	(-)75.00		
उपर्युक्त दो मामलों में सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण, भारत सरकार द्वारा राशि विमुक्त नहीं होने के कारण हुई ।			

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (iv) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 100.00 लाख का मूल प्रावधान अत्यधिक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया ।
- (v) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4217 शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
04 गन्दी बस्तियों का विकास			
050 भूमि योजना (राज्य योजना)			
0101 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन (जे०एन०एन०यू०आर०एम०)(ए०सी०ए०)	0.00	0.00	0.00
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)100.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, शहरी स्थानीय निकाय से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।			

**अनुदान संख्या - 49- जल संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
2700			
2701			
2705			
2711			
3451			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	82,61,983	95,51,983	76,49,013
अनुपूरक	12,90,000		(-)19,02,970
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			18,63,472
23 जून 2014	10,00,000		
31 मार्च 2015	8,63,472		
<b>पूँजी</b>			
<b>मुख्य शीर्ष</b>			
4700			
4701			
4711			
<b>दत्तमत :</b>			
मूल	1,67,90,000	2,51,15,000	1,24,88,769
अनुपूरक	83,25,000		(-)1,26,26,231
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			1,25,55,411
23 जून 2014	2,00,000		
17 नवम्बर 2014	13,75,000		
28 जनवरी 2015	8,32,500		
11 मार्च 2015	56,33,882		
19 मार्च 2015	35,000		
31 मार्च 2015	44,79,029		
<b>टीका एवं टिप्पणियाँ-</b>			
<b>राजस्व ( दत्तमत )</b>			

- (i) ₹ 19,029.70 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 में प्राप्त किया गया ₹ 12,900.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान ( ₹ 18,634.72 लाख), अंतिम बचत ( ₹ 19,029.70 लाख) से ₹ 394.98 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2700 मुख्य सिंचाई</b>			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	1,611.96	1,610.23	(-)1.73
मूल	1,900.00		
पुनर्वि०	(-)288.04		
₹ 288.04 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	2,036.21	1,962.20	(-)74.01
मूल	2,412.00		
पुनर्वि०	(-)375.79		
₹ 375.79 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	1,533.36	1,165.20	(-)368.16
मूल	2,960.00		
पुनर्वि०	(-)1,426.64		
₹ 500.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 926.64 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2701 मध्यम सिंचाई</b>			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)			
101 रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय (कमला एवं उत्तर बिहार हेतु)	192.03	191.82	(-)0.21
मूल	312.00		
पुनर्वि०	(-)119.97		
₹ 119.97 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
04	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)		
101	रख-रखाव और मरम्मत (गैर-योजना)		
0002	489.76	487.46	(-).2.30
	मूल	1,260.00	
	पुनर्वि०	(-).770.24	
	₹ 770.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
80	सामान्य		
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता (गैर-योजना)		
0001	1,000.00	999.99	(-).0.01
	मूल	1,918.00	
	पुनर्वि०	(-).918.00	
	₹ 918.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
<b>2705</b>	<b>कमान क्षेत्र विकास</b>		
00			
001	निदेशन तथा प्रशासन (राज्य योजना)		
0203	2,662.50	2,662.50	0.00
	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम		
	मूल	1,925.00	
	अनुपूरक	3,162.50	
	पुनर्वि०	(-).2,425.00	
	₹ 2,425.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।		
0303	8,827.96	8,705.78	(-).122.18
	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम		
	मूल	8,075.00	
	अनुपूरक	9,337.50	
	पुनर्वि०	(-).8,584.54	
	₹ 8,584.54 लाख का प्रत्यर्पण योजना उद्व्यय में कटौती एवं अधीक्षण अभियंता के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2711 बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास</b>			
01 बाढ़ नियंत्रण			
103 सिविल कार्य ( गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	8,213.73	8,202.25	(-)11.48
मूल	11,045.00		
पुनर्वि०	(-)2,831.27		
₹ 1,030.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 1,801.27 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
03 जल-निकास			
103 सिविल निर्माण कार्य ( गैर-योजना)			
0002 अन्य रख-रखाव व्यय	202.69	202.20	(-)0.49
मूल	373.00		
पुनर्वि०	(-)170.31		
₹ 7.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 163.31 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (iv) ₹ 1,26,262.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 69,500.00 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 13,750.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 83,250.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (v) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 1,25,554.11 लाख), अंतिम बचत (₹ 1,26,262.31 लाख) से ₹ 708.20 लाख कम था ।
- (vi) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण योजना (राज्य योजना)			
0103 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	428.18	428.18	0.00
मूल	500.00		
अनुपूरक	1,100.00		
पुनर्वि०	(-)1,171.82		
₹ 1,171.82 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0204 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	4,840.96	2,644.81	(-),196.15
मूल	11,315.19		
अनुपूरक	90.00		
पुनर्वि०	(-),6,564.23		
₹ 6,564.23 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0304 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	248.28	148.74	(-),99.54
मूल	384.81		
अनुपूरक	1,896.64		
पुनर्वि०	(-),2,033.17		
₹ 2,033.17 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना	1,008.05	937.32	(-),70.73
मूल	200.00		
अनुपूरक	2,250.00		
पुनर्वि०	(-),1,441.95		
₹ 1,441.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
02 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	2,703.15	2,104.46	(-),598.69
मूल	225.00		
अनुपूरक	4,200.00		
पुनर्वि०	(-),1,721.85		
₹ 1,721.85 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	886.37	879.14	(-),7.23
(नाबार्ड सम्पोषित योजना)			
मूल	2,500.00		
अनुपूरक	500.00		
पुनर्वि०	(-),2,113.63		
₹ 2,113.63 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101	गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना	3,123.00	3,119.38	(-3.62)
	मूल	10.00		
	अनुपूरक	4,190.00		
	पुनर्वि०	(-1,077.00)		
	₹ 1,077.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
03	सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051	निर्माण (राज्य योजना)			
0101	सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	11,298.67	10,195.21	(-1,103.46)
	मूल	3,305.00		
	अनुपूरक	9,010.00		
	पुनर्वि०	(-1,016.33)		
	₹ 1,016.33 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103	सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	290.67	290.67	0.00
	मूल	80.00		
	अनुपूरक	516.73		
	पुनर्वि०	(-306.06)		
	₹ 306.06 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0204	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	12,145.20	7,131.43	(-5,013.77)
	मूल	15,647.50		
	पुनर्वि०	(-3,502.30)		
	₹ 3,502.30 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0304	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	5,737.13	1,686.74	(-4,050.39)
	मूल	6,452.50		
	पुनर्वि०	(-715.37)		
	₹ 715.37 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
04	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	280.33	267.68	(-)12.65
	मूल	820.00		
	अनुपूरक	1,250.00		
	पुनर्वि०	(-)1,789.67		
	₹ 100.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 1,689.67 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	39.84	39.83	(-)0.01
	मूल	1,500.00		
	अनुपूरक	200.00		
	पुनर्वि०	(-)1,660.16		
	₹ 1,660.16 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0204	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	2,681.41	1,194.60	(-)1,486.81
	मूल	4,128.56		
	पुनर्वि०	(-)1,447.15		
	₹ 1,447.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0304	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	728.69	515.61	(-)213.08
	मूल	871.44		
	पुनर्वि०	(-)142.75		
	₹ 142.75 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
80	सामान्य			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना	50.41	50.41	0.00
	मूल	300.00		
	पुनर्वि०	(-)249.59		
	₹ 249.59 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
0203 राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (एन०आर०सी०पी०)	0.00	0.00	0.00
मूल	200.00		
पुनर्वि०	(-)200.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0101 स्थापना	143.22	142.53	(-)0.69
मूल	180.00		
पुनर्वि०	(-)36.78		
₹ 16.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 20.78 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
051 निर्माण			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	1,334.72	1,334.62	(-)0.10
मूल	2,308.60		
अनुपूरक	1,445.00		
पुनर्वि०	(-)2,418.88		
₹ 2,418.88 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	1,334.11	1,254.96	(-)79.15
(नाबार्ड सम्पोषित योजना)			
मूल	2,660.00		
अनुपूरक	150.00		
पुनर्वि०	(-)1,475.89		
₹ 1,475.89 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना	820.65	244.97	(-)575.68
मूल	1,087.00		
अनुपूरक	2,284.00		
पुनर्वि०	(-)2,550.35		
₹ 2,550.35 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
04	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना			
001	निदेशन तथा प्रशासन			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	स्थापना	264.90	256.68	(-8.22)
	मूल	320.00		
	पुनर्वि०	(-55.10)		
	₹ 55.10 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	708.46	609.42	(-99.04)
	(कार्य)			
	मूल	20.00		
	अनुपूरक	2,410.00		
	पुनर्वि०	(-1,721.54)		
	₹ 1,721.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	424.85	400.85	(-24.00)
	(कार्य)(नाबार्ड सम्पोषित परियोजना)			
	मूल	1,608.00		
	पुनर्वि०	(-1,183.15)		
	₹ 1,183.15 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	किऊल-बडुआ-चान्दन बेसिन की सिंचाई परियोजना	232.79	182.99	(-49.80)
	मूल	303.00		
	अनुपूरक	1,143.00		
	पुनर्वि०	(-1,213.21)		
	₹ 1,213.21 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय			
01	बाढ़ नियंत्रण			
051	निर्माण			
योजना	(केन्द्रीय योजनागत योजना)			
0408	गंगा नदी को छोड़कर अन्य नदियों का कटाव निरोधक	2,730.23	2,723.48	(-6.75)
	योजना (नेपाल भाग एवं सीमावर्ती क्षेत्र में नदी प्रबंधन			
	कार्य)(शत प्रतिशत केन्द्रांश)			
	मूल	17,800.00		
	पुनर्वि०	(-15,069.77)		
	₹ 15,069.77 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
योजना (राज्य योजना)			
0101 उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	24,875.82	23,231.16	(-)1,644.66
मूल	29,000.00		
पुनर्वि०	(-)4,124.18		
₹ 4,124.18 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0102 जल निस्सरण परियोजनाएं (कार्य)	353.06	297.45	(-)55.61
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	303.00		
पुनर्वि०	(-)949.94		
₹ 200.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 749.94 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0104 बाढ़ नियंत्रण तटबंध सड़क परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सम्मोषित परियोजना)	3,471.76	3,404.81	(-)66.95
मूल	3,793.00		
अनुपूरक	200.00		
पुनर्वि०	(-)521.24		
₹ 521.24 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0106 जमींदारी बाँधों का जीर्णोद्धार	1,175.46	1,174.17	(-)1.29
मूल	1,000.00		
अनुपूरक	1,550.00		
पुनर्वि०	(-)1,374.54		
₹ 1,374.54 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0107 वित्त आयोग के अनुशंसा पर बाढ़ नियंत्रण परियोजना	0.00	0.00	0.00
अनुपूरक	8,325.00		
पुनर्वि०	(-)8,325.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0209 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	2,801.34	2,116.43	(-)684.91
मूल	34,158.75		
अनुपूरक	1,100.00		
पुनर्वि०	(-)32,457.41		
₹ 32,457.41 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0309	त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	6,017.94	5,004.62	(-1,013.32)
	मूल	11,386.25		
	अनुपूरक	16,289.63		
	पुनर्वि०	(-)21,657.94		
	₹ 21,657.94 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	जल निस्सरण परियोजनाएं (कार्य)	56.26	38.57	(-)17.69
	मूल	200.00		
	अनुपूरक	125.00		
	पुनर्वि०	(-)268.74		
	₹ 268.74 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
(vii)	अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
01	कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
051	निर्माण			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	कोसी बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)	2,462.50	2,915.95	(+)453.45
	मूल	1,800.00		
	अनुपूरक	2,200.00		
	पुनर्वि०	(-)1,537.50		
	₹ 1,537.50 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
800	अन्य व्यय			
योजना	(राज्य योजना)			
0102	कोशी बेसिन की सिंचाई परियोजना (कार्य)	0.00	172.77	(+)172.77
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए०आई०बी०पी०)			
	बिना बजट प्रावधान के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 49 - क्रमांत

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना (अवाणिज्यिक)			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
0101 सोन बेसिन की सिंचाई परियोजना	5,355.33	7,065.87	(+)1,710.54
मूल	900.00		
अनुपूरक	4,865.00		
पुनर्वि०	(-)409.67		
₹ 409.67 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
01 बाढ़ नियंत्रण			
001 निदेशन तथा प्रशासन			
योजना (राज्य योजना)			
0102 उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं	0.00	421.80	(+)421.80
0106 जल निकासी परियोजनाएं (कार्य)	0.00	102.07	(+)102.07
उपर्युक्त दो मामलों में बिना बजट के व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 उत्तर बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ	3,889.29	5,812.15	(+)1,922.86
मूल	2,090.40		
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)201.11		
₹ 201.11 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 50- लघु जल संसाधन विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2702	लघु सिंचाई			
3451	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		65,16,658	65,19,176	27,65,045 (-)37,54,131
अनुपूरक		2,518		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				37,13,491
23 फरवरी 2015	5,54,800			
31 मार्च 2015	31,58,691			

**पूँजी**

**मुख्य शीर्ष**

4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

**दत्तमत :**

मूल		24,88,300	36,17,900	18,07,877 (-)18,10,023
अनुपूरक		11,29,600		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				17,97,756
23 फरवरी 2015	56,442			
31 मार्च 2015	17,41,314			

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 37,541.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 7.00 लाख), दिसम्बर 2014 (₹ 8.59 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 9.59 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 25.18 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 37,134.91 लाख), अंतिम बचत (₹ 37,5541.31 लाख) से ₹ 406.40 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2702 लघु सिंचाई</b>			
02 भू-जल			
005 अन्वेषण (गैर-योजना)			
0001 सर्वेक्षण और जाँच	9,060.86	9,026.24	(-)34.62
मूल	13,360.80		
पुनर्वि०	(-)4,299.94		
₹ 4,299.94 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0002 उद्वह सिंचाई योजनाओं का अनुरक्षण	883.09	882.85	(-)0.24
मूल	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,116.91		
₹ 1,116.91 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0101 सर्वेक्षण और जाँच	21.82	21.81	0.01
मूल	2,340.00		
पुनर्वि०	(-)2,318.18		
₹ 2,318.18 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में पुनरीक्षण के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
016 आर्थिक सहायता			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	2,470.46		
पुनर्वि०	(-)2,470.46		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0101 बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	0.00	0.00
मूल	1,036.00		
पुनर्वि०	(-)1,036.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।			



अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना		
योजना	(राज्य योजना)		
0105	बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना	0.00	0.00
	मूल	41.54	
	पुनर्वि०	(-)41.54	
	सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती के कारण हुई ।		
03	रख-रखाव		
101	जल टंकी		
	(गैर-योजना)		
0001	कार्यभारित व्यय	44.10	0.00
	मूल	160.66	
	पुनर्वि०	(-)116.56	
	₹ 116.56 लाख का प्रत्यर्पण, कार्यभारित कर्मचारियों के स्थायी स्थापना में समायोजन के कारण हुई । सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0002	अन्य रख-रखाव व्यय	44.11	34.07
	मूल	800.00	
	पुनर्वि०	(-)755.89	
	₹ 755.89 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
102	उद्वह सिंचाई योजनाएं		
	(गैर-योजना)		
0001	लघु सिंचाई विभाग के अंतर्गत उद्यम संसाधन योजना	0.60	0.00
	(ई०आर०पी०)		
	मूल	47.00	
	पुनर्वि०	(-)46.40	
	₹ 46.40 लाख का प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0004	कार्यभारित व्यय	130.59	124.25
	मूल	383.83	
	पुनर्वि०	(-)253.24	
	₹ 253.24 लाख का प्रत्यर्पण, कार्यभारित कर्मचारियों के स्थायी स्थापना में समायोजन के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		
0005	अन्य रख-रखाव व्यय	37.02	29.07
	मूल	1,400.00	
	पुनर्वि०	(-)1,362.98	
	₹ 1,362.98 लाख का प्रत्यर्पण, निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।		

अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
103 नलकूप ( गैर-योजना)			
0002 राजकीय नलकूप	14,489.94	14,198.15	(-)291.79
मूल	26,959.59		
पुनर्वि०	(-)12,469.65		
प्रावधान में ₹ 12,469.65 लाख की कमी, ₹ 1,800.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 14,269.65 लाख के प्रत्यर्पण की कमी का निवल प्रभाव था । ₹ 14,269.65 लाख का प्रत्यर्पण, क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों तथा नलकूप स्थापना के लघु सिंचाई में समायोजन के कारण हुई । पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0007 अन्य रख-रखाव व्यय	630.29	629.23	(-)1.06
मूल	10,646.93		
पुनर्वि०	(-)10,016.64		
₹ 1,800.00 लाख के पुनर्विनियोग एवं ₹ 8,216.64 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0101 निजी नलकूप	351.35	348.10	(-)3.25
मूल	876.30		
पुनर्वि०	(-)524.95		
₹ 524.95 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)			
0101 निजी नलकूप	0.00	0.00	0.00
मूल	35.05		
पुनर्वि०	(-)35.05		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>3451 सचिवालय-आर्थिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय (गैर-योजना)			
0030 लघु जल संसाधन विभाग	404.92	362.23	(-)42.69
मूल	482.27		
अनुपूरक	25.18		
पुनर्वि०	(-)102.53		
₹ 102.53 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के पद रिक्त रहने तथा विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 50 - क्रमशः**

**पूँजी ( दत्तमत )**

- (v) ₹ 18,100.23 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 10,796.00 लाख) तथा मार्च 2015 (₹ 500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 11,296.00 लाख का अनुपूरक अनुदान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, जिसे यथावश्यक सांकेतिक राशियों तक सीमित किया जा सकता था ।
- (vi) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 17,977.56 लाख), अंतिम बचत (₹ 18,100.23 लाख) से ₹ 122.67 लाख कम था ।
- (vii) बचत (₹ 20 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>4702 लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
00			
101 सतही जल			
योजना (राज्य योजना)			
0101 लघु सिंचाई	3,527.26	3,503.83	(-)23.43
मूल	4,897.81		
अनुपूरक	500.00		
पुनर्वि०	(-)1,870.55		
₹ 746.10 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी, वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । ₹1,124.45 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0204 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	3,936.58	3,936.58	0.00
मूल	4,325.00		
अनुपूरक	10,796.00		
पुनर्वि०	(-)11,184.42		
₹ 10,959.32 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई । ₹ 225.10 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0304 त्वरित सिंचाई लाभ तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम तथा जल संसाधन के अन्य कार्यक्रम	1,011.76	1,011.76	0.00
मूल	1,430.00		
पुनर्वि०	(-)418.24		
₹ 1,902.59 लाख की वृद्धि तथा प्रत्यर्पण द्वारा ₹ 2,320.83 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 418.24 लाख की कमी हुई । ₹ 2,320.83 लाख के प्रत्यर्पण से हुई कमी, समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण हुई । वृद्धि के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 50 - क्रमांत

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102	भू-जल			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	नलकूप योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	7,800.00	7,800.00	0.00
	मूल	9,224.00		
	पुनर्वि०	(-)1,424.00		
	₹ 1,424.00 लाख का प्रत्यर्पण, कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण हुई ।			
0102	नई/अधूरी मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने हेतु नाबार्ड से ऋण	471.00	459.96	(-)11.04
	मूल	2,794.00		
	पुनर्वि०	(-)2,323.00		
	₹ 2,323.00 लाख का प्रत्यर्पण, योजना उद्व्यय में कटौती तथा समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0101	लघु सिंचाई योजना	1,454.83	1,448.63	(-)6.20
	मूल	2,127.20		
	पुनर्वि०	(-)672.37		
	₹ 140.57 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । ₹ 531.80 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना			
योजना	(राज्य योजना)			
0103	लघु सिंचाई	0.00	0.00	0.00
	मूल	84.99		
	पुनर्वि०	(-)84.99		
	₹ 63.75 लाख के प्रत्यर्पण द्वारा प्रावधान में कमी वित्त विभाग द्वारा निकासी पर रोक लगाये जाने के कारण हुई । ₹ 21.24 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**अनुदान संख्या - 51- समाज कल्याण विभाग  
( सभी दत्तमत )**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ हजार में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>राजस्व</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236	पोषण			
2251	सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		4,63,06,389	7,41,78,643	4,90,24,912
अनुपूरक		2,78,72,254		(-)2,51,53,731
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2015)				2,11,11,641

<b>पूँजी</b>				
<b>मुख्य शीर्ष</b>				
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत :</b>				
मूल		5,000	5,000	0
अनुपूरक		0		(-)5,000
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2014)				5,000

**टीका एवं टिप्पणियाँ-**

**राजस्व ( दत्तमत )**

- (i) ₹ 2,51,537.31 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, जुलाई 2014 (₹ 1,75,494.35 लाख) तथा दिसम्बर 2014 (₹ 1,03,228.19 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,78,722.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ ।
- (ii) अभ्यर्पित प्रावधान (₹ 2,11,116.41 लाख), अंतिम बचत (₹ 2,51,537.31 लाख) से ₹ 40,420.90 लाख कम था ।

**अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः**

(iii) बचत (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
02 समाज कल्याण			
001 निदेशन एवं प्रशासन (गैर-योजना)			
0001 निदेशन एवं प्रशासन	70.83	64.97	(-)5.86
मूल	112.51		
पुनर्वि०	(-)41.68		
₹ 41.68 लाख का प्रत्यर्पण, सविदा आधारित पदों पर नियुक्ति नहीं होने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0002 मूक एवं बधिर विद्यालय एवं कर्मशाला का संधारण	156.03	150.61	(-)5.42
मूल	217.86		
पुनर्वि०	(-)61.83		
₹ 61.83 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0106 निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	1,300.00	1,300.00	0.00
मूल	150.00		
अनुपूरक	3,650.00		
पुनर्वि०	(-)2,500.00		
₹ 2,500.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0111 विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.00	0.00	0.00
मूल	30.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0112 निःशक्तता के लिए आयुक्त कार्यालय की स्थापना	31.64	25.99	(-)5.65
मूल	90.00		
पुनर्वि०	(-)58.36		
₹ 58.36 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0220 असहाय लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	500.00	0.00	(-)500.00
मूल	500.00		
सम्पूर्ण प्रावधान की अनुपयोगिता के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
102 बाल कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0105 समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत प्रबंधन सूचना प्रणाली हेतु	539.51	481.14	(-)58.37
मूल	1,100.00		
पुनर्वि०	(-)560.49		
₹ 560.49 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0116 परवरिश	240.00	240.00	0.00
मूल	240.00		
अनुपूरक	760.00		
पुनर्वि०	(-)760.00		
₹ 760.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0119 स्वस्थ पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण बाह्य सम्पोषित परियोजना (ई०ए०पी०)	0.00	0.00	0.00
मूल	8,750.00		
पुनर्वि०	(-)8,750.00		
सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0222 समेकित बाल विकास सेवाएं	53,713.22	52,118.55	(-)1,594.67
मूल	82,878.88		
अनुपूरक	475.00		
पुनर्वि०	(-)29,640.66		
₹ 29,640.66 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0223 समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०)	204.75	204.75	0.00
मूल	3,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,795.25		
₹ 2,795.25 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0224 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना (सबला)	3,889.93	3,724.89	(-)165.04
मूल	13,429.00		
अनुपूरक	875.35		
पुनर्वि०	(-)10,414.42		
₹ 10,414.42 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0322 समेकित बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	5,140.84	4,860.15	(-)280.69
मूल	9,462.98		
अनुपूरक	158.33		
पुनर्वि०	(-)4,480.47		
₹ 4,480.47 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0323	एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०)	1,000.00	1,000.00	0.00
	मूल	1,000.00		
	अनुपूरक	400.00		
	पुनर्वि०	(-)400		
	₹ 400.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0324	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम (सबला)	6,733.03	6,395.04	(-)337.99
	मूल	4,398.75		
	अनुपूरक	6,918.76		
	पुनर्वि०	(-)4,584.48		
	₹ 4,584.48 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
103	महिला कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0109	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	12,028.41	11,343.32	(-)685.09
	मूल	4,200.00		
	अनुपूरक	8,800.00		
	पुनर्वि०	(-)971.59		
	₹ 971.59 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0110	नारी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00
	मूल	100.00		
	पुनर्वि०	(-)100.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0111	कन्या सुरक्षा योजना	7,500.00	7,499.26	(-)0.74
	मूल	1,000.00		
	अनुपूरक	10,000.00		
	पुनर्वि०	(-)3,500.00		
	₹ 3,500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0113	स्वस्थ पोषण से संबंधित निगरानी एवं अनुश्रवण (ई०ए०पी०)	0.00	0.00	0.00
	मूल	2,850.00		
	पुनर्वि०	(-)2,850.00		
	सम्पूर्ण प्रावधान के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			



अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
0219	इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	2,747.60	2,684.27	(-)63.33
	मूल	4,854.00		
	अनुपूरक	1,484.35		
	पुनर्वि०	(-)3,590.75		
	₹ 3,590.75 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
104	वृद्ध, अशक्त तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण (गैर-योजना)			
0001	राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय-गृह	124.31	106.06	(-)18.25
	मूल	164.84		
	पुनर्वि०	(-)40.53		
	₹ 40.53 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0104	बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	200.00	200.00	0.00
	मूल	2,400.00		
	अनुपूरक	4,400.00		
	पुनर्वि०	(-)6,600.00		
	₹ 6,600.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
106	सुधारक सेवाएं (गैर-योजना)			
0001	प्रतिप्रेक्षण गृह	256.89	242.83	(-)14.06
	मूल	595.27		
	पुनर्वि०	(-)338.38		
	₹ 338.38 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0008	बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय परिषद	0.35	0.35	0.00
	मूल	51.77		
	पुनर्वि०	(-)51.42		
	₹ 51.42 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना	(राज्य योजना)			
0106	बाल दोषी, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के लिए विशेष योजना	626.55	583.10	(-)43.45
	मूल	950.00		
	अनुपूरक	250.00		
	पुनर्वि०	(-)573.45		
	₹ 573.45 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
200 अन्य कार्यक्रम			
योजना (राज्य योजना)			
0106 प्रदर्शनी, सेमिनार, सम्मेलन	5.15	1.49	(-)3.66
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)44.85		
₹ 44.85 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			
योजना (राज्य योजना)			
0103 आँगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना	2,314.87	2,135.67	(-)179.20
मूल	2,757.67		
पुनर्वि०	(-)442.80		
₹ 442.80 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0107 मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	2,325.36	2,147.72	(-)177.64
मूल	840.00		
अनुपूरक	1,700.00		
पुनर्वि०	(-)214.64		
₹ 214.64 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0109 मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	1,500.00	1,500.00	0.00
मूल	200.00		
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)700.00		
₹ 700.00 लाख के प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0312 किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	1,795.38	1,720.76	(-)74.62
(सबला)			
मूल	1,976.25		
अनुपूरक	341.79		
पुनर्वि०	(-)522.66		
₹ 522.66 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
800 अन्य व्यय			
(गैर-योजना)			
0002 अंतर्जातीय विवाह	55.25	37.00	(-)18.25
मूल	100.00		
पुनर्वि०	(-)44.75		
₹ 44.75 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
03 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम			
102 राष्ट्रीय परिवार हितलाभ योजना (राज्य योजना)			
0202 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एन०एस०ए०पी०)	3,800.00	2,638.10	(-)1,161.90
मूल	4,100.00		
पुनर्वि०	(-)300.00		
₹ 300.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0205 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम(एन०एस०ए०पी०)	38,000.00	32,829.06	(-)5,170.94
मूल	39,000.00		
पुनर्वि०	(-)1,000.00		
₹ 1,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन (गैर-योजना)			
0001 वृद्धावस्था पेंशन	2,474.97	2,459.92	(-)15.05
मूल	3,477.63		
अनुपूरक	1.00		
पुनर्वि०	(-)1,003.66		
₹ 1,003.66 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
योजना (राज्य योजना)			
0104 बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	18,000.00	7,655.22	(-)10,344.78
मूल	4,000.00		
अनुपूरक	14,030.00		
पुनर्वि०	(-)30.00		
₹ 30.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0105 लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	19,950.00	7,130.17	(-)12,819.83
मूल	7,000.00		
अनुपूरक	13,000.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
₹ 50.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)	
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (राज्य योजना)			
0102	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	8,175.00	3,989.74	(-)4,185.26
	मूल	2,600.00		
	अनुपूरक	5,600.00		
	पुनर्वि०	(-)25.00		
	₹ 25.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0103	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	6,270.00	2,760.93	3,509.07
	मूल	1,500.00		
	अनुपूरक	4,770.00		
	अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
<b>2236</b>	<b>पोषण</b>			
02	पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण			
101	विशेष पोषण कार्यक्रम (राज्य योजना)			
0203	समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०)	40,875.78	39,877.70	(-)998.08
	मूल	70,276.12		
	अनुपूरक	49,558.65		
	पुनर्वि०	(-)78,958.99		
	₹ 78,958.99 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0303	समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०)	62,125.72	61,259.98	(-)865.74
	मूल	41,187.56		
	अनुपूरक	59,061.12		
	पुनर्वि०	(-)38,122.96		
	₹ 38,122.96 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना (राज्य योजना)			
0305	समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई०सी०डी०एस०)	2,179.67	1,770.65	(-)409.02
	मूल	2,459.71		
	पुनर्वि०	(-)280.04		
	₹ 280.04 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमशः

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं</b>			
00			
090 सचिवालय ( गैर-योजना)			
0015 समाज कल्याण विभाग	362.16	323.58	(-)38.58
मूल	340.00		
अनुपूरक	67.42		
पुनर्वि०	(-)45.26		
₹ 45.26 लाख का प्रत्यर्पण, कर्मचारियों के पद रिक्त रहने के कारण हुई । अंतिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

(iv) अधिक व्यय (₹ 25 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
02 समाज कल्याण			
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0119 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	850.00	894.73	(+)44.73
मूल	850.00		
अनुपूरक	2,000.00		
पुनर्वि०	(-)2,000.00		
₹ 2,000.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना योजना (राज्य योजना)			
0104 कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	1,600.00	5,370.00	(+)3,770.00
मूल	400.00		
अनुपूरक	1,200.00		
अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			
0111 मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	350.00	392.86	(+)42.86
मूल	350.00		
अनुपूरक	500.00		
पुनर्वि०	(-)500.00		
₹ 500.00 लाख के प्रत्यर्पण तथा अंतिम अधिक व्यय के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

अनुदान संख्या - 51 - क्रमांत

पूँजी ( दत्तमत )

- (v) इस अनुदान के पूँजी प्रभाग के अंतर्गत ₹ 50.00 लाख का मूल प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वर्ष के दौरान इसका उपयोग नहीं किया गया।
- (vi) बचत (₹ 5 लाख अथवा प्रावधान का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो) मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय ( ₹ लाख में )	अधिक व्यय (+) बचत (-)
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय			
02 सामाजिक कल्याण			
102 बाल कल्याण योजना (राज्य योजना)			
0106 सुधार गृह, बाल गृह के लिए भवन	0.00	0.00	0.00
मूल	50.00		
पुनर्वि०	(-)50.00		
सम्पूर्ण प्रावधान का प्रत्यर्पण के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।			

**परिशिष्ट**

वर्ष 2014-15 के लेखे में अनुमान तथा समायोजित वास्तविक वसूलियों का अनुदानवार विवरण  
(पृष्ठ सं० xvi पर विनियोग लेखे के सारांश में संदर्भित)

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
1 कृषि विभाग दत्तमत राजस्व	0	1,51,263	(+)1,51,263
2 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग दत्तमत राजस्व	0	11,76,564	(+)11,76,564
3 भवन निर्माण विभाग दत्तमत राजस्व	0	302	(+)302
	0	3,18,171	(+)3,18,171
4 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग दत्तमत राजस्व	0	291	(+)291
5 राज्यपाल सचिवालय प्रभारित राजस्व	0	1,000	(+)1,000
6 निर्वाचन विभाग दत्तमत राजस्व	0	24,048	(+)24,048
8 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दत्तमत राजस्व	0	7,074	(+)7,074
9 सहकारिता विभाग दत्तमत राजस्व	0	1,373	(+)1,373

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,81,176	(+)1,81,176
12 वित्त विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	34,036	(+)34,036
13 सूद भुगतान प्रभारित			
राजस्व	20	0	(-)20
15 पेंशन दत्तमत			
राजस्व	0	53,114	(+)53,114
16 पंचायती राज विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	13,822	(+)13,822
17 वाणिज्य-कर विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	11	(+)11
18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,940	(+)1,940
19 पर्यावरण एवं वन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	278	(+)278
20 स्वास्थ्य विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,31,572	(+)1,31,572
पूँजी	0	1,92,526	(+)1,92,526



परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक ( + ) कम ( - )
	( ₹ हजार में )		
21 शिक्षा विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	26,57,920	(+)26,57,920
पूँजी	0	7,315	(+)7,315
22 गृह विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	2,01,471	(+)2,01,471
पूँजी	0	21,65,206	(+)21,65,206
23 उद्योग विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,46,860	(+)1,46,860
पूँजी	0	10,000	(+)10,000
24 सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	249	(+)249
पूँजी	0	849	(+)849
26 श्रम संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,131	(+)1,131
27 विधि विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,020	(+)1,020
29 खान एवं भूतत्व विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5	(+)5
30 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	3,157	(+)3,157
पूँजी	0	12,150	(+)12,150

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
32 विधानमंडल दत्तमत			
राजस्व	0	19	(+)19
33 सामान्य प्रशासनिक विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	19,284	(+)19,284
35 योजना एवं विकास विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,65,232	(+)1,65,232
पूँजी	0	3,12,758	(+)3,12,758
36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दत्तमत			
पूँजी	0	535	(+)535
37 ग्रामीण कार्य विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	39,064	(+)39,064
पूँजी	0	22,297	(+)22,297
38 निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	177	(+)177
39 आपदा प्रबंधन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1,75,734	(+)1,75,734
40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	7,368	(+)7,368
पूँजी	0	7,834	(+)7,834

परिशिष्ट - क्रमशः

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
41 पथ निर्माण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	652	(+)652
पूँजी	0	45,25,687	(+)45,25,687
42 ग्रामीण विकास विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	21,667	(+)21,667
43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	188	(+)188
44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	6,01,612	(+)6,01,612
पूँजी	0	402	(+)402
45 गन्ना उद्योग विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	1	(+)1
46 पर्यटन विभाग दत्तमत			
पूँजी	0	1,731	(+)1,731
47 परिवहन विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	46	(+)46
48 नगर विकास एवं आवास विभाग दत्तमत			
राजस्व	0	3,25,364	(+)3,25,364

परिशिष्ट - क्रमांत

संख्या, अनुदान/विनियोग का नाम तथा अनुभाग	आय-व्ययक अनुमान	वास्तविकी	वास्तविकी का बजट अनुमान से तुलना अधिक (+) कम (-)
	( ₹ हजार में )		
49 जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	8,372	(+)8,372
पूँजी	0	57,173	(+)57,173
50 लघु जल संसाधन विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	5,309	(+)5,309
51 समाज कल्याण विभाग			
दत्तमत			
राजस्व	0	1,80,742	(+)1,80,742
पूँजी	0	12,354	(+)12,354
<b>योग</b>			
दत्तमत			
राजस्व	0	63,39,508	(+)63,39,508
पूँजी	0	76,46,988	(+)76,46,988
प्रभारित			
राजस्व	20	1,000	(+)980
पूँजी	0	0	0
<b>कुल योग</b>	<b>20</b>	<b>1,39,87,496</b>	<b>(-),1,39,87,476</b>

टीका एवं टिप्पणियाँ -

उपर्युक्त मामलों में महत्वपूर्ण भिन्नताओं के कारणों को सूचित नहीं किया गया है (अगस्त 2015) ।